लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४७, १९६०/१८८२ (शक)

[१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/73

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
18-5-91
Fumigated
On 29.11.82
Parliament Library

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४७ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय सूची

[ीय माला, खण्ड ४७—अंक १ से १०—१४ से २५ नवम्बर, १९६०/२३ कार्तिक से ४ अग्रहायण १८८२ (शक)]

क १ सोमवार, १४ नवम्बर, १९६० पृष्ठ

२३ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ९ . . . . १—२३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १० से ४२ . . . . २३—२९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५३ . . . . ४०—६३

निधन सम्बन्धी उल्लेख ६२

स्थगन प्रस्तावों के बारे में . . . . ६२—६३

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में . . . . ६३—६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . ६५—६८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . ६८—६९

सिन्धु पानी सन्धि के बारे में वक्तव्य . . . . ६९—७१

विशेषाधिकार समिति—

प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना . ७२

मोटरगाड़ी कर्मचारी विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना ७२

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित. . ७२

मोटर गाड़ी (द्वितीय संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ७३—७५

खण्ड २ से १० तथा १ पारित करने का प्रस्ताव ७५

कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक ७५—९५

विचार करने का प्रस्ताव ७५—९२

खण्ड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव . ९३—९५

पृष्ठ

बिलासपुर वाणिज्यिक निगम (निरसन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ९६—९७
खण्ड १ से ४—पारित करने का प्रस्ताव . ९७
भारतीय विमान (संशोधन) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ९७—१०२
खंड २ से ६ तथा १ पारित करने का प्रस्ताव १०२
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . १०२—१०४
सभा का कार्य १०४—०५
दैनिक संक्षेपिका १०६—११४

अंक २—मंगलवार, १५ नवम्बर, १९६०/२४ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ५२ ११५—३९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ५३ से ९४ १३९—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से २३९ . १६०—२०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र
कार्य मंत्रणा सलिति . २०३—२०४
छप्पनवां प्रतिवेदन २०४
पूर्वाधिकार अंश (लाभांश का विनियमन) विधेयक—
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . २०५—२१०
भारतीय संग्रहालय (संशोधन) विधेयक—
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार करने का प्रस्ताव . २१०—३२
खण्ड २ से १३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . २३२—३३
समवाय (संशोधन) विधेयक—
संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये रूप में, विचार करने का प्रस्ताव २३३
दैनिक संक्षेपिका २३४—४०

पृष्ठ

अंक ३—बुधवार, १६ नवम्बर, १९६०/२५ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९५ से १०, — २४१—६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से ११४ और ११६ से १६८ — २६१–९४

अतारांकित प्रश्न संख्या १३९ स १८५ और १८७ से २४४ — २९४–३३९

स्थगन प्रस्ताव—

प्रधान मंत्री का वक्तव्य—सिन्धु पानी संधि के बारे में — ३४०–४१

विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में — ३४१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . — ३४२—४५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन — ३४५

समवाय संशोधन विधेयक—

विचाराधीन प्रस्ताव, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में — ३४६—८३

दैनिक संक्षेपिका — ३८४—९४

अंक ४—गुरुवार, १७ नवम्बर, १९६०/२६ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६९ से १७७ — ३९५—४१८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७८ से २०९ . . — ४१८—३१

अतारांकित प्रश्न संख्या २४५ से ३०९, ३११ और ३१२ . — ४३१—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . — ४६२–६३

याचिकायें—

(१) भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक और . — ४६३

(२) राष्ट्रीय स्मारक आयोग विधेयक . — ४६३

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . — ४६३–६४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र द्वारा कोयले का खनन . — ४६४—६६

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . — ४६६—९१

दैनिक संक्षेपिका . . . . . — ४९२—९७

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १८ नवम्बर, १९६०/२७ कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१० से २१६, २१८ से २२१, २४१ और २४४ ४९९—५२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २१७, २२२ से २४०, २४२, २४३ और २४५ से २५९ . . . ५२५—४०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३१३ से ४०१ ५४१—८१

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५८१

सभा का कार्य ५८१—८२

धार्मिक न्यास विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिये समय का बढ़ाया जाना . . . ५८२

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक ५८२—८४

(२) वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक ५८५

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५८५—६०९

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकहत्तरवां प्रतिवेदन . . ६०९—१०

नौवहन के लक्ष्य के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ६१०—२५

सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प ६२६

दैनिक संक्षेपिका . . ६२७—३३

अंक ६—सोमवार, २१ नवम्बर, १९६०/३० कार्तिक, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २६० से २६९ . ६३५—५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७० से ३१२ और ३१४ से ३२४ . ६५६—८३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ से ४९९ और ५०१ से ५०४ . ६८३—७२७

पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—
(१) बम्बई में विस्फोट . ७२७–२८
(२) हुगली नदी में एक ड्रेजर का उलटना . . ७२८–२९
(३) उत्तरी सीमांत जिलों में कम्युनिस्टों द्वारा कथित प्रचार ७२९—३२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ७३२–३३
कार्य-मंत्रणा समिति—
सत्तावनवां प्रतिवेदन . . ७३३
महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव ७३३—५०
खण्ड २, ३ तथा १—पारित करने का प्रस्ताव . . ७५०
इंडियन रिफ़ाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७५१—६३
दैनिक संक्षेपिका ७६४—७१

अंक ७—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०/१ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३२६ से ३३५ और ३३७ ७७३—९७
प्रश्नों के लिखित उत्तर—
तारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३३६ और ३३८ से ३६२ . . ७९७—८०९
अतारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५४८, ५५० से ५७७ और ५७९ से ५८१ ८०९—४१
स्थगन प्रस्ताव—
(१) गश्ती गाड़ी का पटरी पर से उतर जाना . . ८४२–४३
(२) बेरूबारी के मामले में केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिमी बंगाल सरकार के बीच कथित गंभीर मतभेद . . ८४३—४५
(३) कुछ राज्यों में सांविधानिक व्यवस्था की कथित विफलता ८४५–४६
सभा पटल पर रखे गये पत्र ८४६–४७
समितियों के लिये निर्वाचन—
(१) प्राक्कलन समिति ८४७
(२) लोक लेखा समिति . ८४७–४८
विधेयक—पुरस्थापित—
(१) रेलवे यात्री किराया (संशोधन) विधेयक . . ८४८
(२) औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक ८४८

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ८४९

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ८५०—८४

दैनिक संक्षेपिका ८८५—९०

अंक ८—बुधवार, २३ नवम्बर, १९६०/२ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६४, ३६६, ३६८ से ३७५ और ३७७ से ३८२ . ८९१—९१७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६३, ३६५, ३६७, ३७६, ३८३ से ३८९ और ३९१ से ४०४ . . . ९१७—३०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५८२ से ६७३ ९३०—७२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ९७२—७५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन ९७५

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव ९७५—१०१७

दैनिक संक्षेपिका १०१८—२६

अंक ९—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९६०/३ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०५, ४०७ से ४१४, ४१६ और ४१७ . १०२७—४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६, ४१५ और ४१८ से ४५२ . १०४८—६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ६७४ से ७७८ . . १०६४—११०४

स्थगन प्रस्ताव—

(१) कांगो के सैनिकों द्वारा लियोपोल्डविल में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से नियुक्त भारतीय अधिकारियों पर हमला . ११०४—१०

(२) तिब्बत में राकेट के अड्डे बनाना और राकेट छोड़े जाना १११०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १११०—१२

मध्य प्रदेश खाद्य क्षेत्र के बारे में वक्तव्य . . १११२—१४

पृष्ठ

समवाय (संशोधन) विधेयक—
खण्ड २ से ८, १०, १२, १५, १६, ९, ११, १३, १४, १७ से २३, २६ से ४१, ४३, ४६ से ५४, २४, २५, नया खण्ड ४०-क, ४२, ४४, ४५, ५५, ५६, ५८, ६० से ६४, ६७ से ६९, ७१, ७३, ७६, ७८, ५७, ५९, ६५, ६६ और ७० . 1114—40, ११४०—४४

सभा का कार्य ११४०

दैनिक संक्षेपिका . . . ११४५—५२

अंक १०—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९६०/४ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ११५३

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३, ४५५, ४५६, ४५८ से ४६५, ४८२, ४९१ और ४९६ ११५३—७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५४, ४५७, ४६७ से ४८१, ४८३ से ४९० और ४९२ ११७६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ८४३ ११८८—१२१९

स्थगन प्रस्ताव—

आसनसोल के निकट कोयला खान में कथित उपद्रव १२१९—२०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १२२०—२१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नारियल के तेल और गोले का आयात १२२१—२२

सभा का कार्य . . . . . . १२२२—२३

त्रिपुरा उत्पादन शुल्क विधि (निरसन) विधेयक—पुरस्थापित १२२३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खण्ड ७०, ७२, ७४, ७५, ७७ और ७९ . . . . १२२४—३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बहत्तरवां प्रतिवेदन १२३५

विधेयक—पुरस्थापित—

(१) औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (नये अध्याय ५ कक का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) . . १२३५—३६

(२) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक (धारा ६ के स्थान पर नई धारा का रखा जाना) (श्री त० ब० विट्ठल राव का) १२३६

(३) धर्मार्थ न्यास विधेयक (श्री रामकृष्ण गुप्त का) १२३६

पृष्ठ

पशु खाद्य के निर्यात पर प्रतिबन्ध विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—वापस लिया गया—

विचार करने का प्रस्ताव . . १२३६—४८

नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का) —

विचार करने का प्रस्ताव १२४९—५४

दैनिक संक्षेपिका . . १२५५—६०

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1428 (Ai LSD)—20-12-60—115.

लोक सभा-वाद-विवाद

लोक-सभा

सोमवार, २१ नवम्बर, १९६०

३० कार्तिक, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हेलीकोप्टरों का निर्माण

+

†*२६०. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में तैयार करने के लिये कोई विशिष्ट हेलीकाप्टर अंतिम रूप से चुन लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का हेलीकाप्टर चुना गया है ; और

(ग) वह कब, किस प्रकार और कहां तैयार किया जायेगा ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) अभी तक भारत में निर्माण के लिये किसी खास हेलीकाप्टर को नहीं चुना गया है ;

(ख) और (ग) इसलिये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** इस संबंध में भारत की वर्तमान आवश्यकता क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** सैनिक उपकरण से संबन्धित आवश्यकता सभा को नहीं बताई जाती । लेकिन हमें ऐसे हेलीकाप्टरों की आवश्यकता है, जो काफी ऊंचाई तक उठ सकें ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इनके निर्माण के लिये कुछ अन्य देशों के साथ सहयोग करने के प्रस्ताव अनुमोदित हुए हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

1369(Ai) LSD—1.

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या कानपुर के विमान निर्माण डिपो में किसी प्रकार के हेलीकाप्टर के निर्माण का कोई प्रयास किया गया है या किया जा रहा है ; और क्या उस का एक नमूना तैयार किया गया था ।

†**श्री कृष्ण मेनन,** जी , नहीं ।

†**डा० विजय आनन्द :** क्या कोई ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत एक निश्चित संख्या में हेलीकाप्टरों का निर्माण किया जायेगा; यदि हां, तो कितने काल में कितने हेलीकाप्टरों का निर्माण होगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** अभी इस समय निर्माण की कोई योजना नहीं है। वैसे विकास की योजनायें तो चलती ही रहती हैं, लेकिन जब तक विकास पूरा न हो, तब तक उन योजनाओं को प्रकाशित नहीं किया जाता ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** हाल में, एक चीनी हेलीकाप्टर ने हमारे क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश किया था। क्या हेलीकाप्टरों द्वारा हमारे सीमांत प्रदेश की गश्त करने का कोई प्रस्ताव है ; यदि है तो वे हेलीकाप्टर कहां से आयेंगे?

†**श्री कृष्ण मेनन :** यह मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नाथ पाई :** हमारे प्रतिरक्षा बल को हेलीकाप्टरों की आवश्यकता है, इसे देखते हुए, हमारे देश के समाचारपत्रों में कुछ ऐसे समाचार आये थे कि जब तक देश में हेलीकाप्टरों का निर्माण शुरू न हो तब तक सोवियत यूनियन से हेलीकाप्टर लेने की बात चीत चलाई जा रही है। क्या इस के लिये सोवियत यूनियन के साथ कोई करार हुआ है, और यदि हां, तो वे हमारे यहां कब तक आ जायेंगे?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैंने कुछ दिन पहले सभा को सूचित किया था कि हमें सोवियत यूनियन से एक हेलीकाप्टर मिला है, दूसरा हेलीकाप्टर हमें अमरीका से मिला है। आगे के लिये वार्ता चल रही है और जब भी विमान बल को पूर्ण संतोष हो जायेगा कि कौन सा विमान अधिक ऊंचाई तक उड़ सकता है, तभी और आगे कदम उठाये जायेंगे ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या सरकार की हेलीकाप्टरों की आवश्यकता पूरी हो जाती है, या उनकी कमी है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हेलीकाप्टरों की कमी है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** हेलीकाप्टरों का निर्माण करने वाली यह फैक्टरी कब तक अपना काम शुरू कर पायेगी ।

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैं अभी बता चुका हूं कि हेलीकाप्टरों के निर्माण की अभी कोई निश्चित योजना नहीं है। अभी हमें इस पर विचार करना है कि हम जितने हेलीकाप्टरों के निर्माण के लिये संसाधन जुटा सकते हैं, उतने हेलीकाप्टरों का निर्माण करना ठीक भी रहेगा या नहीं। लेकिन सामान्यतया सभी प्रकार के विमानों को विकसित किया जाता है और विमान निर्माण डिपो में उसके परीक्षण चलते रहते हैं। पर जब तक विकास पूरा नहीं होता, तब तक उस को प्रकाशित नहीं किया जाता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नाथ पाई : क्या "लन्दन टाइम्स" में गत मास प्रकाशित हुए इस समाचार में कोई सार है कि भारत सरकार ने इस पर विचार कर लिया है कि उसकी आवश्यकतायें किस प्रकार के हेलीकाप्टरों से पूरी होंगी और उस के बाद ही सोवियत यूनियन से हेलीकाप्टर मंगाने का निर्णय किया गया है ; और क्या इस समाचार में भी कोई तथ्य है कि सोवियत यूनियन को हेलीकाप्टरों के आर्डर भेजने के बाद भी, चीन के हस्तक्षेप के कारण, वहां से हेलीकाप्टर नहीं भेजे जा रहे हैं ?

†श्री कृष्ण मेनन : बिल्कुल नहीं ।

†श्री नाथ पाई : "बिलकुल नहीं", प्रश्न के किस भाग के बार में कहा गया है ?

†अध्यक्ष महोदय : मैं इसे प्रश्न के दोनों भागों के लिये मानता हूं ।

श्रम विधियां

†*२६१. श्री स० मो० बनर्जी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे श्रम विधियां जो सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों पर लागू होती हैं, तीन इस्पात-संयंत्रों पर इस बीच लागू कर दी गयी हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मंत्री का ध्यान उड़ीसा के श्रम मंत्री और श्रम आयुक्त के उन विभिन्न वक्तव्यों की ओर आर्षित किया गया है जिन में उन्होंने कहा है कि रूरकेला इस्पात कारखाने में श्रम विधियों का बड़ा उल्लंघन हो रहा है ? रूरकेला में श्रम - विधियों को लागू किया गया है, अथवा नहीं ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : समाचार पत्रों में प्रकाशित टिप्पणियों की मुझे जानकारी है ? मैंने प्रतिवेदन भी देख लिया है। उस प्रतिवेदन में जिन जिन बातों का उल्लेख था उन को ठीक कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार के श्रम अधिकारी खास तौर से इस बात पर जोर दे रहे थे कि कारखाने की हर इकाई, जैसे जैसे वह बनती जाये, का अलग से, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत, पंजीयन कराया जाना चाहिए । इस पर कुछ विवाद चला था। तब से प्रतिवेदन में बताई गई सभी बातों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा चुकी है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या तीनों इस्पात कारखानों में औद्योगिक विवाद अधिनियम और नियमों के अन्तर्गत निर्माण समितियां, उत्पादन समितियां और सुरक्षा समितियां काम कर रही हैं; और यदि नहीं, तो क्यों ?

†सरदार स्वर्ण सिंह : हमें याद रखना चाहिये कि इन इस्पात कारखानों में उत्पादन शुरू हुये अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुये । इतना ही नहीं, कारखानों के सभी विभागों ने अभी उत्पादन-कार्य

---

†मूल अंग्रेजी में

शुरू नहीं किया है । इसीलिये उनमें अभी वह पूरी व्यवस्था लागू नहीं की गई है, जो पूरा उत्पादन शुरू होने पर की जानी चाहिये । फिर भी एक मोटे तौर पर इन सभी विभिन्न वैधानिक उपायों ने कुछ अपेक्षाओं की ओर इशारा किया है और इनका पालन किया जा रहा है ।

†**पलनियाण्डी** : क्या यह सच है कि अधिकांश मजदूरों को स्थायी नहीं बनाया गया है, और इसीलिये उनमें असंतोष है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह बात तो एक बड़े आम ढंग से कही गई है, म इसे स्वीकार नहीं करता ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या सरकार इन इस्पात फैक्टरियों में पूरा उत्पादन शुरू हो जाने के बाद इनको श्रम विधियों के क्षेत्राधिकारों में लायेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : उनको श्रम विधियों से अलग नहीं रखा गया है । इसलिये, प्रश्न का पहला भाग मूल प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में अपनाये गये रुख को लेकर श्रम विधियों के प्रश्न पर कुछ बहस उठ खड़ी हुई थी ; और क्या पिछले श्रम विवाद जैसे विवादों से बचने के लिये कोई नया सूत्र तैयार कर लिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य जिसका उल्लेख कर रहे हैं, वैसी कोई भी बहस सरकार और परियोजना के बीच खड़ी नहीं हुई । मुझे तो उसकी जानकारी नहीं है । मध्य प्रदेश सरकार और परियोजना अधिकारियों के बीच ऐसा कोई झगड़ा नहीं है ।

†**श्री सूपकार** : उड़ीसा सरकार द्वारा श्रम विधियों सम्बन्धी अनियमितताओं और उनके उल्लंघन की बात बताई जाने के बाद भी, वे जारी रहीं । निश्चित घंटों के बाद स्त्रियों से काम लेने, जैसे इन उल्लंघनों को कब दूर किया गया ? उन अनियमितताओं को बताये जाने के कितने दिन बाद उनको ठीक किया गया ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं यह नहीं बता सकता कि उन त्रुटियों को कब बताया गया और उसके कितने समय बाद उनको ठीक किया गया । लेकिन परियोजना अधिकारियों ने प्रतिवेदित किया है कि अधिकांश त्रुटियां दूर की जा चुकी हैं ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या इन बातों के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार ने औपचारिक रूप से संघ इस्पात मंत्रालय को लिखा था ; या मंत्रालय को इन बातों का पता केवल समाचार-पत्रों से लगा था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह प्रथा नहीं है कि राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार को या परियोजना विशेष के प्रभारी मंत्रालय को लिखें । मूलतः यह मामला परियोजना अधिकारियों और राज्य सरकार के बीच का होता है । यदि परियोजना अधिकारी निरीक्षकों के प्रतिवेदनों में उल्लिखित किसी बात को स्वीकार नहीं करते, तो इन श्रम विधियों के अन्तर्गत ही उनको प्रतिवेदनों की ऐसी बातों के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने अथवा अपील तक करने का अधिकार है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मेरा प्रश्न निर्माण समितियों, उत्पादन समितियों और सुरक्षा समितियों के बारे में था । यह बात मैं समझता हूं कि फैक्टरी का उत्पादन पूर्ण रूप से शुरू होने तक, समितियों का निर्माण . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति । माननीय सदस्य इस तरह आपस में बहस नहीं कर सकते । प्रश्न क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : प्रश्न यह है कि इस्पात कारखानों में निर्माण-समितियां काम कर रही हैं या नहीं ; और यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्व-सूचना चाहिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या इन तीनों इस्पात करखानों में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ लागू किया गया है; और क्या यह सच है कि श्रम मंत्रालय ने विधियों के उल्लंघनों की ओर इस्पात खान और इंधन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कर्मचारियों पर लागू होता है, और मुझे श्रम मंत्रालय द्वारा इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय को लिखी गई किसी बात की जानकारी नहीं है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात परियोजना के अधिकारियों ने इस्पात फैक्टरी में होने वाले श्रम विधियों के उल्लंघनों के सम्बन्ध में श्रम आयुक्त द्वारा भारत सरकार को लिखी गई सभी बातों को स्वीकार नहीं किया था; और यदि हां, तो परियोजना अधिकारियों और राज्य सरकार के बीच विवाद किन बातों पर उठा था । ?

†**सरदार स्वर्णसिंह** : परियोजना अधिकारी यदि निरीक्षकों के प्रतिवेदनों में उल्लिखित कुछ बातों से सहमत न हों, तो उनको असहमति प्रकट करने का अधिकार है; ठीक वैसे ही जैसे कि निजी क्षेत्र के हर कारखाने को उन बातों के विरुद्ध प्रतिनिधित्व करने का अधिकार रहता है जिनसे वे सहमत न हों । मैं पहले बता चुका हूं कि विशेष तौर पर एक प्रश्न के सम्बन्ध में कुछ मतभेद था—इस प्रश्न पर कि कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत समूचे कारखाने को पंजीयित कराया जाये अथवा उसकी अलग-अलग इकाइयों को । मैं सभा को यह भी बता दूं कि टाटा वर्क्स जैसे कारखाने भी कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत समूचे ही पंजीयित होते हैं, उनके अलग-अलग विभागों का पंजीयन नहीं कराया जाता । परियोजना अधिकारियों और सम्बन्धित निरीक्षकों के बीच उनके प्रतिवेदन में कही गई कुछ बातों पर मत भेद होना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं ।

चीनियों द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण

+

†*२६२. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री हेम बरुआ ।
श्री कोरटकर :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने आकाश सीमा के अतिक्रमण के सम्बन्ध में भारत के टिप्पण (नोट) को अस्वीकार कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस विषय में आगे और क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां। १० सितम्बर तक भेजे गये विरोधपत्रों के सम्बन्ध में यही बात है और वह चीन सरकार का अंतिम पत्र है।

(ख) और (ग). इस सम्बन्ध में, १४ नवम्बर, १९६० को प्रधान मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये श्वेतपत्र संख्या चार की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

†**श्री भक्त दर्शन** : चूंकि हमारे सभी विरोध पत्रों की अब तक उपेक्षा की गई है, क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई कड़ी कार्यवाही करने पर विचार किया है या विचार कर रही है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : उस समय के बाद अतिक्रमण के सम्बन्ध में सरकार ने विरोध किया है जो सरकार के अभी हाल के पत्र के पैरा ३ से स्पष्ट होता है। यह पत्र प्रधान मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया है। १८ सितम्बर को हेलीकाप्टर द्वारा अतिक्रमण के बारे में हमें अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि केवल विरोध पत्रों के अलावा, कोई और कार्यवाही भी की गयी है या नहीं ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने बताया कि उन विरोध पत्रों का हमें कोई उत्तर नहीं मिला है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने श्वेतपत्र संख्या ४ की ओर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। इस पत्र में भारत सरकार ने चीन सरकार से प्रार्थना की है कि वह अपने विमान चालकों को भारतीय आकाश सीमा में प्रवेश न करने की हिदायत दें। इस पर चीन सरकार ने यह उत्तर दिया कि भारत सरकार की यह कार्यवाही अत्यंत अमैत्रीपूर्ण है और १८ सितम्बर के बाद भी जब कि चीनी हेलीकोप्टर ने हमारे क्षेत्र में उड़ानें की थीं, चीनी विमानों ने करीब नौ बार नाथू ला और जला पला के पास भारत में आकाश सीमा का अतिक्रमण किया था। क्या मैं जान सकता हूं कि उसके बारे में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है और यदि चीनी उत्तर न दें, तो सरकार क्या करेगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं उसका ब्योरा स्वीकार या अस्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं। २४ अक्तूबर को वैदेशिक कार्य मंत्रालय से भेजे गये पत्र के पैरा ३ में इन दो अतिक्रमणों का उल्लेख किया गया था और इन विरोध पत्रों का कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस श्वेतपत्र में यह कहा गया है कि भारतीय विमान सिक्किम क्षेत्र की ओर नहीं जाते और अभी हाल में चीनी विमानों नाथू ला और जला पला आकाश सीमा को नौ बार अतिक्रमण किया। क्या मैं जान सकता हूं कि श्वेतपत्र में जो कुछ लिखा है उससे परे भी जायेंगे या जितनी बार वे चाहें हमारी आकाश सीमा का उन्हे अतिक्रमण करने देंगे ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : पहले के विरोध के सम्बन्ध में चीनी सरकार ने बिल्कुल इन्कार कर दिया है और मैं समझता हूं कि कहीं पर उन्होंने यह भी कहा है कि यदि कोई विमान वहां जाते हैं तो वे अवश्य ही किसी दूसरे देश के होंगे। उन्होंने तो वास्तव में उस देश का नाम भी बताया है। अतः उन्होंने वह विरोध बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया है।

†मूल अंग्रेजी में

लगभग १६००० फीट की ऊंचाई पर इन विमानों को , जब कि वे रात में उड़ते हैं, पहचानना बहुत आसान नहीं है । हम निश्चय ही उन्हें गोली मारकर गिरा सकते हैं । हम वैसा करने के पूर्ण अधिकारी हैं और जब कभी हमें मौका मिले हम वैसा कर सकते हैं लेकिन इस समय हम राजनयिक साधनों के द्वारा यह मामला निबटा रहे हैं और किसी विमान का पता लगाने और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं । ऐसी कोई खास कार्यवाही नहीं है जिसके बारे में मैं सोचूं । हम विमान का पता लगाना चाहते हैं । और उसे नीचे गिराना चाहते हैं । जब कभी संभव हो हम उस तरह करने के लिये पूरी तरह तैयार हैं । लेकिन सामान्यतया, रात में किसी रोशनी या और किसी चीज की तेज झलक दिखायी पड़ती है और उससे केवल इतना ही मालूम होता है कि एक तेज विमान उस ऊंचाई पर उड़ रहा है और यह कुछ नहीं पता लगता कि वह किस ढंग का विमान है या किसका है ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : चीनियों ने अपने पत्र में जिस देश का उल्लेख किया है क्या उसका नाम मैं प्रधान मंत्री से पूछ सकता हूं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : वह सब श्वेतपत्र में दिया हुआ है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : श्वेतपत्र में यह लिखा है कि श्री चाउ एन लाई ने हमारे प्रधान मंत्री को बताया कि कुछ अमरीकी हवाई जहाज उस क्षेत्र पर उड़ते होंगे । अमरीकी हवाई जहाज केवल या तो बैंकाक या पाकिस्तान से जा सकते हैं । बैंकाक से या किसी अन्य पूर्वी क्षेत्र पर उड़ते हुए उन्हें बर्मा या भारतीय प्रदेश या भूटानी प्रदेश पर उड़ना होगा । क्या भारत सरकार ने किसी अवसर पर इन विमानों को असम या बंगाल के भारतीय प्रदेश पर या दक्षिण भूटान क्षेत्र पर भी देखा था अथवा ये विमान केवल सिक्किम भूटान या उत्तर प्रदेश के उत्तर की ओर और लद्दाख क्षेत्र में ही दिखाई पड़ते थे ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई ने मुझे जो कुछ बताया था वह वही है जो माननीय सदस्य ने अभी कहा है । अन्तर केवल इतना ही है कि ये विमान संभवतः, क्यों कि उन्हें निश्चित नहीं मालूम था, फार्मोसा, तैवान या बैंकाक से आते हैं । इन दो जगहों का उल्लेख उन्होंने इसलिए किया कि वहां उड़ने का अर्थ है कि उन्होंने कहीं पर बर्मा को अवश्य ही पार किया होगा या वे चीनी प्रदेश, मुख्य चीन को और असम के किसी भाग या हिस्से को पार करे । मैं नहीं समझता कि हमने वहां उन्हें कभी देखा हो । जो ब्योरा हम दे सके वह श्वेतपत्र में हमने दिया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस बात को देखते हुए कि दिसम्बर, १९५९ से अब तक चीनियों ने पचास से अधिक बार आकाश सीमा का अतिक्रमण किया है, चीनी सरकार का यह आरोप कहां तक सच है कि आकाश सीमा अतिक्रमण के बारे में भारत बिना सोचे समझे और यह मालूम किये बिना ही कि वे तथ्य सही हैं या गलत, विरोध करता है ? क्या इनमें से हरेक मामले में हमने बिना सोचे समझे ही विरोध किया है जैसा कि चीन ने कहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय सदस्य का यह कहना है कि कोई सरकार इतनी लापरवाह होगी ? दूसरी सरकार हमेशा ही हम पर दोषारोप करती है । माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने चीनी सरकार के विरुद्ध लापरवाही से आरोप लगाये हैं ? यदि हम आरोप करते हैं तो दूसरे भी कहेंगे कि "वे लापरवाही हैं ।"

†**श्री नाथ पाई** : श्वेतपत्र में चीन द्वारा आकाशसीमा अतिक्रमण के १०० से अधिक मामलों का उल्लेख है । पृष्ठ ३४ में यह लिखा है कि चीनी सरकार ने भारत सरकार के आरोपों को अस्वीकार

†मूल अंग्रेजी में

करते हुए भारत सरकार को यह चुनौती दी है कि भारत की आकाश सीमा के अन्दर यदि विमान पाये जायें तो वह उन्हें मार गिराये। इस चुनौती के बारे में भारत सरकार का क्या करने का विचार है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : उन्होंने यह कहा है "यदि आप हमारे हवाई जहाज न पायें तो किसी भी विमान को जो आपका न हो, उसे मार गिरायें। "इसलिए उनका सुझाव यह था कि वे विमान उनके नहीं हैं, वे किसी और देश के हैं और उन्हें बड़ी प्रसन्नता होगी यदि हम उन्हें मार गिरायें।

मैंने अभी अभी इस प्रश्न का विवेचन किया है। यह कोई बहुत आसान मामला नहीं है। जहां कहीं हम कर सकते हैं हम अवश्य ही करेंगे। लेकिन कहीं आधी रात में एक या दो सेकन्ड के लिए एकाएक कोई रोशनी दिखायी पड़ती है और तुरन्त गायब हो जाती है। उसके लिए या तो आकाश में हवाई जहाजों का काफी बड़ा बेड़ा हो, जैसा कि योरप में है, कि पता लगाने के लिए हजारों विमान हमेशा उड़ते रहते हैं या फिर मौके की बात हो। मैं तो यह कहूंगा कि अक्सर ये रिपोर्टें एक ही हवाई जहाज कई जगहों पर उड़ते हुए देखे जाने के बारे में होती हैं ताकि उसे छ: रिपोर्टें कहा जा सकता है या एक ही जहाज कई जगह देखा गया हो।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : १५ सितम्बर से आकाश सीमा अतिक्रमण के कितने मामलों का पता लगा है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं एकाएक नहीं बता सकता। श्वेतपत्र में उसकी छपाई की तारीख तक की जानकारी दी हुई है।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : यह प्रश्न प्रतिरक्षा मंत्री से पूछा गया है। प्रधानमंत्री ने अभी हमें बताया कि उस ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को मार गिराना बहुत कठिन है। वह ठीक हो सकता है किन्तु प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि आवश्यकता पड़ने पर हमारे विमान उन्हें रोक सकेंगे?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हम वैसा करने की कोशिश करेंगे। कभी हम सफल, तो कभी असफल भी हो सकते हैं। हम निश्चित रूप से उस बारे में आश्वासन नहीं दे सकते।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या हमारी सीमाओं पर रेडार नहीं लगाये गये हैं जिनसे उन विमानों को देखने से बहुत पहले ही हमें उनका पता चल जाये?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं समझता कि हमारे सहयोगी प्रतिरक्षा मंत्री खुले आम यह बताने के लिए तैयार होंगे कि हमने यहां रडार कहां कहां लगाये हैं।

†**श्री कर्णी सिंहजी** : ज्यों ही कोई हवाई जहाज हमारे प्रदेश में आता है, क्या रडार स्टेशनों की ऐसी कोई व्यवस्था है कि पहला रडार स्टेशन अगले रडार स्टेशन को चेतावनी दे ताकि उसका प्रतिकार किया जा सके?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं यह इन्कार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि ऐसे स्टेशन हैं। किन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया, केवल विमान का पता लगा लेना ही पर्याप्त नहीं है लेकिन तब तक वहां तक पहुंचना संभव नहीं है जब तक कि उस ऊंचाई पर आकाश में हवाई जहाजों का पूरा बेड़ा हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** यह कहा जाता है कि पाकिस्तान जैसे कुछ देश अपनी आकाश सीमा का अतिक्रमण रोकने के लिए कुछ हवाई जहाजों को आकाश में ऊंचाई पर उड़ते हुए रखते हैं। क्या हमारा विमान बल भी ऐसा ही करता है?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान क्या करता है।

†**श्री वाजपेयी :** पहले एक नरम विरोध पत्र और बाद कड़ा विरोधपत्र भेजने के अलावा, सरकार इन आकाश सीमा अतिक्रमणों को समाप्त करने के लिए और कौन सी कार्यवाही करने का विचार करती है?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** उन्हें मार गिराने के सिवा और दूसरी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों पर रोक

†*२६३. **श्री दी० च० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री प्र० गं० देव :
श्री राजेन्द्र सिंह :
कुमारी मो० वेद कुमारी :
श्री हेम बरुआ :
श्री दामानी :
श्री अर्जुन सिह भदौरिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शेयर बाजारों में सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों पर रोक लगाने की कार्यवाहियों पर भारत सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार की कार्यवाहियां हैं; और

(ग) वे संभवतः कब तक लागू की जायेंगी?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) से (ग). जैसा कि अभी हाल के सप्ताहों में काफी स्थिर कीमतों से यह स्पष्ट है, इन कार्यवाहियों से, जैसे आढ़तियों से सौदों के दैनिक विवरण, काफी बड़े वादों के बारे में आढ़तियों को चेतावनी और हानि को पूरा करने के लिए जमा की जाने वाली रकमें बढ़ाना, सट्टेबाजी की कार्यवाहियां रोकने में मदद मिली है। सरकार ने इन प्रवृत्तियों पर बराबर नज़र रखी है और जब जरूरत होगी तब उचित उपाय करेगी।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** इन असामाजिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए कोई यथोचित विधान लागू करने का कोई प्रयत्न किया जायगा?

†**श्री ब० रा० भगत :** उनकी रोकथाम के लिए हमारे पास पर्याप्त विधायिनी शक्ति है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : क्या यह सही है कि बम्बई और कलकत्ता, इन दोनों स्थानों पर अभी भी इस प्रकार का रोजगार उसी प्रकार चल रहा है जिस प्रकार कई वर्षों पहले चल रहा था, और क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई करने की सिफारिश बम्बई या बंगाल की सरकार ने की है ?

श्री ब० रा० भगत : बम्बई और बंगाल की सरकारों से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है । बम्बई और कलकत्ता के स्टाक एक्स्चेन्जों से हमारा बिल्कुल सीधा सम्पर्क है और वह ऐसी हरकतों की देखभाल करते हैं । सिक्योरिटी ऐक्ट और दूसरी तरह से हमें सब अधिकार प्राप्त हैं जिनसे हम इन बातों पर नियंत्रण करते हैं ।

†**श्री खीमजी** : क्या शेयरों के हस्तान्तरण के बारे में कंपनी संस्थापकों पर कोई रोक लगाने की योजना है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : जो भी आवश्यक समझा जायगा किया जायगा । किन्तु यदि हम निश्चित कार्यवाहियों के बारे में कोई संकेत दें, तो उसके कारण ही कुछ सट्टेबाजी हो जायगी ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या मुख्यतः विदेशी सहकार्य से उद्योगों की उन्नति की संभावना ही इस देश में सट्टेबाजी की प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी है और यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस सट्टेबाजी के कारण खाद्य पदार्थों जैसी वस्तुओं के दाम पर असर पड़ता है और यदि ऐसा हो तो उसके पुनर्गठन के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री ब० रा० भगत** : इसमें कुछ तो ठीक है । इसमें और भी बहुत सी पेचीदा बातें हैं । मैं समझता हूं कि जो कार्यवाही हमने की है उससे हमें सफलता मिली है । कीमतें गिर गयी हैं और अब स्थिर हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : मैंने अभी जिस बात का उल्लेख किया है उसके अलावा और कौन कौन सी बातें सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों के लिए उत्तरदायी हैं ?

†**श्री ब० रा० भगत** : क्या माननीय सदस्य सट्टेबाजी के कारणों के बारे में एक लंबी बहस में मुझे शामिल करना चाहते हैं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी** : अनाज के दाम घटने बढ़ने का एक कारण यह है कि अनाज पर सट्टा होता है । क्या सरकार देश के हित में ऐसी बातों पर पाबन्दी लगायेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह शेयर बाजार के संबंध में है । (अन्तर्बाधा) अगला प्रश्न ।

भारत में चीनी राष्ट्रजन

+

*†२६४. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० के० देव :
डा० सामन्त सिंहार :
श्री कोरटकर : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन मास में कितने चीनी राष्ट्रजनों को भारत छोड़ने का आदेश दिया गया और उन में से कितनों पर भारत-विरोधी गतिविधियों में भाग लेने का संदेह किया गया है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : १२ जिनमें से ११ भारत-विरोधी गतिविधियों के कारण थे ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या यह सच है कि अधिकतर चीनी निवासी कलकत्ता और कालिम्पोंग में रहे रहे हैं ?

†श्री गो० ब० पन्त : कलकत्ते में चीनी लोग काफी बड़ी संख्या में हैं और कालिम्पोंग में भी काफी संख्या में हैं ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या यह सच है कि चीनी दूतावास ने यह आदेश वापस ले लेने के लिये कहा है जो एक बैंक अधिकारी, एक प्राध्यापक और दो प्रमुख्य व्यापारियों को दिया गया है कि कुछ समय की अवधि के अन्दर ही उन्हें यह देश छोड़ देना होगा, और क्या उन्होंने इस आदेश से मुक्त होने की मांग की है ?

†श्री गो० ब० पन्त : कुछ मामलों में चीनी दूतावास ने या उसकी ओर से किसी और ने अभ्यावेदन किये हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या भारत सरकार को इस बात का पता है कि कलकत्ते में और दूसरी जगहों पर चीनी लोगों ने होटलों के नाम पर और दूसरी दुकानों के नाम पर ऐसे अड्डे बना रखे हैं जहां अभारतीय कार्य हो रहे हैं, और यदि हां, तो भारत सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

श्री गो० ब० पन्त : इस बात पर वहां की सरकार बराबर नजर रख रही है और जहां कोई जरूरत समझती है वहां कार्रवाई करती है ।

श्री म० ला० द्विवेदी: क्या ऐसे किसी केस का पता चला है जहां होटलों या दुकानों के नाम से ऐसी कार्रवाई की गयी हो ?

श्री गो० ब० पन्त : जो आदमी यहां से गए हैं शायद उनमें से कुछ का ताल्लुक ऐसे होटलों वगैरह से हो ।

†डा० विजय आनन्द : क्या भारत में चीनी राष्ट्रजनों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ? क्या उन पर निगरानी रखना आवश्यक नहीं है ?

†श्री गो० ब० पन्त : लोगों पर निगरानी रखने के लिए उन पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक नहीं है ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : चीनी लोग जो भारत-विरोधी कार्यवाही कर रहे हैं वह किस प्रकार की है ?

†श्री गो० ब० पन्त : मझे आशंका है कि यह कार्यवाही किस प्रकार की है यह बताना लोक-हित में नहीं होगा ।

†श्रीमती इला पालचौधरी : क्या सरकार को मालूम है कि नथुल्ला और जल्पला दर्रों संबंधी पर्चियां चीनी राष्ट्रजनों को हवाई जहाजों से बांटी गयी है और वे इन पर्चियों के मुताबिक काम कर रहे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गो० ब० पन्त** : यह इन लोगों के निष्कासन से संबंधित नहीं है ।

†**श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या यह सच है कि अनेक चीनियों ने भारतीय नागरिकता की मांग की है और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं नहीं समझता कि काफी अधिक व्यक्तियों ने आवेदन किया है बल्कि कुछ ही लोगों ने किया है और प्रत्येक मामले का निर्णय उसके गुणदोषों के आधार पर किया जाता है ।

†**श्री प्र० के० देव** : जिन चीनियों ने भारत-विरोधी गतिविधियों में भाग लिया उनमें से कितनों के पास चीन गणतंत्र के पारपत्र हैं, कितनों के पास के एम टी के हैं और कितने राज्यहीन व्यक्ति हैं

†**श्री गो० ब० पन्त** : हम ठीक ठीक नहीं बता सकते कि कितनों के पास विभिन्न प्रकार के पारपत्र हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे यह जानना चाहते हैं कि इन ११ व्यक्तियों में से कितनों के पास विभिन्न प्रकार के पास हैं ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : क्या वह यह जानना चाहते हैं कि कितने लोगों के पास लोक गणतंत्र राज्य के और के एम टी के पारपत्र हैं और कितने राज्यहीन हैं ? मैं समझता हूं कि उनमें से अधिकतर लोगों के पास चीन गणतंत्र के पारपत्र हैं ।

†**श्री ब्रज राज सिंह** : क्या सरकार के ध्यान में यह समाचार आए हैं जिनमें कहा गया है कि उत्तरी सीमान्त में कुछ चीनी नागरिकों द्वारा इस तरह के समाचार फैलाए जा रहे हैं कि चीन में जो शासन है उससे वहां की जनता बहुत संतुष्ट है, और यहां पर बड़ी बदअमनी है ? यदि ऐसा है, तो सरकार ऐसे चीनी नागरिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की सोचती है ?

श्री गो० ब० पन्त : यहां पर खास बदअमनी है, यह बात तो सुनने में नहीं आयी, मगर यह बात सुनने में आयी है कि कुछ लोग वहां सीमा में यह कहते हैं कि चीनी हिस्से में जो लोग रहते हैं वह खुशहाल हैं, उनकी ज्यादा खातिरदारी होती है वहां की गवर्नमेंट की तरफ से, और यहां बारडर में वैसा नहीं है ।

†**श्री आसर** : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बैंक आफ चाइना के कुछ कर्मचारियों ने भारत विरोधी गतिविधियों में भाग लिया है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : यदि उन्होंने भाग लिया हो, तो शायद राज्य सरकार ने आवश्यक कार्यवाही भी की होगी यह प्रश्न सामान्य रूप का है । इसमें किसी विशिष्ट मामले का निर्देश नहीं है ।

†**श्री यादव नारायण जाधव** : क्या यह सच है कि कालिम्पोंग में अनेक चीनी राष्ट्रजन हैं जो चाय की और जूते की दूकानें करते हैं और उन दूकानों में उन्हें कोई काम नहीं रहता ?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं नहीं बता सकता । लेकिन कुछ लोग जो कालिम्पोंग में दूकानें चलाते हैं या और किसी तरह रह रहे हैं, अपना समय बिताने के लिये कुछ और काम भी करते होंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेवा के छोटे नाम का प्रयोग

+

*२६५. { **श्री नरदेव स्नातक :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार सेवा के छोटे नामों अर्थात् आई० सी० एस०, आई० एफ० एस०, आई० ए० एस०, आई० पी० एस० का अपने उच्च अधिकारियों द्वारा अपने नामों के पीछे प्रयोग निषिद्ध करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रथा कब तक बंद कर दी जायेगी ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी ऐसा ही सुझाव दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). जी हां । इस विषय में जारी किए गए अनुदेशों की एक प्रतिलिपि सभा-पटल पर रख दी है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७२]**

(ग) कथित अनुदेशों की प्रतिलिपि राज्य सरकारों को भेजी गई है । राज्य सरकारों द्वारा नियन्त्रित सेवाओं के संबंध में निर्णय उन सरकारों पर निर्भर है ।

श्री नरदेव स्नातक : क्या यह इस बात का द्योतक नहीं है कि कुछ सरकारी कर्मचारी आई० सी० एस०, आई० पी० एस० आदि की उपाधियां लगा कर अपने आपको हैविन बार्न सर्विस का मान कर दूसरे छोटे कर्मचारियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं ?

श्री गो० ब० पन्त : ये इस तरह से देखते हैं या नहीं यह तो मालूम नहीं, मगर अब आयन्दा के लिए यह सिलसिला बन्द किया जा रहा है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार को इस बात का पता चला था कि जो लोग आई० सी० एस०, आई० पी० एस०, आई० ए० एस० इत्यादि हैं, ये इन पदों का दुरुपयोग कर रहे हैं, अन्यथा क्या कारण है कि भारत सरकार ने यह उचित समझा कि ये पद वे अपने नाम के साथ न लिख सकें ?

श्री जो० ब० पन्त : पे कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि चूंकि और सरविसेज में इस तरह से पद नहीं लिखा जाता, इसलिए इन सरविसेज में भी इसकी कोई जरूरत नहीं मालूम देती । इसलिए इस सिफारिश के मुताबिक यह हिदायत दी गयी थी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अन्य सेवाओं में उन्हें इंजीनियर तथा डाक्टर नहीं कहा जाता ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि कौन से ऐसे कारण थे कि पे कमिशन ने इसको बन्द कर देना उचित समझा । बहुत से अन्य देशों में इस प्रकार पद लिखे जाते हैं । क्या पे कमीशन के पास कोई ऐसा आधार था कि जिसके कारण उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि यहां पर ये पद लिखे जाएं ।

श्री गो० ब० पन्त : और देशों में यह सिलसिला जारी है या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश के लिए पे कमीशन ने यह समझा कि इससे कोई फायदा नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिरूमल राव** : क्या सरकार ने वेतन आयोग की इस दिशा में दी गयी सूक्तियों का परीक्षण किया है। क्या प्रशासन के पक्ष के अतिरिक्त इसके प्रति लोगों द्वारा विरोध प्रकट किया गया है?

†**श्री गो० ब० पन्त** : मुझे इस दिशा में कोई विरोध पत्र प्राप्त नहीं हुआ ?

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या इससे सचिवालय का कार्य काफी नहीं बढ़ जायेगा। बिना पद का उल्लेख किए पत्र का पता लगाने में काफी देर लग जाया करेगी?

†**श्री गो० ब० पन्त** : सचिवालय का काम कम हो जायेगा, क्योंकि इस प्रकार की आने वाले पत्र बहुत कम हो जायेंगे।

†**श्री हेम बरुआ;** : क्या यह सत्य नहीं; तुलना के बिना लोक तंत्र में कोई आनन्द नहीं। अतः इन पदनामों को कायम रखा जाना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री भक्त दर्शन।

†**श्री हेम बरुआ** : मेरे प्रश्न का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें इसका उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा।

†**श्री गो० ब० पन्त** : मैं तो उत्तर दे रहा था परन्तु आपने ऐसा करने की अनुमति ही नहीं दी।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं अब उन्हें फिर कभी बुलाऊंगा।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमान्, क्या अन्तिम निर्णय करने से पहले शासन ने इस बात पर भी विचार किया था कि जिस विभाग के अधिष्ठाता के रूप में कोई आई० सी० एस० काम करते हैं वहां जितनी तेजी से काम होता है, उससे कम तेजी से उसे विभाग में होता है जिसके अधिष्ठाता कोई आई० ए० एस० अफसर होते हैं, और उससे भी कम तेजी से काम वहां होता है जहां अन्य पद के अफसर होते हैं। इसलिये क्या काम के दृष्टिकोण से भी इन पदों का लिखा जाना उचित नहीं था?

श्री गो० ब० पन्त: मैं इस बात को सही नहीं समझता कि जहां एक आई० ए० एस० वाले काम करते हैं वहां वे दूसरे जो कि उस टाइटिल को नहीं रखते हैं उनसे ज्यादा काम होता है या जो आई० सी० एस० वाले होते हैं उनसे और ज्यादा होता है। यह तो आदमी पर मुनहसिर है कि कितना काम कर सकता है और उन पर निर्भर है जो कि उसके नीचे काम करते हैं।

†**श्री रघुवीर सहाय** : क्या इन पदनामों के उल्लेख पर पाबन्दी लगने के सम्बन्ध में इन सेवाओं से कुछ प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

†**श्री गो० ब० पन्त** : इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसमें न तो उन्हें कोई दंड दिया जा रहा था और न उनकी कोई इसमें हानि ही होती थी। इस दिशा में कोई अभ्यावेदन आज तक प्राप्त नहीं हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों का शायद यह विचार था कि उनके आगे संसद्-सदस्य लिखना भी शायद बन्द कर दिया जायेगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां स कार ने इन पदों को हटाने का निश्चय किया था तो क्या सरकार इस भेदभाव को मिटाने के लिये तनख्वाहों में भी कोई कमी करेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गो० ब० पन्त : जी नहीं, ऐसा कोई इरादा नहीं है ।

चिट फंडों पर नियंत्रण

+

†*२६६. { **श्री अ० मु० तारिक :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वै० चं० मलिक : }

क्या **वित्त मंत्री** ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २४८६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिल्ली में चिटफंडों के विनियमन और नियंत्रण के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय किया गया है ?

†**वित्त उप मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** मामला विचाराधीन है ।

श्री अ० मु० तारिक : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस मामले को तय करने में कितनी मुद्दत लगेगी क्योंकि पिछले सेशन में भी एक क्वैश्चन के जवाब में यही कहा गया था कि मामला अभी जेरे-गौर है ?

श्री ब० रा० भगत : जल्दी से जल्दी कोशिश की जा रही है ।

श्री अ० मु० तारिक : मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले सेशन और इस सेशन के दरमियान क्या वजारत मालियात के नोटिस में ऐसी शिकायतें आई हैं कि जिनमें यह कहा गया हो कि यह कम्पनियां गबन करती हैं या इनका इंतजाम दुरुस्त नहीं है और अगर ऐसा है तो क्या उनसे तहकीकात की गई है ?

श्री ब० रा० भगत: अभी तक कोई ऐसी बड़ी शिकायत तो नहीं पहुंची है । अभी दिल्ली में २६ कम्पनियां हैं जो कि काम कर रही हैं और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन अभी एक ऐसा कानून बनाने का विचार कर रहा है कि यह सारी जो शिकायतें हैं और यह हो सकता है कि वे बेईमानी और गबन की हों, तो उनको दूर किया जा सके । यह मामला बड़ा संगीन है और हर एक पहलू से इस पर विचार किया जायेगा ।

हिन्दी विश्वकोष

+

†*२६७. { **श्री बहादुर सिंह :**
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री नरदेव स्नातक :
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या काशी नागरी प्रचारणी सभा ने भारत सरकार के लिये प्रस्तावित हिन्दी विश्व-कोष का प्रथम खंड तैयार कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस विश्वकोष के अन्य खंड प्रकाशित करने में कितना समय लगेगा ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये भारत सरकार ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा को कोई सहायता दी है ;

(घ) यदि हां, तो कितनी ; और

(ङ) क्या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में इसी प्रकार के विश्वकोषों के संकलन की कोई योजना है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी हां ।

(ख) विश्वकोष का दूसरा भाग छप रहा है । सम्पूर्ण कार्य के १९६४ के अन्त तक समाप्त हो जाने की संभावना है ।

(ग) और (घ). इस विश्वकोष के निर्माण का व्यय भारत सरकार ने किया है । इस दिशा में २.५५ लाख रुपये की राशि अब तक दी जा चुकी है ।

(ङ) फिलहाल शिक्षा मंत्रालय के समक्ष ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

†**श्री बहादुर सिंह :** क्या कारण है कि प्रादेशिक भाषाओं के सम्बध में विश्वकोष बनाने के कार्य के लिये कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा ?

†**डा० केसकर :** यदि कोई ऐसी योजना हो तो अनुदान दिये जाने में कोई रुकावट नहीं । अभी हाल जो हिन्दी विश्वकोष के निर्माण की ओर इसलिए ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इसे संविधान में देश की राष्ट्रभाषा मान लिया गया है । और इस प्रकार के विश्वकोष के निर्माण की आवश्यकता समझी गई थी । सरकार की सहायता के बिना यह कार्य पूरा किया जाना सम्भव नहीं था ।

†**श्री बहादुर सिंह :** क्या प्रादेशिक भाषाओं की किसी संस्था ने इस प्रकार के कार्य को करने के लिये सरकार से सहायता मांगी है ?

†**डा० केसकर :** मैं कुछ नहीं कह सकता, परन्तु उन्हें सहायता देने के मार्ग में कोई रुकावट नहीं है । उन्हें सहायता दी जा सकती है ।

†**डा० विजय आनन्द :** [क्या इस हिन्दी विश्वकोष का मूल्य इतना होगा कि जनसाधारण इसे आसानी से खरीद सके अथवा इसके सस्ते संस्करण के प्रकाशित करने की व्यवस्था की गयी है ?

†**डा० केसकर :** मैं इतना कह सकता हूं कि इसका मूल्य बहुत अधिक नहीं होगा ।

†**सेठ गोविन्द दास :** क्या यह पहले खंड के तैयार होने में जो इतना समय लगा तो क्या उसका यह भी कारण हुआ कि सरकार से जो सहायता नागरी प्रचारिणी सभा को मिलनी चाहिये थी उसमें बहुत विलम्ब हुआ और यदि यही बात सही है तो क्या भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि काम में देरी सहायता पहुंचने की वजह से न हो ?

†**डा० केसकर :** मैं नहीं जानता कि विलम्ब जो हुआ वह सरकार से सहायता न मिलने के कारण हुआ । माननीय सदस्य एक प्रसिद्ध लेखक हैं और वे जानते हैं कि इतने बड़े काम को हाथ

†मूल अंग्रेजी में

में लेने पर आरम्भ में कुछ विलम्ब अनिवार्य है वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जो खंड प्रकाशित होंगे वे ज्यादा शीघ्रता से निकलेंगे ।

श्री नरदेव स्नातक : क्या माननीय मंत्री ने हिन्दी विश्वकोष के प्रथम खंड को देखा है और यदि देखा है तो मैं जानना चाहता हूं कि उसकी शब्दावली सरल है या कठिन है ?

डा० केसकर : मझे मालूम नहीं माननीय सदस्य की क्या राय है लेकिन एनसाइक्लोपीडिया सब दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए तैयार की गई है । माननीय सदस्य जानते हैं कि गृह मंत्री श्री गोविन्द बल्लभ पन्त उसके चेअरमैन हैं ।

श्री ब्रज राज सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हिन्दुस्तान के विधान में वह १२ भाषायें जिनको शैड्यूल में रखा गया है और वे राष्ट्रीय भाषायें कहलाती हैं, क्या सरकार यह इरादा रखती है कि वह यदि स्वयं नहीं तो राज्य सरकारों को मदद देकर अन्य भाषाओं में भी इस तरह के विश्वकोष जल्दी तैयार करने का प्रयत्न करे ?

डा० केसकर : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है लेकिन शायद वह नहीं जानते कि कोई राज्य सरकारें इस मामले में सहायता दे रही हैं और कई भाषाओं में विश्व कोष तैयार हो गये हैं और प्रकाशित हो रहे हैं । हम यह उचित ही समझेंगे कि सब भाषाओं में इस प्रकार के विश्व-कोष प्रकाशित हों ।

†श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या सरकार को इस बात का पता है कि विभिन्न राज्यों की साहित्य अकादमियां भी प्रादेशिक भाषाओं में विश्व कोष निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन दे रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है जिसमें प्रादेशिक भाषाओं में विश्व कोष तैयार करने के लिये इन साहित्य अकादमियों को सहायता दी जाये ? क्या उड़ीसा से इस प्रकार की किसी सहायता की मांग की गई है ?

†डा० केसकर : प्रोत्साहन देने की कोई विशेष प्रस्थापना तो नहीं है । परन्तु मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि यदि कोई इस प्रकार की प्रस्थापना सामने आई तो उसे पूरा प्रोत्साहन दिया जायेगा । साहित्य अकादमियों को इस काम के लिए विशेष तौर पर नहीं कहा जा रहा । कुछ राज्यों में इस दिशा में अपने आप ही काम हो रहा है और कई भाषाओं ने तो अपने विश्वकोष तैयार भी कर लिये हैं । उनके पास बड़े अच्छे विश्व कोष हैं ।

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): मैं इस सम्बन्ध में सूचना दे दूं । वास्तव में इस सम्बन्ध में दिये गये हैं और दिये जा रहे हैं ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, जहां तक मुझे ज्ञात है इस विश्व कोष के तैयारी में ही लगभग ४, ५ वर्ष का समय लग गया और अभी यह कहा जा रहा है कि सन् १९६४ में यह कार्य पूरा हो सकेगा तो क्या इस कार्य को करने में शीघ्रता लाने का प्रयत्न किया जायगा ?

डा० केसकर : अवश्य प्रयत्न किया जायगा ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विश्वकोष के तैयार करने के लिए विभिन्न भाषाओं के हिन्दी विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया गया है और भारत सरकार की शिक्षा

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय से क्या ऐसे कोई विशेषज्ञ हिन्दी जानने वाले इस विश्वकोष के तैयार करने के सम्बन्ध में रखे गये हैं और यदि हां तो वे कौन हैं ?

डा० केसकर : उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बिठा दी गई थी और उसके मेम्बरान यह हैं। उसके चेअरमैन हैं श्री हुमायून कबिर और मेम्बरान हैं श्री इंद्र विद्यावाचस्पति, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० डी० एस० कुठारी, श्री नीलकंठ शास्त्री, श्री बाबू राम सक्सेना, श्री राज बली पांडे और श्री सिद्धेश्वर वर्मा। श्री अग्निहोत्री उसके सेक्रेटरी हैं।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिसके द्वारा विश्वकोष में प्रकाशित पारिभाषिक शब्दों तथा सरकार द्वारा प्रकाशित शब्दों में समन्वय स्थापित किया जाता हो ताकि इनमें अधिक अन्तर न रहने पाये ?

†**डा० केसकर :** हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं। इस का ध्यान हम विश्वकोष बनाने में ही नहीं प्रत्युत सरकार द्वारा बनाये जा रहे पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में भी रखते हैं।

विदेशों के बैंक में खाते

+

†*२६८. { **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **वित्त** मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४७१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों के बैंकों में श्री एस० पी० जन के तथाकथित खातों के बारे में जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी नहीं, श्री शांति प्रसाद जैन के डालर खातों की अमरीका में अभी जांच चल रही है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री राजेश्वर पटेल :** क्या विशेषतः अमरीका के गैर-सरकारी बैंकों के बारे में जांच करने के लिए इस मामले में भारत सरकार ने अपने राजदूत को आदेश दिया था ?

†**श्री ब० रा० भगत :** हम प्रत्येक संभव ढंग से तथ्यों का पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सदन को पता ही है कि इस दिशा में जानकारी प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। विदेशी बैंकों से जानकारी प्राप्त करना सरल कार्य नहीं फिर भी हम अपना प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री राजेश्वर पटेल :** क्या जांच विदेशी और गैर-सरकारी बैंकों तक सीमित है ? क्या गैर-सरकारी बैंकरों से भी जांच के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त की जा रही है ? एक अफवाह थी कि अमरीका में लिज़र्ड ब्रादर्स नाम की एक सार्थ में भी श्री जैन का खाता है। क्या सरकार ने इस मामले में कुछ पता करने का प्रयत्न किया है।

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री ब० रा० भगत :** हम किस प्रकार की जांच कर रहे हैं उसके सम्बन्ध में विशेष रूप से बताना तो उचित नहीं है। आशा है माननीय सदस्य भी यह बात स्वीकार करेंगे। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जानकारी प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या सरकार को इस बात का अनुमान है कि हमारे कितने लोगों और व्यापारियों के डालर खाते विदेशों में हैं? क्या इनके सम्बन्ध में कोई जांच की गयी है?

†**श्री ब० रा० भगत :** मेरे विचार में मैं बता चुका हूं कि हम प्रति मास १०० मामलों का पता चला रहे हैं और सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। निश्चित रूप में खातों की संख्या क्या है यह कहना हमारे लिए कठिन है क्योंकि इस बारे में हमें जानकारी नहीं है।

रोम ओलिम्पिक खेलों में भारतीय टीम

+

२६९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री नरदेव स्नातक :
श्री गोरे :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्र० के० देव :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामी रेड्डी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री न० म० देव :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री हेम बरुआ :
श्री तंगामणि :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **शिक्षा** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोम में हुई विश्व ओलिम्पिक खेलों में भाग लेने के लिये भेजी गई भारतीय टीम ने वहां से लौट कर भारत सरकार को कोई रिपोर्ट दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस रिपोर्ट की एक प्रति टेबल पर रखी जायेगी ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या यह सच है कि ओलिम्पिक खेलों में इस बार भारत की टीम का खेल बहुत सन्तोष-जनक नहीं रहा ; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इसमें सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). जी, नहीं ।

(ग) और (घ). अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद् (आल इंडिया कौंसिल आफ स्पोर्टस) ने एक समिति नियुक्त की है जो अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में विशेषतया पिछले ओलिम्पिक खेलों के बारे में भारतीय टीमों के काम की समीक्षा करेगी और रिपोर्ट देगी । जब इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी तभी विभिन्न टीमों का खेल कैसा रहा इस सम्बन्ध में निर्णय हो सकेगा और भविष्य में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में विचार हो सकेगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह जान कर आश्चर्य हुआ कि अभी तक उन्हें यह भी पता नहीं है कि रोम ओलिम्पिक्स में हमारे खिलाड़ियों ने किस प्रकार से अपना पार्ट अदा किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट के पास इस तरह की शिकायतें आई हैं कि खिलाड़ियों के चुनाव में पक्षपात और शिथिलता बरती गई और इस तरह के अन्य लांछन भी लगाए गए और क्या गवर्नमेंट आगे के लिए ऐसे कड़े कदम उठायगी कि भारत के माथे पर ऐसा कलंक न लग सके ।

डा० केसकर : शायद माननीय सदस्य यह नहीं जानते हैं कि खिलाड़ी चुनने का काम न सरकार करती है, न आल इंडिया कौंसिल आफ़ स्पोर्टस करती है। विभिन्न खेलों की एसोसियेशन्ज़ ही ये सिलेक्शन्ज़ कर सकती हैं और करती हैं और वे सब इंडिपेंडेंट बाडीज़ हैं—न वे नीम-सरकारी हैं और न सरकारी । उन के काम में गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान्, सारे देश की जनता को सब से बड़ा आघात इस बात से पहुंचा है कि हाकी के खेल में हम असफल रहे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पहले ओलिम्पिक्स में यह मालूम पड़ गया था कि इस में अब कड़ा मुकाबला होने वाला है, तो क्या इन चार वर्षों में कोई विशेष तैयारियां की गई थीं और क्या कम से कम आगे के लिए ऐसी तैयारियां की जायेंगी, जिस से भारत अपना गौरवपूर्ण स्थान फिर प्राप्त कर सके ?

डा० केसकर : जितना खेद माननीय सदस्य को हुआ, उतना मुझे भी हुआ । सवाल यह है कि इस विषय में सीधे सरकारी एक्शन से कोई सुधार एक दम नहीं हो सकता है । सरकार तो यही कर सकती है कि इंडियन हाकी एसोसियेशन, भिन्न भिन्न हाकी के क्लब्ज़ और राज्य सरकारें जो काम कर रही हैं, उस में वह सहायता पहुंचाये और उन को उत्तेजना दे । सरकार के हुक्म से, या सीधे कुछ कार्यवाही करने से खेल में सुधार होने की आशा नहीं हो सकती ।

†**डा० विजय आनन्द** : क्या खेल-कूद परिषद् का विचार कुछ अच्छे प्रशिक्षक रखने का है ताकि हमारे खिलाड़ी ओलिम्पिक खेलों की तरह नाकामयाब न रहें ?

†**डा० केसकर** : इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद विभिन्न संघों को, जिनमें, इण्डियन ओलिम्पिक एसोसिएशन भी शामिल है, सुधार के लिये सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे । यह एसोसिएशन रोम ओलिम्पिक खेल में टीमें भेजने के लिये पूर्णतः उत्तरदायी था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह ठीक है कि भेजे गये दल में आधे के लगभग अधिकारी थे । अधिकारियों के स्थान पर, तैराकी, बाक्सिंग और फुटबाल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को क्यों नहीं भेजा गया ?

†**डा० केसकर :** अधिकारियों से तात्पर्य सरकारी अधिकारियों से है अथवा संघों के अधिकारियों से ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** संघ के वे अधिकारी जो खेलते नहीं हैं ।

†**डा० केसकर :** इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** भारतीय खेल कूद परिषद् द्वारा जो समिति बनाई गयी है उसका क्षेत्र बड़ा सीमित है । क्या भारत सरकार किसी ऐसी प्रस्थापना पर विचार कर रही है कि इस दिशा में उच्चशक्ति प्राप्त समिति का निर्माण किया जाये जो इस सारे मामले की जांच करे और आगे को विदेशों में ओलिम्पिक दलों के भेजने के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे ?

†**डा० केसकर :** मैं समझ नहीं सका कि "उच्चशक्ति प्राप्त" से माननीय सदस्य का क्या तात्पर्य है । मैं यह उचित नहीं समझता कि खेल कूद के मामले में भी सरकार हस्तक्षेप करे । विभिन्न प्रकार की खेलों के संघ इस कार्य को उचित ढंग से चला ही रहे है । हम इनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे । सरकार के लिये ऐसा करना सम्भव भी नहीं है । सरकार तो उन्हें प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अपने सुझाव दे सकती है । और रिपोर्ट के प्राप्त होने पर जो कुछ अन्य प्रकार की सहायता वह मांगें दी जा सकती है ।

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या सरकार को पता है कि...

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० सुब्बरायन) :** मैं यह कह कर इस बात को समाप्त करवाना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों पर संसद् के स्तर पर विचार नहीं होना चाहिये । ब्रिटिश लोक सभा कभी भी इस प्रकार के खिलाड़ियों के मामलों पर चर्चा नहीं करती । खिलाड़ियों को तथा खेलों में रुचि रखने वालों को सभी सम्बद्ध बातों का पता ही रहता है । खेलों के झगड़ों को लोक सभा में विवाद का विषय नहीं बनाया जाता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ;

श्री त० ब० विट्ठल राव :

कई माननीय सदस्य उठे—

†**श्री अन्सार हरवानी :** क्या मैं यह जान सकता हूं कि कुश्ती दल के मैनेजर...

†**अध्यक्ष महोदय :** डा० विजय आनन्द ।

†**डा० विजय आनन्द :** क्या सरकार इस सदन तथा अन्य सदन की एक छोटी सी समिति बनाने को तत्पर है जिसे इस सम्बन्ध में विचार करने तथा सुधारों का सुझाव देने को कहा जाय ?

†**डा० केसकर :** जो समिति बनाई गयी थी और जिस का उल्लेख किया गया है, उसमें दो सदस्य हैं । श्री जयपाल सिंह उसके सभापति हैं । दूसरे सदस्य का नाम मुझे याद नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

समिति के दो सदस्य संसद् के भी सदस्य हैं। मुझे विश्वास है कि इस समिति की प्रस्थापनायें रचनात्मक होंगी। हम इस प्रश्न पर विभिन्न संघों से बातचीत करके कोई पग उठायेंगे।

डा० विजय आनन्द : क्या समिति का विस्तार नहीं किया जा सकता ?

अध्यक्ष महोदय : श्री तारिक।

श्री अ० मु० तारिक : क्या मैं जान सकता हूं कि ओलम्पिक टीम में जो हमारी पहलवानों की टीम गई थी उसका मैनेजर एक ऐसा आदमी था जो पहलवानी के दाव पेंच से बिल्कुल नावाकिफ था और बिल्कुल कुछ नहीं जानता था ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** श्रीमान् जी, यह सत्य बात नहीं है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गुजरात में तेल शोधक कारखाना

†*२७०. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मुरारका :
श्री सुबिमन घोष :
श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेम राज :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री आचार :
श्री हेम बरुआ :
श्री ब्रजराज सिंह :
श्री पु० र० पटेल :
श्री मा० म० गांधी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात प्रदेश में एक तेल-शोधक कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ने पुनः विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय हुआ है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रस्तावित नये तेल-शोधक कारखाने की क्षमता कितनी होगी ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यदि संभव हुआ तो प्रति वर्ष १० से १५ लाख टन की क्षमता वाले शोधक कारखाने की स्थापना करना।

कमाण्डर नानावती को वित्तीय सहायता

†*२७१. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमाण्डर नानावती को उच्चतम न्यायालय में अपनी सफाई पेश करने के लिये और वित्तीय सहायता देने का सरकार का कोई विचार है; और

(ख) वह सहायता कितनी होगी ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उत्पादन शुल्क की हानि

†*२७२. { श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हेम बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान दिनांक २४ सिम्बर, १९६० के "ब्लिट्ज़" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिस में यह कहा गया था कि बम्बई पत्तन न्यास (पोर्ट ट्रस्ट) के अधिकारियों द्वारा आने वाले और बाहर जाने वाले तेल वाहक जहाजों की "लोड लाइन" चैक न किये जाने के कारण भारत सरकार को १९५५ से करोड़ों रुपये के उत्पादन-शुल्क का नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या इस विषय में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). जी,

(ग) क्योंकि शुल्क जहाजों से उतारे गये अथवा चढ़ाये गये माल की वास्तविक मात्रा पर लिया जाता है, 'लोड लाइन' को चैक करने में बम्बई पत्तन न्यास के कथित असफल रहने के कारण राजस्व में हानि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात के कारखान

†*२७३. श्री गोरे :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० गं० देब :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधारमण :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री सूपकार :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री हेम बरुआ :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री मुरारका :
श्री प्र० के० देव :
श्री यादव नारायण जाधव :
श्री रामजी वर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री वोडयार :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री आचार :
श्री आसर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री कालिका सिंह :
कुमारी मो० वेदकुमारी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री दामानी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पु० र० पटेल :
श्री मा० म० गांधी :
श्री कोडियान :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लौह अयस्क और कोक की सप्लाई बढ़ाकर भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में कारखाना स्तर उत्पादन कायम रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या परिणाम निकले ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). मैं सभा पटल पर एक विवरण रखता हूं ।

विवरण

७ सितम्बर, १९६० को जो मैंने वक्तव्य दिया था, उसमें मैंने रूरकेला और भिलाई में कच्चे लोहे और इस्पात के उत्पादन के बारे में स्थिति बताई थी । सरकार द्वारा विभिन्न पग उठाये जाने के फलस्वरूप, तब से कोयले के संभरण में पर्याप्त सुधार हुआ है । भिलाई और रूरकेला इस्पात कारखानों के लिये राझरा और बरसुआ में लौह-अयस्क खानों का मशीनीकृत संचालन आरम्भ हो गया है । पूरी तरह से उत्पादन होने में कुछ समय लगेगा । यह होने तक, मशीनीकृत खानों से संभरण के स्थान पर संभरण करने के लिये भिलाई के लिये राझरा से लौह-अयस्क निकाला जायेगा । और रूरकेला के लिये मार्केट खानों से प्राप्त किया जायेगा । यह बात तै हो गयी है कि सभी इस्पात संयंत्रों को कच्चे माल के परिवहन के लिये आवश्यक रेलवे परिवहन की व्यवस्था की जावेगी । तदनुसार, भिलाई में तीसरी कोक भट्टी बैटरी और दुर्गापुर में दूसरी कोक भट्टी बैटरी १२ अक्तूबर, १९६० को जलायी गयी और अनुवर्ती धमन भट्टियां दिसम्बर, १९६० के अन्त में चालू हो जायेंगी ।

रूरकेला में कोयले के संभरण को और अधिक समय तक सीमित नहीं रखा जा सकता । मेन प्लेट मिल और पाइप प्लान्ट चालू है परन्तु सतत पट्टी मिल में केवल १९६१ के आरम्भ में उत्पादन हो सकेगा । अन्य देशों में अनुभव से पता चलता है कि सामान्य दर्जे की शीट मिल की निस्बत ऐसी मिल में उत्पादन पूरा करने में समय लगता है । इसके कारण तीसरी धमन भट्टी को कुछ सप्ताहों तक रोलिंग कार्य क्रम के देखने के बाद चालू करने की तिथि निश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है । तथापि, जैसे ही भट्टी तैयार हो जायेगी और कच्चे माल के संभरण को बनाये रखने में कोई कठिनाई नहीं होगी, यह जब भी आवश्यक हो, चालू की जा सकती है ।

तेल छिद्रण यंत्र[1]

†*२७४. { **श्री वारियर :**
　　　 { **श्री वासुदेवन् नायर :**

क्या **इस्पात खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुमानिया की सरकार ने भारत के लिये तेल छिद्रण यंत्र का नमना (प्रोटोटाइप) पेश कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार आर्डर दे चुकी है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** (क) और (ख). **कैम्बे के लिये २ नये प्रकार के रूमानी ४–एल०डी० रिग खरीदे गये हैं और इसी प्रकार के एक और खरीदने पर विचार किया जा रहा है, जिसका प्रस्ताव किया गया है ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Oil Drilling Machinery.

छात्रेतर-युवक क्लब[1]

†*२७५. पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में वित्तीय सहायता देकर छात्रतर-युवक क्लब को प्रोत्साहन देने की योजना अंतिम रूप से तैयार हो गयी है ;

(ख) इस प्रयोजन के लिये अब तक कितनी रकम मंजूर की गयी और कितनी दी गयी ; और

(ग) किन किन राज्यों ने इस योजना में सहयोग दिया है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां ।

(ख) संस्थाओं को अनुदान मंजूर करने पर विचार किया जा रहा है । चालू वर्ष के लिये योजना के लिये कुल उपबन्ध ४५,००० रुपये का है ।

(ग) बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह और मनीपुर के संघ-राज्य-क्षेत्र ।

पुरातत्व संबंधी खुदाई

†*२७६. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पुरातत्व विभाग द्वारा की गयी खुदाई में जो पुरातत्व संबंधी नमूने मिलते हैं उनके निबटारे के बारे में सरकार की क्या नीति होती है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : खुदाई संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने से पहले प्राचीन वस्तुओं को नहीं निबटाया जाता है । रिपोर्ट के प्रकाशित हो जाने पर प्राचीन वस्तुओं के सेट बनाये जाते हैं और यदि कोई साइट संग्रहालय हो तो उन को वितरण के लिये और भारत में और विदेश में अन्य संग्रहालयों को प्राचीन वस्तुओं के बदले में अथवा निःशुल्क उपहार के रूप में देने के लिये रक्षित संग्रह में रखा जाता है ।

कोयले की कमी

†*२७७. श्री अमजद अली : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि कोयले की वर्तमान कमी मालडिब्बों की अनियमित सप्लाई के कारण है ;

(ख) यदि हां, तो यह अनियमितता कब से सरकार के ध्यान में आयी है ;

(ग) जब अनियमितता मालूम हुई, तब सरकार ने क्या कार्यवाही की ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस विषय में रेलवे मंत्रालय तथा इस्पात, खान और इंधन मंत्रालय के बीच कोई समन्वय नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Non-Student Youth Clubs.

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). नवम्बर से जून तक रेलवे पर बहुत भार होता है जब कि सामान्य माल परिवहन के लिये मांग में वृद्धि के कारण कोयले के परिवहन के लिय परिवहन सुविधा सीमित हो जाती है। इसके बाद जुलाई और अक्तूबर के बीच का सीज़न हल्का रहता है जब कि परिवहन स्थिति आसान हो जाती है। परन्तु रेलवे के बिज़ी सीज़न के दौरान माल-डिब्बों की उपलब्धता में कुछ कठिनाई होने पर भी आवश्यक उपभोक्ताओं की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने का प्रयत्न किया जाता है। इस वर्ष समूचे तौर पर परिवहन स्थिति को असंतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इस समय बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्र में औसत दैनिक लोडिंग ४८०० वैगन होती है। विभिन्न उपभोक्ताओं को संभरण में शीघ्रता करने और माल-डिब्बों से अधिकाधिक लाभ उठाने के लिये बंगाल और बिहार कोयला क्षेत्र में रविवार को भी माल लादा जाता है। जिसके परिणामस्वरूप, सब आवश्यक आवश्यकतायें न्यनाधिक पर्याप्त रूप से पूरी हो जाती हैं यद्यपि निम्न प्राथमिकताओं के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि कठिनाई पूरी तरह दूर कर दी गयी है।

(घ) जी, नहीं। वास्तव में दोनों मंत्रालय एक दूसरे के निकट सहयोग से कार्य कर रहे हैं ताकि एक ओर वैगन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध किये जा सकें और दूसरी ओर कोयले के परिवहन के लिये उनका अधिकाधिक उपयोग किया जा सके।

पन्ना खान में दुर्लभ हीरा

†*२७८. { **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० के० देव :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री न० म० देव : }

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पन्ना जिले में एक खान में एक दुर्लभ हीरा पाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह हीरा किस किस्म का है और पन्ना की खानों से वह कितनी मात्रा में निकाला जाता है ; और

(ग) क्या उसके परिणामस्वरूप देश में हीरे का उद्योग चालू करने की सरकार की कोई योजना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). अगस्त, १९६० से अक्तूबर, १९६० की अवधि में पन्ना जिले में महुआदौला और बराम की खुइया खानों से कुछ अच्छी किस्म के हीरे निकाले गये। सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें निकाले गये हीरों का वजन और अनुमानित मूल्य दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७३**]

(ग) राष्ट्रीय खान विकास निगम लिमिटेड, एक सरकारी उपक्रम, वैज्ञानिक तरीके पर निक्षेपों का खनन करने के लिये मध्य प्रदेश में कुछ हीरे वाले क्षेत्रों का खनन कर रही है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मोगा के पास विमान दुर्घटना

†*२७९. { श्री रामजी वर्मा :
श्री आसर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोगा में भारतीय वायु सेना के एक हवाई जहाज़ में १८ सितम्बर, १९६० को आग लग गयी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय वायुसेना का एक दूसरा विमान, वैम्पायर जेट, भी १९ सितम्बर, १९६० को हाकिमपेट सैनिक हवाई अड्डे के पास गिर गया ;

(ग) यदि हां, तो इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ;

(घ) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण थे ;

(ङ) क्या ऐसी दुर्घटनायें रोकने के लिए सरकार ने कोई कार्यवाही की है ; और

(च) यदि हां, तो क्या ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) २०-९-१९६० को मोगा से २ मील दूर एक विमान गिर गया परन्तु इसमें हवा में आग नहीं लगी ।

(ख) जी, हां ।

(ग) दो चालक ।

(घ) से (च). नियुक्त की गयी जांच न्यायालय द्वारा कारणों की जांच की जा रही है । उनके प्रतिवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जायेगा और फिर उस पर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी ।

कच्चे लोहे और इस्पात के उत्पादन की लागत

†*२८०. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुरारका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दामानी :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन इस्पात कारखानों में कच्चे लोहे और इस्पात के उत्पादन की लागत मालूम करना संभव हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अलग अलग तीनों कारखानों में क्या लागत है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या कारण है कि उत्पादन की लागत अभी तक मालूम नहीं हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तीन इस्पात संयंत्रों में आरम्भिक रूप में उत्पादन हो रहा है। इन इस्पात कारखानों में से किसी में भी सब विभाग चालू नहीं हुए हैं। संयंत्रों में कुछ समय तक पूरा उत्पादन होने पर ही उत्पादन-लागत का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सकता है।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के अनुमान

†*२८१. **श्री मुरारका** : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में किन किन परियोजनाओं के अनुमान बढ़ गये हैं ;

(ख) किन कारणों से अनुमान में वृद्धि हुई है ; और

(ग) इस वृद्धि का विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जावेगी।

तेल शोधन

†*२८२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल शोधन की क्षमता बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से सरकार को कौन-कौन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उन पर सरकार की क्या राय है ;

(ग) क्या सरकार ने १९६५ के अन्त में तेल की आवश्यकता का पुनः अनुमान लगा लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकले ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) बर्मा-शैल रिफाइनरीज़ लिमिटेड ने एक प्रस्ताव किया है।

(ख) कम्पनी से मांगे गये स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर यह बताया जायेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्ष १९६६ तक अस्थायी तौर पर १३० लाख टन की शोधन क्षमता की आवश्यकता हो सकती है।

इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई

†*२८३. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई, रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों को जो कोयला मुहैया किया जाता है उसमें राख की अधिक प्रतिशत मात्रा होती है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कोयले की किस्म सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जी, हां । दीर्घकालीन उपाय के आधार पर, यह प्रस्ताव किया गया है कि इस्पात संयंत्रों में इस्तेमाल किये जाने वाला सब कोयला धोया जाये । तीन कोयला धोने के कारखाने हैं । दो अभी और स्थापित किये गये हैं । तीन अन्य बन र हैं ।

इसके अतिरिक्त, इस्पात संयंत्रों को संभारित किये ज ने वाले कोयले की किस्म में सुधार करने के लिये कोयला खदानों को प्रोत्साहन देने के ख्याल से एक प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसके अधीन किसी एक किस्म के लिये निर्धारित अधिकतम राख की मात्रा के कम से कम होने पर प्रत्येक श्रेणी के लिये नियंत्रित मूल्य के अलावा कोयला खानों को कुछ और रकम दी जायेगी ।

अंगहीन सैनिक

***२८४. श्री पद्म देव** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि युद्ध में अंगहीन हुए भारतीय सैनिकों के कल्याण के लिये सरकार ने क्या योजनायें बनाई हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : एक विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

नौकरी दिलाने में सहायता :

१. भूतपूर्व सैनिकों और केन्द्रीय सरकार द्वारा छांटी किये गये नौकरी-पेशा लोगों को काम दिलाने में, काम दिलाऊ संस्थाओं द्वारा चुनाव में, नाकारा हुए भूतपूर्व सैनिकों को उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है । सरकारी नौकरियों के लिये उन्हें भी आयु सीमा सम्बन्धी वही सहूलतें प्राप्त हैं जो दूसरे भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त हैं ।

हाल ही में एक पथ-प्रदर्शक काम दिलाऊ संस्था बम्बई में खोली गई है जो अंगहीनों को, भूतपूर्व सैनिक अंगहीनों समेत उन के योग्य काम दिलाती है और व्यवसायिक प्रशिक्षण भी देती है ।

सशस्त्र सेनाओं से क्षयरोग के कारण सेवा निवृत्त भूतपूर्व सैनिक, पुनः स्वस्थ होने पर प्रतिरक्षा संस्थाओं में असैनिक नियुक्तियों के लिये प्राथमिकता के आधार पर दोबारा नौकरी के अधिकारी हो जाते हैं, और उन्हें काम दिलाऊ संस्थाओं के पास नहीं जाना पड़ता ।

प्रशिक्षण सुविधाएं :

२. भूतपूर्व नाकारा सैनिकों के लिये किरकी के नाकारा भारतीय सैनिकों के लिये क्वीन मेरी तकनीकी स्कूल में और वयस्क अंधों के लिये डन्स्टन प्रशिक्षण केन्द्र देहरादून में, निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधायें प्राप्य हैं ।

चिकित्सा सुविधाएं :

३. क्षय रोग के कारण नाकारा होकर सेवानिवृत्ति हुए भूतपूर्व सैनिकों के लिये औंध के क्षय केन्द्र में निःशुल्क चिकित्सा होती है ।

†मूल अंग्रेजी में

अगर निर्योग्यता सेवा के कारण हुई हो या सेवा के कारण बढ़ी हो, तो नाकारा हुए सेवीवर्ग को **कृत्रिम अंग कन्द्र** निःशुल्क कृत्रिम अंग प्राप्य करता है । अन्यथा अफसरों को छोड़ कर दूसरे सेवीवर्ग को ५० प्रतिशत मूल्य पर कृत्रिम अंग दिये जाते हैं। केन्द्र कृत्रिम अंगों के प्रयोग का प्रशिक्षण भी देता है ।

निर्योग्यता सेवा निवृत्ति वेतन और ग्रेच्यूटी :

४. सैनिक सेवा के कारण हुई निर्योग्यता या निर्योग्यता वृद्धि के कारण सेवा निवृत्ति सेवीवर्ग, २० प्रतिशत या इस से अधिक निर्धारित निर्योग्यता पर, निर्योग्यता सेवा निवृत्ति वेतन के अधिकारी हैं, जिस में सेवा का हिस्सा भी और निर्योग्यता का हिस्सा भी शामिल हैं । असीम निर्योग्यता में एक स्थायी सहकारी भत्ता भी देय है ।

आर्थिक सहायता :

५. नाकारा भूतपूर्व सैनिक दातव्य निधियों से अनुदान भी ले सकते हैं, कि वह अपना स्वतंत्र तौर पर कोई व्यवसाय चला सकें, जैसे कि डन्स्टन निधि जो हर एक अंधे को अधिक से अधिक ५०० रुपये तक आर्थिक सहायता दे सकता है, और सर विक्टर ससून निधि जो नाकारा भूतपूर्व सैनिकों को अधिक से अधिक ५०० रुपये तक दे सकता है कई विभिन्न स्टेट पोस्टवार रिकन्स्ट्रक्शन फंडों से भी सहायता दी जा सकती है ।

भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग

†*२८५. **श्री कालिका सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्य किये हैं ;

(ख) उपयुक्त कार्यों से भारत को क्या लाभ हुआ ;

(ग) विभाग के पास कितने ड्रिलिंग पावर रिंग (बिजली से चलने वाले छिद्रण यंत्र) हैं तथा निकट भविष्य में कितने और प्राप्त किये जायेंगे ; और

(घ) क्या उन में से कुछ नवीन किस्म के हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध सख्या ७४]**

(ग) इस समय भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के पास २६ ड्रिल हैं और निकट भविष्य में ४९ और ड्रिल प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव है ।

(घ) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेश जाने वाले छात्रों को छांटना

†*२८६. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :
श्री इ० मधुसूदन राव :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अध्ययन के लिये विदेश जाने वाले छात्रों को छांटने के लिये शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों की एक समिति स्थापित करने की योजना किस प्रक्रम पर है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** मामला अभी विचाराधीन है ।

धूम्ररहित कोयला

†*२८७. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने घरेलू ईंधन के तौर पर काम में लाने के लिये धूम्ररहित कोयला तैयार करने के लिये बन्देल में एक कारखाना खोलने की अनुमति केन्द्रीय सरकार से मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल अनुमानित खर्च कितना होगा और क्या किसी वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अनुमान

*२८८. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाने के संशोधित अनुमानों में कितनी वृद्धि हुई है ;

(ख) अनुमानों की वर्तमान लागत कितनी है ;

(ग) कारखाने के विभिन्न अनुभागों के संशोधित अनुमान क्या हैं और १९५८ से उन में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(घ) वृद्धि का कारण क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (घ). दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की लागत के पुनरीक्षित प्राक्कलन पर अभी हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विचार कर रहा है ।

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए मंत्रणा समिति

†*२८९. **श्री हाल्दर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के लिये मंत्रणा समिति स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) समिति के कौन कौन सदस्य हैं और उन की क्या योग्यता है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख). यह निश्चित किया गया है कि मंत्रणा समिति के अध्यक्ष गृह-मंत्री होंगे और उस में निम्नलिखित छः सदस्य होंगे :

१. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्यायुक्त ।

२. इन द्वीपों का प्रतिनिधान करने वाले संसद् सदस्य ।

३. पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल बोर्ड का एक प्रतिनिधि ।

४. निकोबार द्वीप समूह का एक प्रतिनिधि ।

५. उत्तर और मध्य अन्दमान का एक प्रतिनिधि ।

६. नगर क्षेत्र को छोड़ कर दक्षिण अन्दमान द्वीप का एक प्रतिनिधि ।

गैर-सरकारी सदस्यों को स्थायी रूप से द्वीप निवासियों में से चुना जायेगा । नामों के चुनाव को मुख्यायुक्त के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

केरल का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†*२९०. **श्री कोडियान :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल का पूरा पूरा भूतत्वीय सर्वेक्षण करने के लिये केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) इस बारे में केरल सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

एक टन वाले ट्रक

†*२९१. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा मंत्रालय ने जापान की निसान मोटर कम्पनी के सहयोग से एक टन वाले ट्रक तैयार किये हैं ;

(ख) अभी तक कितने ट्रक तैयार किये जा चुके हैं ; और

(ग) इस ट्रक के लिये कितने प्रतिशत पुर्जे अभी भी विदेशों से मंगाये जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी, हां ।

(ख) २३० नग ।

(ग) ट्रक की कारखाने की कुल लागत के ७० प्रतिशत मूल्य के भाग अथवा पुर्जे आयात किये गये हैं । आयातित भागों अथवा पुर्जों की इस मात्रा में धीरे धीरे कमी होगी ।

केरल को कोयला दिया जाना

†*२९२. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में उद्योगों के लिये भाप वाले कोयले का कितना कोटा दिया गया है ;

(ख) क्या कोयले की सप्लाई बराबर नियमित रूप से की जा रही है ;

(ग) क्या आवंटित कोयले के न मिलने के बारे में केरल के उद्योगपतियों से सरकार के पास कोई शिकायतें आई हैं ; और

(घ) शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) भाप वाले कोयले का कोई पृथक कोटा नहीं है । राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन उद्योगों के लिये निर्धारित सब प्रकार के कोयले का कुल कोटा ६४ वैगन प्रति मास है ।

(ख) जी, हां । परिवहन सुविधा की उपलब्धता के भीतर ।

(ग) जी हां, दो उपभोक्ताओं से ।

(घ) इन उपभोक्ताओं को शीघ्र संभरण के लिये कार्यवाही की गई है ।

भिलाई इस्पात संयंत्र

†*२९३. **श्री जीन चन्द्रन**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत सरकार ने भिलाई इस्पात संयंत्र के लिये पुर्जों के जो दाम बताये थे वे लगातार बढ़ रहे हैं ; और

(ख) पुर्जों के संभरण संबंधी मूल करार में क्या शर्तें थीं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). यह सच नहीं है कि सोवियत सरकार द्वारा पुर्जों के बताये गये दाम बढ़ रहे हैं । मूल करार २ अप्रैल, को समाप्त हुआ था जोकि प्रमुख संयंत्र और उपकरणों के संभरण के लिये था । इसमें २.१ करोड़ रुपये के मूल्य के लगभग ४,००० अतिरिक्त पुर्जे थे । मूल संविदा में, जिसमें अधिकतर भारी उपकरण और मशीनें शामिल हैं, पुर्जों के भावों की पुर्जों के लिये बाद के करार से तुलना नहीं की जा सकती । बाद का करार हल्के परन्तु अधिक खर्चीली चीजों के लिये है जैसे बिजली सम्बन्धी और नियंत्रण उपकरण ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

भूमि बन्धक बैंकों का विकास

†*२९४. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में देश में भूमि बंधक बैंकों का कितना विकास हुआ है ; और

(ख) इन बैंकों का विकास करने तथा उन्हें अपने कार्यों का विस्तार करने के योग्य बनाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की जा रही है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें सम्बन्धित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७५]**

(ख) इन बैंकों के विकास में सहायता करने के लिये किये गये महत्वपूर्ण उपायों में केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों की अंश पूंजी में राज्य सरकारों द्वारा अंशदान उनके सामान्य और ग्रामीण डिबेन्चरों में रिज़र्व बैंक द्वारा योग दान और राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत डिबेन्चरों को रिजर्व बैंक से मान्यता के लिये पात्र जमानत के तौर पर मान्यता देना।

चोला तथा अन्य मन्दिर

†*२९५. **श्री नरसिंहन् :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ़्रांस सरकार भारतीय संघ को अपने राज्य-क्षेत्रों के वास्तविक हस्तांतरण से पूर्व, भूतपूर्व फ़्रॉसीसी बस्तियों में चोला और ऐतिहासिक तथा पुरातत्वीय महत्व के अन्य मन्दिरों की देख भाल तथा रक्षण के लिये कुछ राशि दिया करती थी ;

(ख) क्या इन बस्तियों के वास्तविक हस्तांतरण के पश्चात् इन अनुदानों का दिया जाना जारी है ; और

(ग) माथागाडिपट में चोला मन्दिर और तिरूवंडारकोइल तिरूभूवानर के मन्दिरों की देख भाल तथा अराकिनेडू खुदाइयों के स्थान के संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही को गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है। ये स्मारक संवीय पुरातत्व विभाग के संरक्षणाधीन नहीं हैं।

इंडो-कमर्शियल बैंक का विलय

†*२९६. { **श्री तंगामणि :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डो-कमर्शियल बैंक नाम का एक अनुसूचित बैंक पंजाब नेनशल बैंक के साथ मिला दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विलय की शर्तें क्या हैं ;

(ग) खातेदारों के हितों की उपयुक्त रूप से रक्षा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) किन कारणों से इसका विलय किया गया है?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, नहीं। तथापि, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिग समवाय अधिनियम की धारा ४५ के उपबन्धों के अनुसार इन्डो-कर्माशियल बैंक को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलाने के लिये एक योजना तैयार की गयी है और वह राय के लिये दोनों बैंकों को भेज दी गयी है।

(ख) और (ग). दोनों बैंकों को भेजी गयी योजना की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७६]** प्रारूप योजना में की गयी व्यवस्था के अनुसार, खातेदार फौरन आस्थियों के तत्कालीन परिवर्तनीय मूल्य के बराबर रकम वसूल कर सकेंगे और उस के बाद उनको वसूली की रकम टांस्फरी संख्या द्वारा दी जायेगी।

(घ) भारत के रक्षित बैंक द्वारा यह योजना सामान्यत : इन्डो-कर्माशियल बैंक के खातेदारों के हित में बनायी गयी है।

अशोधित तेल का यातायात

†*२९७. { **श्री राधा रमण :**
श्री आचार :
श्री उस्मान अली खां :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दूरस्थ स्थानों तक अशोधित तेल और पैट्रोलियम उत्पादों के यातायात की कठिनाई को हल करने के लिये कोई नीति निर्णय की है और क्या इस ने तेल शोधक कारखानों तक अशोधित तेल भेजने के लिये पाइप लाइन डालने के लिये ४० करोड़ रुपये के व्यय वाली एक परियोजना की स्वीकृति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और परियोजना का कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय):** (क) पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के बारे में, पाइप लाइन बिछाने के कार्य क्रम पर विचार किया जा रहा है और टैक्निकल-आर्थिक अध्ययन के बाद निर्णय किये जाने से पूर्व कुछ समय लग सकता है।

आसाम में तेल क्षेत्रों में पाये गये कच्चे तेल को आसाम में नूनमती तक और फिर बिहार में बरौनी तक एक ७२० मील लम्बी पाइप लाइन द्वारा ले जाया जायेगा। इस परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत ४१.४८ करोड़ रुपये है जब कि परिमा णप्राक्कलन प्रथम लागत प्राक्कलन और पुनरीक्षित लागत प्राक्कलन क्रमश: ५६ करोड़ रुपये, ५४ करीड़ रुपये और ४४.६ करोड़ रुपये के थे। आसाम से कच्चे तेल को पाइप लाइन द्वारा ले जाये जाने का फैसला उस क्षेत्र के परिवहन के अन्य उपलब्ध साधनों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख कर किया गया।

(ख) कच्चे तल की पाइप लाइन ७२० मील लम्बी होगी। महर कटिया से नूनमती तक यह पहली पाइप लाइन २६० मील लम्बी होगी और १६ इंच व्यास की होगी। दूसरी पाइप लाइन नूनमती से बरौनी तक ४६० मील लम्बी होगी और इसका व्यास २४ इंच होगा। इस पाइप लाइन द्वारा कच्चे तेल के परिवहन की सुविधा के लिये, इस रास्ते में ८ पम्पिग स्टेशन होंगे। इस परियोजना पर कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

नेपाल के साथ व्यापार करार

†*२९८. श्री प्र० गं० देव :
श्री अगाड़ी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री रा० च० माझी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री साधन गुप्त :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हेम बरूआ :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच एक नया व्यापार करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नये समझौते से भारत को क्या लाभ है ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) जी, हां । भारत और नैपाल की सरकारों के बीच व्यापार और परिवहन की एक नयी संधि पर हस्ताक्षर किये गये हैं ।

(ख) पहली संधि ३१ अक्तूबर, १९६० को समाप्त हो गयी थी । नयी संधि से, जो १ नवम्बर, १९६० से लागू हो गयी है, हर देश बाह्य व्यापार, प्रशुल्क और विदेशी मुद्रा के बारे में अपनी नीतियों का अनुसरण कर सकता है । उसी समय, इसमें दोनों देशों के बीच सामान्य लाभ के लिये निकटतम आर्थिक सहयोग बनाने और उनको बढ़ाने की व्यवस्था है ।

सड़क बनाने के लिये सामान

†*२९९. श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क बनाने के विशेषज्ञों का एक शिष्टमंडल सड़क बनाने के लिये खरीदे जाने वाले सामान के बारे में फैसला करने के लिये सोवियत संघ तथा अन्य देशों को गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या सिफारिशें की हैं ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण क्रय राशि किस प्रकार दी जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जी, हां। दो शिष्टमंडल भेजे गये थे—एक रूस को और दूसरा जापान को।

(ख) कुछ उपकरण खरीदे गये हैं।

(ग) रूस में खरीदी गयी वस्तुओं के बारे में भुगतान रुपये में किया जायेगा। जापान में खरीद के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा येन क्रेडित से दी जायेगी।

पलाई बैंक के खातेदारों को भुगतान

†*३००. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री त० ब० विट्ठल राव : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पलाई बैंक के खातेदारों को भुगतान करने के लिये और क्या कार्यवाई की गई है ;

(ख) कितने खातेदारों को भुगतान कर दिया गया है ; और

(ग) अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: (क) से (ग). केरल उच्च न्यायलय द्वारा अभी पलाई सैंट्रल बैंक के समापन के लिये अन्तिम रूप से आदेश जारी नहीं किये गये हैं, बैंक के खातेदारों को भुगतान करने के लिये कोई पग उठाने का प्रश्न इस प्रक्रम पर उत्पन्न नहीं होता।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये ब्रिटेन से ऋण

†३०१. **श्री नरदेव स्नातक :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये ब्रिटेन से ऋण लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना ऋण लिया गया है और उस पर दिये जाने वाले ब्याज की दर क्या है ; और

(ग) यह ऋण किन किन कार्यों में प्रयोग होगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (ग). जी, हां। तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के लिये प्रारम्भिक सहायता के रूप में ब्रिटेन ने ३ करोड़ पौंड के और कर्जे देने की मंज़ूरी दी है। यह रकम आयोजना को अमल में लाने के लिये ब्रिटेन स मंगाये जाने वाले पूंजीगत सामान (कैपिटल गुड्स) पर खर्च की जायगी। दु पुर का इस्पात कारखाना बढ़ाने पर लगभग २ करोड़ पौंड के बराबर की जो विदेशी मुद्रा खर्च होगी, उसके लिये और भी कर्जे लेने के सम्बन्ध में ब्रिटेन की सरकार से अभी और बातचीत की जायगी। ब्याज की दर और कर्ज की दूसरी शर्तों का तय होना अभी बाकी है।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

अखिल भारतीय विनियोजन केन्द्र

†*३०२. श्री अ० मु० तारिक :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री हाल्दर :
श्री दामानी :

क्या **वित्त** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १२७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अखिल भारतीय पूंजी नियोजन केन्द्र के शासी निकाय के सदस्यों के बारे में अन्तिम रूप से फैसला कर लिया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : जी, हां ।

भारतीय विनियोजन के शासी निकाय के सदस्य निम्नलिखित हैं :

१. श्री जी० एल० मेहता (अध्यक्ष)

२. श्री ए० रामस्वामी मुदलियार

३. श्री कस्तूरभाई लालभाई

४. श्री जार्ज डी० वुड्स

५. श्री डब्ल्यू ० जी० पुल्लन

६. श्री एस० रंगानाथन्

७. श्री के० आर० के० मेनन

८. श्री जी० एल० बन्सल

९. श्री पी० सी० भट्टाचार्य

१०. डा० बी० के ० मदान ।

सैकंडरी स्कूलों में साइंस क्लब

†*३०३. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ सैकंडरी स्कूलों में खोले गये साइंस क्लब क्या कार्य करते हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या उनके कार्य-संचालन के बारे में विचार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(घ) कितने साइंस क्लब चल रहे हैं और इस दिशा में क्या कार्यक्रम है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) विद्यार्थियों में वैज्ञानिक प्रतिभा उपयुक्तता के विकास के लिये कार्यवाही ।

(ख) जी, हां । उनमें से लगभग दो तिहाई के बारे में ।

(ग) उनमें से अधिकांश में ठीक विकास हो रहा है और उससे विज्ञान में रुचि पैदा करने में सहायता मिलेगी ।

(घ) ३४५ । तृतीय योजना में इस संख्या में पर्याप्त वृद्धि होने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली में नमूने की जनगणना

†*३०४. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य-क्षेत्र में नमूने की जनगणना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या प्रयोजन है ; और

(ग) उस से क्या परिणाम निकले हैं और क्या अनुभव हुये हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

राष्ट्रीय इंजीनियरी संगठन

†*३०५. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सास्कृतिक-कार्य** मंत्री २९ **अगस्त**, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा केरेंगे कि राष्ट्रीय इंजीनियरी संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : इंजीनियर संस्था परिषद् (भारत) ने जनरल बाडी को संस्था के विधान और उप-नियमों में कुछ संशोधन करने की शिफारिस की है। इन संशोधनों की विस्तार से जांच किये जाने के बाद संस्था के साथ आगे बातचीत की जायेगी ।

हैलीकोप्टरों की खरीद

†*३०६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री इन्द्रजीत लाल मलहोत्रा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मुरारका :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री पद्म देव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री प्र० के० देव :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री आसर :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री जीन चन्द्रन् :
श्री प्र० गं० देव :
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हेलीकोप्टर और परिवहन विमान खरीदन के लिये रूस के साथ जो बातचीत चल रही थी उसमें और क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : बार्डर रोड्ज डिवेलपमेंट बोर्ड ने एक हेलीकोप्टर खरीदा है । कुछ और हेलीकोप्टर खरीदने का प्रश्न विचाराधीन है ।

†मूल अंग्रेजी में

कैम्बे में तेल सर्वेक्षण

†*३०७. श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री सूपकार :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विश्वनाथ रेड्डी :
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैम्बे प्रदेश में आठवें कुयें पर किये गये प्रयोग पूरे हो चुके हैं ;

(ख) कितने और कुएं खोदे जा रहे हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में अब तक कितना काम किया गया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी अभी नहीं।

(ख) तीन ।

(ग) वास्तविक खर्च का अभी हिसाब नहीं लगाया गया है ।

सर्वे आफ इंडिया आफिस देहरादून, में आग

†*३०८. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री भक्त दर्शन :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वे आफ इंडिया आफिस, देहरादून में लगी आग के सम्बन्ध में जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) तदर्थ समिति द्वारा जांच पूरी कर ली गई है परन्तु पुलिस जांच अभी चल रही है ।

(ख) तदर्थ समिति ने भंडार संगठन और इमारतों में सुधार के लिये और भविष्य में आग लगने को रोकने के लिये कुछ उपायों की सिफ़ारिश की है। उनको धीरे धीरे क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ग) आग लगने के कारणों की जांच पूरी होने तक सर्वेयर जनरल ने भण्डार संगठन के आठ कर्मचारियों को (द्वितीय श्रेणी का एक पदाधिकारी, तृतीय श्रेणी के दो पदाधिकारी और चतुर्थ श्रेणी के ५ कर्मचारी) मुअत्तिल कर दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेणुका राय समिति का प्रतिवेदन

†*३०९. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री हालदर :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **शिक्षा** मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८६९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्य-संचालन सम्बन्धी रेणुका राय समिति की उपपत्तियों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). प्रश्नाधीन सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

लुब्रिकेटिंग आयल तैयार करने का कारखाना

†*३१०. { **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री खीमजी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल आयल कम्पनी की बम्बई के समीप एक सेहन तेल संयंत्र लुब्रिकेटिंग आयल तैयार करने का कारखाना लगाने की प्रार्थना पर कोई फैसला कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में शीघ्र निर्णय किये जाने में क्या कठिनाइयां पैदा हो रही हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). यह प्रार्थना रिफायनरी के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव में शामिल है। समवाय से मांगे गये स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने पर सरकार के विचार बताये जायेंगे ।

यूनेस्को पूर्व-पश्चिम परियोजना

†*३११. **श्री कालिका सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायल इंडिया पाकिस्तान एंड लंका सोसाइटी ने यूनेस्को पूर्व-पश्चिम परियोजना पर चर्चा के लिये २७ से २९ सितम्बर, १९६० तक लंदन में बैठकें आयोजित की थीं ;

(ख) क्या उस बैठक में भारत के प्रतिनिधि ने भी भाग लिया था ; और यदि हां, तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया और किस प्रयोजन के लिये ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) संस्था के उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्व के आपसी सहयोग सम्बन्धी यूनेस्को की प्रमुख परियोजना में भारत के अंशदान पर भाषण देने के लिये सोसायटी ने लन्दन में उच्चायुक्त के शिक्षा सलाहकार डा० एन० एस० जुनान्कर को आमंत्रित किया था ।

(ग) इस सोसायटी के, जो कि एक गैर-सरकारी संस्था है, उद्देश्य तथा लक्ष्य एशिया के, विशेषतः भारत पाकिस्तान और श्रीलंका की कला, संगीत और साहित्य को पश्चिम के देशों में फैलाना है ।

मैसूर में लौह-अयस्क के निक्षेप

†*३१२. **श्री गोरे** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर भूतत्वीय विभाग ने मैसूर राज्य के चिकमां गलूर जिले में कोडाचाद्री के समीप विस्तृत लौह-अयस्क निक्षेपों का पता लगाया है जिनकी मात्रा अनुमानतः तीन करोड़ टन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने लौह-अयस्क निकालने के लिये क्या कार्यवाई की है ;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में फैसला कर लिया है कि इन निक्षेपों का खनन सरकार द्वारा किया जायेगा या गैर-सरकारी आभिकरण के द्वारा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां । कोडाचाद्री शिमोगा जिले में है ।

रिज़र्व और उनकी मात्रा का मूल्यांकन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ग) जांच पड़ताल के पूरा हो जाने पर राज्य सरकार का सरकारी क्षेत्र में निक्षेपों का खनन करने का प्रस्ताव है ।

भारतीय वायु सेना की दुर्घटना

†*३१४. { **श्री रघुनाथ सिंह** :
{ **डा० राम सुभग सिंह** :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २४ अक्तूबर, १९६० को पालम हवाई अड्डे से उड़ने के तुरन्त बाद भारतीय वायु सेना के एक विमान को आग लग गई और वह गिर गया जिसके फलस्वरूप विमान चालक की मृत्यु हो गई ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी, नहीं । जहाज में उड़ान लेते समय आग लग गई थी । विमान चालक चलते जहाज से साफ कूद गया था, और जख्मी हो गया था । उसकी हालत में सन्तोषजनक सुधार हो रहा है ।

(ख) एक जांच समिति द्वारा दुर्घटना के कारण की जांच हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुरातत्व विभाग के सर्कल सुपरिंटेंडेंट

†*३१५. **श्री तंगामणि :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग के ४ मुख्य सर्कलों में से दो सर्कलों अर्थात् मद्रास और औरंगाबाद में पिछले दो वर्षों से सुपरिंटेंडेंट नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन रिक्त स्थानों को कब भरा जायगा ;

(ग) क्या संग्रहालय सम्बन्धी प्रशिक्षण की सुविधायें अब दी जाती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण दिया जाता है ?

†**वैज्ञानक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा आयोजित तदर्थ पाठ्यक्रम छः महीने तक चलता है और इस में भाषण, शिक्षा, गोष्ठी, प्रदर्शन, व्यावहारिक प्रशिक्षण और पुरातत्वीय महत्व के स्थानों और संग्रहालयों का दौरा सम्मिलित है । पुरातत्वीय स्कूल के पाठ्यक्रम में संग्रहालय सम्बन्धी शिक्षा पाठ्यक्रम भी है ।

बरौनी का तेल शोधक कारखाना

†*३१६. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी में तेल शोधक कारखाने का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लक्ष्मी बैंक के खातेदारों को भुगतान

†*३१७. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लक्ष्मी बैंक के खातेदारों को भुगतान करने के लिये और क्या कार्रवाई की गई है ;

(ख) कितने खातेदारों को भुगतान कर दिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (ब० रा० भगत)** : (क) से (ग). अभी तक खातेदारों को कोई भुगतान नहीं दिया गया है । इस समय न्यायिक परिसमापक बैंक की आस्तियों को वसूल करने के लिये और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पग उठा रहे हैं ताकि वह खातेदारों को कुछ प्राथमिक भुगतान कर सकें ।

बैंक खाता बीमा योजना

†*३१८.
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री मुरारका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दामानी :
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री उस्मान अली खां :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक खातों के बीमे की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री० ब० रा० भगत)**: (क) और (ख). भारत का रक्षित बैंक बैंक के खातों के बीमे के लिये एक योजना बनाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण

†*३१९.
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन आयल कम्पनी से पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण के लिये प्रथम प्रक्रम योजना का ब्यौरा प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड की कार्यकारी योजना का प्रथम प्रक्रम, जोकि ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाली अवधि के लिये है, १४–११–६० को प्राप्त हुआ था और वह सरकार की अनुमति के लिये निरीक्षणाधीन है। इस योजना में मुख्यतः (१) आर्थिक संभरण क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों में मुख्य पत्तनों और

†मूल अंग्रेजी में

भंडार डिपुओं और खुदरा निकासी स्थानों में पर्याप्त रूप से बड़े भंडार बनाना, (२) रूस से आयात किये जा रहे कम पेट्रोलियम उत्पादों और १९६२ के आरम्भ में नूनमती रिफ़ाइनरी से प्राप्त होने वाले उत्पादों के वितरण और विपणन के लिये संगठन का ब्यौरा बनाने ; (३) रूस से आयात का कार्यक्रम बनाना, (४) बिक्री के लिये वितरण का कार्यक्रम बनाने, और (५) पूंजी व्यय के ब्यौरे बनाने की व्यवस्था है ।

उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत की भाषाएं

*३२०. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री १४ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत की भाषायें सिखाने का प्रबन्ध करने के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने योजना को विश्वविद्यालय में कार्यान्वित करने के लिये प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिये दो व्यक्तियों को चुना है (एक तमिल में और एक तेलगू में) । बम्बई और सागर विश्वविद्यालयों की योजनायें स्वीकृति के एक वर्ष के अन्दर कार्यान्वित न करने के कारण फिलहाल व्यपगत (लेप्स्ड) हो गई हैं ।

छोटी कोयला खानों का मिलाया जाना

†*३२१. { श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री हाल्दर :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कोयला खानों के अनिवार्य समामेलन विषयक विधान संसद् के चालू सत्र में प्रस्तुत किये जाने के लिये अन्तिम रूप में तैयार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) . सरकार इस प्रश्न पर कुछ समय से विचार कर रही है और अब इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस समय इस विधान को लागू करने का यह उपयुक्त समय नहीं है क्योंकि अनिवार्य समामेलन से कुछ क्रियात्मक रुकावटें पैदा हो सकती हैं जो अगली योजना अवधि में अपेक्षित उत्पादन की मात्रा और गति में बाधक बन सकती हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल की खोज के लिये विदेशी सहायता

†*३२२. { **श्री राधा रमण :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विश्वनाथ दास राय :
श्री विद्याचरण शुक्ल : }

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल खोजने और निकालने के बारे में विदेशी साथों के साथ *बातचीत में कितनी* प्रगति हुई है ; और

(ख) उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) विभिन्न तेल समवायों से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

(ख) इस समय यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात का आयात

†*३२३. **श्री अ० मु० तारिक :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी दो वर्षों में इस्पात का आयात करने के लिये विकास ऋण निधि से कोई राशि उपलब्ध की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त अवधि में टिन प्लेटों के आयात के लिये विकास ऋण निधि से कोई राशि उपलब्ध नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :**(क) से (घ). वर्ष १९६१-६२ में इस्पात के आयात के लिय अमरीका सरकार ने विकास ऋण निधि कार्यक्रम के अधीन एक नया ऋण देने की इच्छा व्यक्त की है । इस ऋण के अधीन आयात किये जाने वाले इस्पात की मात्रा और श्रेणी पर विचार किया जा रहा है । कुछ टिनप्लेटें भी आयात किये जाने का प्रस्ताव है ।

इंग्लिस्तान में सोने के दामों में वृद्धि का प्रभाव

†*३२४. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
डा० राम सुभग सिंह : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि क्या अक्तूबर, १९६० के पिछले सप्ताहों में इंग्लिस्तान में सोने के दामों में वृद्धि होने से भारत के मुद्रा बाजार पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : जी नहीं ।

उड़ीसा में नगरपालिका के मेहतर

†४०२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०-६१ में उड़ीसा को नगरपालिका के मेहतरों को सुविधायें देने के लिय कोई सहायता दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता दी गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं, जहां तक पिछड़े हुए वर्गों के कल्याण के लिय उपबन्धों का सम्बन्ध है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पेंशन के मामलों का निपटारा

†४०३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री २१ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १२८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेंशन के मामलों के शीघ्रतापूर्वक निपाटरे सम्बन्धी नियमों में परिवर्तन के बारे में आधुनिकतम स्थिति क्या है ; और

(ख) अवशेष मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) विभिन्न पेंशन नियमों में संशोधन करने वाले आवश्यक आदेश, जिन के द्वारा पेंशन के मामलों के निपटारे में होने वाला विलम्ब कम होगा, २२ अप्रैल, १९६० को जारी किये जा चुके हैं २५ मार्च १९६० को जारी किये गये आदेशों की परिणाम-स्वरूप पेंशन के मामलों की जांच करने की प्रक्रिया भी सरल कर दी गई है ।

(ख) १ फरवरी, १९५९ को जो दो वर्ष पुराने पेंशन के मामले थे उनका विवरण पिछले सत्र में सभा पटल पर रखा गया था । इस समय अवशेष पेंशन मामले सम्बन्धी अग्रेतर सूचना एकत्रित की जा रही है । पेंशन नियमों और प्रक्रियाओं को हाल में जो सरल बनाया गया है उस का प्रभाव कुछ समय बीतने के बाद ही आंका जा सकता है ।

लद्दाख सीमा

†४०४. **श्री दी० शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों में भारत की लद्दाखी सीमा पर चीनी सैनिकों या पुलिस की गोलियों से अथवा चीनी सैनिकों के साथ मुकाबले में कितने भारतीय सैनिक या अफसर मारे गये अथवा घायल हुए ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : पिछले तीन महीनों में चीनी आक्रमण के कारण लद्दाख सीमा पर हमारी सेना या पुलिस का एक भी व्यक्ति न तो मारा गया है और न ही घायल हुआ है ?

†मूल अंग्रजी में

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में दुर्घटनाएं

†४०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर इस्पात कारखाना जब से आरम्भ हुआ है तब से वहां कितनी बड़ी दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) इन दुर्घटनाओं में कितने व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हुए ;

(ग) क्या दुर्घटनाओं के कारणों की कोई जांच की गई है ; और

(घ) भविष्य के लिये क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लि० ने सूचना दी है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आरम्भ होने से लेकर अब तक वहां १६८ बड़ी दुर्घटनायें हुई हैं, जिन में २०५ व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे;

(ग) जी, हां । प्रत्येक बड़ी दुर्घटना के बारे में जांच की गई है ;

(घ) भविष्य में दुर्घटनाओं को रोकने के लिये जांच अधिकारियों की सिफारिशों का पालन किया जाता है । सुरक्षा नियम भी बनाये गये हैं । सुरक्षा उपायों के लिये एक सुरक्षा अफसर नियुक्त किया गया है ।

होशियारपुर में संरक्षित स्मारक

†४०६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६६०-६१ में होशियारपुर जिला (पंजाब) में प्रत्येक रक्षित स्मारक की देखरेख और विशेष मरम्मतों के लिये कितनी राशि रखी गई है ; और

(ख) क्या उक्त कार्य के लिये १६५८-५६ में आवंटित पूरी राशि खर्च की गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-**कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) क्योंकि होशियारपुर जिले में कोई रक्षित स्मारक नहीं है, इसलिये इस की देख रेख के लिये कोई राशि आवंटित नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब को केन्द्रीय सहायता

†४०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६५६-६० में योजनातिरिक्त योजनाओं के लिये पंजाब सरकार को कोई केन्द्रीय सहायता दी गई थी ?

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) किस काम के लिये ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक सभा पटल पर रख दी जायगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा

†४०८. **श्री कुन्हन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० में प्राथमिक शिक्षा विकास के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी ; और

(ख) १९६०-६१ में कितनी सहायता दी जायेगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत, जिस में पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, मिडल और बुनियादी शिक्षा तथा अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं, दोनों केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में, सब योजनाओं के लिये १९५९-६० में मध्य प्रदेश सरकार के लिये ८४,८५,६५४ रुपये मंजूर किये गये थे । ब्यौरा इस प्रकार है :

	रुपये
प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत राज्य शिक्षा विकास योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता . . .	६५,०३,०००
केन्द्र द्वारा पोषित योजनाओं पर केन्द्रीय सहायता	
प्रारम्भिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा और महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण का विस्तार	४,७७,६५४
अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार . . .	१५,००,०००
प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान अध्यापन में उन्नति के लिये अग्रिम परि-योजना	५,०००

(ख) सामान्य शिक्षा क्षेत्र में सम्मिलित सब योजनाओं के लिये १९६०-६१ के लिये १९०.५१ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है । इस में मध्य प्रदेश सरकार के लिये ऋण के रूप में रखी गई ५.२७ लाख रुपये की राशि शामिल है ।

भारत और चीन के बीच छात्रों का विनिमय

†४०९. **श्री कुन्हन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और चीन के बीच छात्रों के विनिमय की योजना जब से लागू हुई है तब से कौन से भारतीय छात्र चीन भेजे गये हैं ; और

(ख) जो वापिस आ गये हैं उन के नाम क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) सर्वश्री बी० पी० दत्त, राम मनोहर सिन्हा, एस० सेशाद्री, कृष्णदास, ऐल्फ्रेड बैनसन संतराम, बी० एस० राव, कुमारी लतिका लैहरी, कुमारी रीना देवी चटर्जी और श्रीमती गार्गी दत्त ।

(ख) सर्वश्री बी०पी० दत्त, राम मनोहर सिन्हा, एस० सेशाद्री, कुमारी लतिका लहरी और श्रीमती गार्गी दत्त ।

तैयार इस्पात

†४१०. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह दशार्ने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० ५१ में तैयार इस्पात का उत्पादन क्या था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, उक्त अवधि में लक्ष्य पूर्ति, वित्तीय आवंटन और वास्तव में खर्च की गई राशि ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में लक्ष्य, अब तक की गई लक्ष्य पूर्ति वित्तीय आवंटन तथा अब तक वास्तव में खर्च की गई राशि ; और

(घ) यदि लक्ष्यपूर्ति में कुछ कमी रही है तो उसका क्या कारण है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) १०२२७६८ टन ।

	क्षमता	उत्पादन
(ख) मुख्य उत्पादकों के लिये पहली योजना का लक्ष्य	१५.५ लाख टन	१२.८ लाख टन
पहली योजना की लक्ष्य पूर्ति	१३.० लाख टन	१२.७ लाख टन
भारत सरकार का वित्तीय आवंटन		१५ करोड़ रुपये
वास्तव में खर्च की गई राशि		६.५४ करोड़ रुपये

(ग) दूसरी योजना के लिये तैयार इस्पात का ४६.८ लाख टन का क्षमता लक्ष्य और ४३ लाख टन का उत्पादन लक्ष्य रखा गया था ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में दो इस्पात कारखानों अर्थात टाटा लोहा और इस्पात कंपनी तथा भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी का विस्तार पूरा हो चुका है और २३ लाख टन का क्षमता लक्ष्य पूरा हो गया था । तथापि, प्रारंभिक कठिनाइयों के कारण उत्पादन की निर्धारित क्षमता पूरी नहीं हुई है । मैसूर के मामले में, अभी विस्तार संबंधी आर्डर दिये गये हैं । सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों में निर्माण कार्य पूर्णता की अन्तिम स्थिति में है ।

सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात कारखानों के लिये १९५८ में शोधित वित्तीय आवंटन ४९५ करोड़ रुपये था । यह तीनों इस्पात संयंत्रों और उनके सहायक उद्योगों (५५९ करोड़ रुपये) की लागत के १९५६ के प्राक्कलनों के आधार पर था और इस में पहली योजना अवधि में किया गया व्यय, दूसरी योजना अवधि में होने वाला संभावित व्यय और कुछ आन्तरिक संसाधन सम्मिलित थे । दूसरी योजना अवधि में ५८० करोड़ रुपये व्यय होने की संभावना है , जिसमें से ५०१ करोड़ रुपये १९५९–६० के अन्त तक खर्च किये जा चुके हैं ।

(घ) ढले हुए इस्पात की लक्ष्य क्षमता योजना अवधि के अन्दर पूरी हो जाएगी और दो तैयार करने वाले मिलों --रूरकेला का कोल्ड रोलिंग मिल तथा दुर्गापुर का पहिया, टायर और धुरा संयंत्र के अतिरिक्त, तीनों इस्पात कारखानों के सभी एकक दूसरी योजना के अन्त तक तैयार हो जाएंगे । गैर सरकारी क्षेत्र के कारखानों के समान, न कारखानों उत्पादन में लक्ष्य क्षमता प्राप्ति में कुछ समय लगने की संभावना है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

फेरो-मेंगनीज

†४११. **श्री मोरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री सभा पटल पर दर्शाने वाला विवरण रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०–५१ में फेरो–मेंगनीज का उत्पादन क्या था ;

(ख) पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, अब तक की लक्ष्य-पूर्ति, वित्तीय उपबन्ध तथा पहली योजना अवधि में वास्तव में खर्च हुई राशि ;

(ग) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि का लक्ष्य, अब तक की लक्ष्य पूर्ति, दूसरी योजना का वित्तीय उपबंध तथा अब तक खर्च की गई राशि ; और

(घ) यदि लक्ष्य पूर्ति में कुछ कमी रही हो, तो उस कमी के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) लगभग २०,००० टन ।

(ख) कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था । फेरो–मेंगनीज का सविराम उत्पादन करने वाले दो एकक थे ।

(ग) जितनी क्षमता स्थापित किये जाने की संभावना थी उस को ध्यान में रखते हुए, पहले से लाइसेंस की गई योजनाओं में से, १९६०–६१ तक १६०,००० टन अधिष्ठापित करने का लक्ष्य दिखाया गया था । ९.५ करोड़ रुपया लगाने का विचार किया गया था । क्योंकि मैसूर के कारखाने को छोड़ कर सभी संयंत्र गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं, वास्तविक व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु कहा जाता है कि उद्योग ने अब तक लगभग ७ करोड़ रुपया लगाया है । योजनाओं की प्रगति को देखते हुए मार्च १९६१ तक लगभग १४५,००० टन क्षमता लगाई जाएगी ।

(घ) फेरो–मेंगनीज की आन्तरिक मांग ६०,००० टन के लगभग होगी । निर्यात के लिये अतिरिक्त क्षमता लगाये जाने के प्रश्न का संबंध अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में नियोजकों के मत से है ।

त्रिपुरा में हाई स्कूल

†४१२. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में उमाकांत अकादमी हाई स्कूल बोर्डिंग हाउस और खोवई हाई स्कल बोर्डिंग हाउस में कितने विद्यार्थियों के लिये स्थान हैं ;

(ख) क्या गैर-आदिवासी विद्यार्थियों को उन बोर्डिंग हाउसों में स्थान मिल सकता है ;

(ग) क्या आदिम जाति और गैर-आदिम जाति विद्यार्थियों के लिये कोई स्थान रक्षित हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क)

(१) उमाकांत अकादमी हाई स्कूल बोर्डिंग हाउस .	५५
(२) खोवई सरकारी हाई स्कूल बोर्डिंग हाउस . .	५३

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

तुलसीबाटी बालिका होस्टल, अगरतला

†४१३. **श्री दशरथ देव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तुलसीबाटी बालिका होस्टल, अगरतला त्रिपुरा में इस समय कितनी छात्राएं रहती हैं ;

(ख) यदि उन में आदिम जाति की छोत्राएं हैं, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या आदिम जाति की छात्राओं के लिये कोई स्थान रक्षित रखे जाते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितने ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) १६ ।

(ख) ७ ।

(ग) जी नहीं, किन्तु आदिम जाति छात्राओं को प्राथमिकता दी जाती है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मोहन क्षेत्र के आदिम जाति लोगों का बसाया जाना

†४१४. **श्री दशरथ देव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिपुरा में सोनामूर सब डिवीजन के मोहनभोग क्षेत्र के आदिम जाति लोगों को बसाने के लिये, जिन्हें त्रिपुरा प्रशासन ने कई पीढ़ियों से उन के कब्जे वाली भूमि को छोड़ देने के लिये कहा है, भूमि मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह स्थान कहां है और उस भूमि की किस्म कैसी है ; और

(ग) भूमि आवंटन के अतिरिक्त उन्हें और क्या सुविधायें प्रदान की जाएंगी ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी, हां । सत्रह परिवारों के लिये भूमि मिल गई है और शेष परिवारों के लिये भूमि प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ख) १७ में से प्रत्येक परिवार को बेलोनिया सब डिवीजन की राधानगर तहसील मौजा, दक्षिण कृष्णपुर में ६.४० एकड़ टिना भमि और ०.४० एकड़ लूंग भूमि दी गई है ।

(ग) प्रत्येक परिवार को ५०० रुपये का अनुदान दिया गया है ।

दिल्ली पोलिटैक्निक में इंजीनियरी के विद्यार्थी

†४१५. **श्री कुन्हन :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ६ सितंबर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश विद्यार्थी, जिन्होंने अपना डिग्री पाठ्यक्रम पास कर लिया है, अभी तक बेकार हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कितने लोगों को कारोबार मिला है ;

(ग) अभी तक कितने लोग बेकार हैं ; और

(घ) उन को उपयुक्त नौकरियां दिलाने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). ६५ विद्यार्थियों में से जिन्होंने बिजली मैकैनिकल, सिविल और कैमिकल इंजीनियरी में १९६० में दिल्ली पोलिटैक्निक से अपना डिग्री पाठ्यक्रम पास किया है, ७९ को नौकरी मिलने की सूचना मिली है । शेष १६ में से ११ छात्रवृति के साथ या उस के बिना प्रशिक्षण पा रहे हैं । दिल्ली पोलिटैक्निक के प्रशिक्षण तथा रोजगार का प्रोफैसर इन सफल विद्यार्थियों को नौकरी दिलाने में सहायता करने के लिये गैर-सरकारी नियोजकों/रोजगार दफ्तरों के साथ सम्पर्क रखता है ।

अलीपुर में भूमि

†**४१६. श्री न० म० देव :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कलकत्ता के समीप अलीपुर में संबद्ध विभाग द्वारा अधिग्रहण किये गये स्थानों को वापिस देने का विचार करती है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** प्रतिरक्षा मंत्रालय के पास कलकत्ता में नई अलीपुर में कुछ भूमि अधिग्रहित है । इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि क्या उस भूमि का कुछ भाग लौटाया जा सकता है ।

विश्वविद्यालयों में तैरने के तालाब

४१७. श्री राम शरण : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों को तैरने के तालाब बनाने के लिए अनुदान दिये गये हैं ;

(ख) एक तैरने का तालाब बनाने के लिए अधिकतम कितनी राशि का अनुदान दिया गया है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए १९५९-६० और १९६०-६१ में अब तक कितना धन दिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) ६५, यह संख्या योजना के आरंभ काल अर्थात १९५३-५४ से अब तक की है ।

(ख) ३०,००० रु० ।

(ग) कुछ भी नहीं । इस समय के दौरान में किसी भी विश्वविद्यालय और डिग्री कालेज को कोई अनुदान नहीं दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्पिति घाटी का सर्वेक्षण

†४१८. **श्री हेम राज :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह **बताने** की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से स्पिति घाटी का समूचा **सर्वेक्षण** करने के लिये प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कुछ कार्रवाई की गई है ; और

(ग) यह कब पूरा हो जाएगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा०म०मो० दास) :** (क) जी, हां।

(ख) अभी इस की योजना नहीं की गई, क्योंकि सर्वेक्षण दल दूसरी पंचवर्षीय **योजना** से संबंधित अन्य प्राथमिकता कार्यों में लगे हुए हैं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कच्चे लोहे और इस्पात का स्टाक

†४१९. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) ३१ अक्तुबर, १९६० तक रूरकेला इस्पात संयंत्र में कच्चे लोहे और इस्पात **की छड़ों** का कितना स्टाक पड़ा था ; और

(ख) वहां माल जमा होने का क्या कारण था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) हिन्दुस्तान स्टील **कंपनी** ने सूचना दी है कि ३१ अक्तूबर, १९६० तक स्टाक में लगभग ४००० टन कच्चा **लोहा** था । रूरकेला छड़े नहीं बनाता ।

(ख) इतना स्टाक उचित समझा जाता है ।

मध्य प्रदेश को आवंटित कच्चा लोहा

†४२०. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) १९५९-६० में मध्य प्रदेश को कितना कच्चा लोहा आवंटित किया गया **था** ; और

(ख) उक्त अवधि में कितना कच्चा लोहा दिया गया था ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) कच्चे लोहे की मांग **की** गई—लगभग ८४५० टन ।

(ख) कच्चा लोहा दिया गया—लगभग ४७०० टन ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब को लोहे की चादरों का संभरण

†४२१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में पंजाब सरकार की लोहे की चादरों की मांग क्या थी ;

(ख) कितनी मांग पूरी की गई और पंजाब सरकार को विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिये लोहे की अधिक चादरें देने के लिये क्या प्रबंध किया गया है ?

†**इस्पान, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). सूचना नीचे दी जाती है :—

(१)	लोहे की चादरों की मांग . . .	८५३७१ टन
(२)	लोहे की चादरों का आवंटन . .	४०४१९ टन
(३)	लोहे की चादरों का संभरण . . .	१५२६५ टन

राज्यों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये उपलब्ध माल का समान वितरण किया जाता है ।

पंजाब का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†४२२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने १९५९–६० में पंजाब के किन प्रदेशों का सर्वेक्षण किया था ; और

(ख) क्या परिणाम निकला ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). भारत के भतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने कांगड़ा जिला, पंजाब में धर्मशाला—मंडी क्षेत्र का नियत मानचित्र खेंचा है । गुड़गांव जिला पंजाब में, सफेद मिट्टी के बर्तन तथा शीशा बनाने के लिये उपयुक्त बढ़िया किस्म की चीनी मिट्टी और नरम चूरा होने वाले काचमणि की विद्यमान्यता के बारे में जांच की गई थी और ५० वर्ग मील क्षेत्र का विस्तारपूर्वक सर्वेक्षण किया गया था । एक नया मिट्टी क्षेत्र ८–१२ फुट चौड़ा, १०० गज की दूरी तक सतह पर मिलने वाला अलीपुर के समीप प्राप्त हुआ है ।

पंजाब के महेन्द्रगढ़ जिले में, नारनौल के पास घाटाशेर, मोथोका, तीजांवाली और खारना पहाड़ियों का प्रारंभिक परीक्षण किया गया था । खाइयां और खुदाई के द्वारा तीजांवाली के समीप विस्तृत कार्य भी किया गया है ।

अम्बाला और होशियारपुर जिलों में प्रयोगात्मक खुदाई में आए हुए क्षेत्रों में विस्तृत भूमिगत जल संबंधी जांच की गई है । चंडीगढ़ में प्रस्तावित छावनी के जल संभरण के लिये भूमिगत जल की जांच की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भाखड़ा—नांगल परियोजना संबंधी जांच जारी रखी गई । ब्यास बांध परियोजना और ब्यास सतलुज लिंक परियोजना की जांच की गई थी । उत्तर-पश्चिम रेलवे के पठान-कोट—जोगिन्दर नगर सैक्शन पर कोपरलाहर और कांगड़ा के बीच पहाड़ी तरफों की स्थापिता की जांच की गई थी ।

पंजाब में भूतपूर्व सैनिकों की बस्तियां

†४२३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में वहां के भूतपूर्व सैनिकों के लिये अब तक कितनी बस्तियां बसाई गई हैं ; और

(ख) बस्तियों में रहने वालों की संख्या क्या है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या) :** (क) तीन ।

(ख) ४७५ ।

उत्तर प्रदेश में पुरातत्वीय खुदाई

†४२४. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९–६० में उत्तर प्रदेश में कोई पुरातत्वीय खुदाई की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) १९५९–६० में केन्द्रीय पुरातत्व विभाग ने उत्तर प्रदेश में कोई पुरातत्वीय खुदाई नहीं की थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अनुसूचित जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण

†४२५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों , अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ी श्रेणियों की सूचियों के पुनरीक्षण के बारे में क्या अग्रेतर प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** उल्लिखित प्रश्न के उत्तर में जो स्थिति बताई गई थी, उस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

गुरुदासपुर में पुरातत्व सम्बन्धी सर्वेक्षण

†४२६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुरातत्व विभाग गुरुदासपुर के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों पर खुदाई का कार्य प्रारम्भ करने का विचार रखता है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लाल किला, दिल्ली

†४२७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में लाल किले की मरम्मत प्रारम्भ की गयी थी ;

(ख) क्या वह कार्य पूरा हो गया था ;

(ग) क्या वह कार्य विभाग की ओर से किया गया था या ठेकेदारों के द्वारा ;

(घ) क्या वह कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) जी, हां ।

(ख) लाल किले में कुछ एक स्मारकों की मरम्मत पूरी हो गयी है और शेष की मरम्मत की जा रही है ।

(ग) विभाग द्वारा ।

(घ) और (ङ). जब कभी सामान उपलब्ध नहीं हो सका अथवा नकशों का पुनरीक्षण कराने में कुछ समय लग गया तो उस समय कुछ एक स्मारकों का काय बीच में ही रुक गया था ।

जलियांवाला बाग़ का स्मारक

†४२८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जलियांवाला बाग के राष्ट्रीय स्मारक के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) वह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). कार्य लगभग पूरा हो गया है । केवल अन्तिम कार्य किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रविधिक सहयोग मिशन के अधीन शिक्षक प्रशिक्षण

†४२९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में प्रविधिक सहयोग मिशन शिक्षक प्रशिक्षण योजना के अधीन अमेरिका में स्नातकोतर अध्ययन के लिये कितने व्यक्तियों को चुना गया है ;

(ख) क्या उन व्यक्तियों को भारत सरकार की ओर से भी वित्तीय सहायता दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) ६० ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कुतुब मीनार से आत्महत्या

†४३०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २५ सितम्बर, १९६० को कृष्णलाल नामक एक नवयुवक ने बेरोजगारी के कारण कुतुब मीनार की चोटी से नीचे कूद कर आत्महत्या कर ली थी ;

(ख) क्या उसके सम्बन्धियों को सूचित कर दिया गया है ;

(ग) १ अगस्त, १९६० से अब तक कुल कितने व्यक्तियों ने कुतुब मीनार से आत्महत्या की है ; और

(घ) इस प्रकार के मामलों की रोकथाम के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) २५ सितम्बर, १९६० को एक नवयुवक ने कुतुब मीनार से कूद कर आत्महत्या कर ली थी । उसकी दाहिनी बांह पर उर्दू में 'कृष्ण लाल' शब्द गोदे हुए थे । उसकी जेब में हिन्दी में लिखा हुआ एक पत्र मिला था जिसमें यह लिखा था कि वह रोजगार प्राप्त न कर सका । पत्र में नाम 'कृष्ण लाल' अंग्रेजी में लिखा हुआ था ।

(ख) बारम्बार प्रयत्न करने पर भी पुलिस उसकी पहचान न कर सकी और न ही उसका पता मालूम कर सकी ।

(ग) एक ।

(घ) सुरक्षा कार्यवाही के रूप में अब किसी भी व्यक्ति को तब तक कुतुब मीनार पर नहीं जाने दिया जाता, जब तक कि उसके साथ कम से कम दो और

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यक्ति भी न हों । इस आदेश का पालन करने के लिये कुतुब मीनार के द्वार पर एक चौकीदार और एक पुलिस का सिपाही तैनात कर दिये गये हैं । सूर्यास्त से ले कर सूर्योदय तक मीनार में किसी को नहीं जाने दिया जाता ।

पंजाब में लड़कियों की शिक्षा

†४३१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में पंजाब में लड़कियों की शिक्षा के लिये पंजाब सरकार द्वारा कितनी राशि मांगी गयी थी ;

(ख) राज्य सरकार ने किन किन योजनाओं के अधीन ये राशियां मांगी थीं और प्रत्येक योजना के लिये कितनी कितनी राशि मंजूर की गयी ह ;

(ग) १९५९–६० में कितनी राशि खर्च की गयी थी ;

(घ) क्या दुर्गाबाई देशमुख समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के लिये कोई और नयी शिक्षा योजना बनायी गयी है ; और

(ङ) इन योजनाओं के लिये पंजाब के लिये कहां तक मंजूरी दी गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) से (ङ). सभा पटल पर पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

(क) पंजाब सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा और प्राथमिक अवस्था में शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के विस्तार के लिये विभिन्न योजनाओं के लिये निम्नलिखित राशियां मांगी गयी थीं :–

१९५९–६०	३ लाख रुपये
१९६०–६१	३ लाख रुपये

(ख) ग्राम्य क्षेत्रों में शिक्षिकाओं के लिये क्वार्टर बनवाने की उपयोजना का सुझाव दिया गया है और भाग (क) में बतायी गयी राशियां मंजूर कर दी गयी हैं ।

(ग) २.९९ लाख रुपये ।

(घ) जी हां । लड़कियों की शिक्षा और शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के विस्तार की योजना के अधीन लड़कियों के मिडल तथा माध्यमिक स्कूलों में छात्रावास सम्बन्धी सुविधायें देने के लिये एक नयी उपयोजना ।

(ङ) पांच संस्थाओं से आवेदन-पत्र मांगे गये हैं और राज्य सरकार से वे प्राप्त हो गयी हैं । उन पर इस समय विचार किया जा रहा है ।

बाल पुस्तक न्यास के लिये मुद्रणालय

†४३२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री ८ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि बाल पुस्तक न्यास के लिये मुद्रण यंत्र लगाने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : बाल पुस्तक न्यास को एक मुद्रण यंत्र तो प्राप्त हो गया है, अब उसे लगाना रह गया है । प्रैस के लिये इमारत बन जाने के बाद ही इसे लगाया जा सकेगा । सरकार द्वारा आवंटित भूमि के प्लाट के लिये पटटा करार पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं और पांच मंजिलों की एक इमारत के लिये मंजूरी ली जा रही है । उसकी इमारत के लिये नकशा स्वीकृति के लिये दिल्ली नगर निगम के पास भेज दिया गया है ।

नूनमती में तेल शोधक कारखाना

†४३३. { **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री ८ अगस्त, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या २०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नूनमती (गोहाटी) में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७७]**

पहाड़ी स्थानों पर अवकाश-गृह

†४३४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ८ अगस्त, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या २१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा जवानों तथा कर्मचारियों के लिये पहाड़ी स्थानों पर अवकाश-गृह बनाने सम्बन्धी योजना तैयार करने के कार्य में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : द्वितीय वेतन आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में की गयी सिफारिशों के संदर्भ में इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

गांजे और अफीम का तस्कर-व्यापार

४३५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन मास में गांजा और अफीम के तस्कर-व्यापार के कितने मामले पकड़े गये और इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : १ जुलाई से ३० सितम्बर, १६६० तक के तीन महीनों में चोरी छिपे गांजा और अफीम लाने के मामलों और हिरासत में लिये गये आदमियों की संख्या इस प्रकार है :—

	पकड़े गये मामलों की संख्या	हिरासत में लिये गये आदमियों की संख्या
गांजा . . .	२४	२६
अफीम	२०८	२३६

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा संस्थापन

†४३६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा संस्थापनों के औद्योगिक तथा अनौद्योगिक असैनिक कर्मचारियों के स्थायी बनाने के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या वायु सेना सहित सभी संस्थापनों में ४० प्रतिशत स्थायी स्थान भरे जा चुके हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कार्य को गति देने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) आदेश जारी कर दिये गये हैं कि (वर्कशापों तथा औद्योगिक संस्थापनों के अतिरिक्त) शेष ऐसे दफ्तरों में जो कि स्थायी प्रकार के हैं, विभिन्न ग्रेडों के ऐसे स्थायी स्थानों में से ८० प्रतिशत को, जिनकी स्थायी प्रकार के कार्य के लिये जरूरत है और जो कि १–४–५६ को गत तीन वर्षों से लगातार जारी थे, स्थायी बना दिया जाये ।

(ख) अस्थायी स्थानों को स्थायी बना देने सम्बन्धी पूर्ववर्ती आदेशों को कार्यान्वित किया गया है । उसका प्रतिशतक विभिन्न संस्थापनों और सेवाओं की किस्म के अनुसार भिन्न भिन्न है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

ट्रकों का निर्माण

†४३७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रकों के निर्माण के लिये आवश्यक कच्चे सामान की उपलब्धि में कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) जी हां । कुछ सीमा तक । इस्पात की चादरों की प्राप्ति में अभी तक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) स्थिति में सुधार करने के लिये लोहा और इस्पात नियंत्रक से निकट सम्पर्क रखा जा रहा है ।

इस्पात का आयात

†४३८. { **श्री सै० अ० मेहदी** :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ३ अगस्त, १९६० के **तारांकित प्रश्न** संख्या ७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी पार्टियों द्वारा इस्पात का आयात किया जा रहा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सभा पटल पर एक विवरण रखा जायेगा जिस में उन पार्टियों के नाम, उनका इस व्यापार में तजुर्बा और स्थापना वर्ष बताया गया हो ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). इस्पात के लिये आयात लाइसेंस औज़ारी और धातुमिश्रित इस्पात, औद्योगिक स्क्रैप, तार तथा बॉक्स, स्ट्रेप्लिंग्स के आयात के लिये पुराने आयातकर्ताओं तथा कम सप्लाई वाली वस्तुओं के आयात के लिये सैकड़ों वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये जाते हैं। जारी किये गये आयात लाइसेंसों के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण "आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण के साप्ताहिक बुलेटिन" में दिया जाता है जो कि वाणिज्यिक सूचना तथा सांख्यिकीय विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित होता है ।

जहां तक उन पार्टियों के नाम, अनुभव आदि से सम्बंधित विवरण का सम्बन्ध है, यह अनुभव किया जाता है कि उस जानकारी को एकत्रित करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल

†४३६. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री राजेन्द्र सिंह :
श्री साधन गुप्त :
श्रीमती पार्वती कृष्णन् :
श्री सुबिमन घोष :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल ही की हड़ताल के सम्बन्ध में ऐसे कितने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं—

(क) जो अभी तक मोअत्तिल हैं ;

(ख) जो बरखास्त कर दिये गये हैं ;

(ग) जो सेवा-मुक्त कर दिये गये हैं ;

(घ) जिन्हें न्यायालय में दंड दिया गया है ;

(ङ) जो अभी तक जेल में हैं ;

(च) जिन पर १ नवम्बर, १९६० को मुकदमे चल रहे थे ; और

(छ) जिनके सेवा-क्रम में भंग हो गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) १५६४ ।

(ख) ३७९ (जिन में सेवा से हटाये गये कर्मचारी भी सम्मिलित हैं) ।

(ग) १९१

(घ) १५५८ (इन में से ९९४ के दण्ड क्षमा कर दिये गये)

(ङ) ८

(च) ४१६

(छ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड

†४४०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६४८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मल को टोकरियों अथवा बाल्टियों में डाल कर सिर पर उठाने की रीति को समाप्त करने की योजना तैयार करने के लिये केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड द्वारा नियुक्त की गयी उपसमिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या क्या सिफारिश की गयी है ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो

†४४१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने शिक्षा संबंधी मामलों पर अनुसन्धान तथा जानकारी सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्ध रखने वाली एक अन्तर्सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो में दाखिल होने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन सुझावों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसमें दाखिल होने के मुख्य कारण क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो एक अन्तर्सरकारी संस्था है और उस ने यूनेस्को से कार्य सम्बन्धी करार कर रखा है । उसके अधीन प्रतिवर्ष सार्वजनिक शिक्षा सम्बन्धी एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जाता है और १९४७ से यह सम्मेलन अब यूनेस्को के साथ ही हो रहा है ।

यह ब्यूरो सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत शिक्षा संबंधी सभी प्रकार की जानकारी देता है। उसकी ओर से एक त्रैमासिक बुलैटिन निकाली जाती है जिसमें सम्पूर्ण विश्व से शिक्षा सम्बन्धी विकास का एक सर्वेक्षण और नई पुस्तकों की एक व्यापक सूची प्रकाशित की जाती है । यह ब्यूरो "दी इन्टरनेशनल ईयर बक आफ एजूकेशन" नामक एक वार्षिक शिक्षा-सर्वेक्षण भी प्रकाशित करता है । इस ब्यूरो की व्यवस्था का वार्षिक चन्दा १०,००० स्विस फ्रेंक अर्थात लगभग ११,००० रुपये होता है

(ग) भारत सरकार सार्वजनिक शिक्षा सम्बन्धी वार्षिक सम्मेलनों में तो भाग लेती रही है , परन्तु उस ब्यूरो का नियमित सदस्य बने बिना यह उस ब्यूरो की अन्य सेवाओं से लाभ

---

†मूल अंग्रेजी में

नहीं उठा सकी थी। इसीलिये यह निर्णय किया गया कि उस ब्यूरो का नियमित सदस्य बन जाया जाये, और (१) शिशिष्ट विक्षा सम्बन्धी समस्याओं का समाधान पाने, (२) असफल तथा प्रायः खर्चीले यत्नों से बचने के लिये अन्य देशों में शिक्षा सम्बन्धी विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने और (३) भारत में शिक्षा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जानकारी देने के कार्यों में उस ब्यूरो में उस ब्यूरो की सेवाओं से लाभ उठाया जाये।

यह ख्याल है कि शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे में विचारों और जानकारी के आदान प्रदान से भारत में शिक्षा सम्बन्धी विकास कार्य में सहायता मिलेगी।

उत्तरी सीमान्त क्षेत्र में नये ज़िले

४४२. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९८३ और २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७११ के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी सीमान्त क्षेत्र में गहन प्रशासन और विकास के लिये बनाये गये नये ज़िलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल और जनसंख्या कितनी है ;

(ख) उनके विकास कार्यक्रम को नया प्रोत्साहन देने के लिए कौन-कौन सी योजनायें स्वीकृत हुई हैं और उन्हें कार्यान्वित करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक जिले के लिये कितनी वित्तीय सहायता मंजूर की गई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) से (ग). छः विवरण पत्र संलग्न हैं। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७८]** ।

लोक सहायक सेना

४४३. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ९७१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सहायक सेना के पुनर्गठन के प्रश्न के बारे में, जिस पर विचार किया जा रहा था, इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पुनर्गठन योजना पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण पटल पर रखा जायेगा, और

(ग) पुनर्गठन की इस योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही की जा रही ह ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, हां। पुगर्गठित लोक सहायक सेना को चलाने के लिए आदेश जारी कर दिए गये हैं।

(ख) पुनर्गठित योजना की रूप रेखा प्रस्तुत करने वाला एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ७९]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) योजना को कार्यान्वित करने के लिये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो प्रशिक्षण शिविर जारी हैं या शीघ्र ही लगाए जाने वाले हैं, उन में कोई तबदीली नहीं की जायेगी । पुनर्गठित योजना के अधीन प्रशिक्षण केन्द्र, जनवरी, १९६१ से लगाए जाने की आशा है ।

पब्लिक स्कूल

†४४४. **श्री राजेंद्र सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में पब्लिक स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है ;

(घ) यदि हां, तो १९५९ और १९६० में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) इस समय पब्लिक स्कूलों में विद्यार्थियों की कुल कितनी संख्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य पब्लिक स्कूलों में वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) इस अवधि में केवल एक स्कूल पूर्व सदस्य के रूप में और एक स्कल सम्बद्ध सदस्य के रूप में पंजीबद्ध किया गया है ;

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है, **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८०]** ।

मणिमारसूं (गढ़वाल) में हीरों का पाया जाना

†४४५. **श्री गोरे :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के गढ़वाल जिले में मंणिमारसूं के स्थान पर एक स्त्री को कुछ हीरे मिले थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन हीरों की मात्रा को जानने के लिये और अधिक खोज करने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हीरों का पाया जाना दुर्लभ है ।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्

†४४६. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री हाल्दर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् की आगामी बैठक के सम्बन्ध में स्थान और समय निश्चित कर लिया गया है ;

(ख) क्या उस बैठक के लिये कार्यक्रम निश्चित कर लिया गया है ; और

†मल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने यह प्रार्थना की है कि आगामी बैठक के कार्यक्रम में बिहार और उड़ीसा की सीमाओं के समायोजन के प्रश्न को भी सम्मिलित कर लिया जाये ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, नहीं।

(ख) कुछ एक सुझाव प्राप्त हुए हैं, परन्तु अभी तक कार्यक्रम को अन्मि रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

उड़ीसा में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक

†४४७. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में उड़ीसा राज्य के प्राइमरी स्कूलों के कम वेतन प्राप्त करने वाले शिक्षकों के वेतन बढ़ाने के लिये उस सरकार को कोई सहायता देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सहायता का प्रस्ताव किया गया है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने उस सहायता का उपयोग किया है ; और

(घ) विभिन्न राज्यों के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के वार्षिक वेतन क्या क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां।

(ख) आने वाले अतिरिक्त खर्च के ५० प्रतिशत अंश के बराबर सहायता देने का प्रस्ताव किया गया था । वास्तव में निम्नलिखित अनुदान मंजूर किये गये थे :—

वर्ष	केन्द्रीय अनुदान रुपये
१९५६–५७	३,९९,०००
१९५७–५८	५,६३,५००

१९५८–५९ तथा उसके बाद के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसके बाद से केन्द्रीय अनुदान विभिन्न योजनाओं के आधार पर नहीं दिये जाते, अपितु कई योजनाओं पर इकट्ठे ही दे दिया जाता है । प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के वेतनक्रमों में वृद्धि की योजना प्राथमिक शिक्षा योजना वर्ग के अन्तर्गत आती है ।

(ग) जी, हां । ठीक ठीक उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी निहित है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८१]** ।

इस्पात और लोहे का वस्तु विनिमय के आधार पर आयात

†४४८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० और १९६०–६१ में वस्तु विनिमय के आधार पर आयात किये —

†मूल अंग्रेज़ी में

गये लोहे और इस्पात की किस्म और डिलीवरी के सम्बन्ध में विभिन्न सरकारी संगठनों और आयात कर्ताओं से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) इस प्रकार की शिकायतों को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) देश में आयात किये गये इस्पात में से ऐसा कितना स्टाक है जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). शिकायतों के सम्बन्ध में मांगी गयी जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस प्रकार की शिकायतों के प्राप्त होने पर उस के बारे में उपयुक्त कार्यवाही की जाती है ।

(ग) ३१–१०–६० को निम्नलिखित स्टाक बचा था :—

	टन
(१) वस्तु विनिमय के आधार पर मंगाया गया	९२,०७५
(२) वाणिज्यिक आधार पर मंगाया गया . .	७३९
(३) राजकीय सहायता से मंगाया गया .	६,४६९
कुल . . .	९९,२८३

उक्त मात्राओं के लिये रिलीज़ आर्डर जारी किये जा रहे हैं ।

उड़ीसा में अपाहिज व्यक्तियों को प्रशिक्षण

†४४९. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में अपाहिज व्यक्तियों की शिक्षा प्रशिक्षण और रोजगार के लिए उड़ीसा सरकार को दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अब तक कोई धन-राशि दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार को १९५६—५८ में "अखिल उड़ीसा मूक और बधिर स्कूल के प्रान्तीयकरण" की योजना को क्रियान्वित करने के लिए ७२,६७ रुपया दिया गया था । दूसरी योजना की अवधि के शेष वर्षों की जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि पुनरीक्षित प्रक्रिया के अनुसार अनुदान योजनाओं के चार वर्गों अर्थात प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा और 'अन्य शिक्षा योजनाओं' के लिए मंजूर किये जाते हैं ।

विदेशी बैंकों में जमा रकमें

†४५०. { **श्री वारियर** :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं जिन में विदेशी बैंकों में धन जमा कराने के उद्देश्य से आयात के बीजकों में गड़बड़ की गयी हो ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इन में से प्रत्येक मामला कितनी रकम का था ; और

(ग) इस प्रकार पकड़े गये लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) विदेशी बैंकों में धन जमा कराने के उद्देश्य से आयात के बीजकों में जो गड़बड़ की जाती है, वह प्राय: विदेशी सम्भरण कर्ताओं के सहयोग से आयात के बीजकों में वास्तविक देय राशि से अधिक रकम डाल कर की जाती है ताकि आयात किये गये सामान के वास्तविक मूल्य से अधिक विदेशी मुद्रा विदेशों को भेजी जा सके । सरकार को ऐसे २१ मामलों का पता चला है किन्तु केवल छ: मामले ऐसे हैं जिन में इस बात को सिद्ध करने के प्रमाण हैं कि विदेशी बैंकों में धन जमा कराने के उद्देश्य से गलत बीजक बनाये गये ।

(ख) और (ग). उपरोक्त छ: मामलों में से तीन की जांच की जा रही है । शेष तीन मामलों में से प्रत्येक की रकम और इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी नीचे दी जा रही है :

राशि	क्या कार्यवाही की गयी
रजिस्टर (ख)	रजिस्टर (ग)
१. ३००० से ४००० पौंड तक . .	. सीमा–शुल्क विभाग द्वारा इस मामल को प्रवर्तन निदेशालय को सौंपा गया था और वह निदेशालय इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।
२. २५००० पौंड . .	. ६ में से पांच खेपों को समुद्र सीमा–शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत पूर्णतया जब्त कर लिया गया; सम्बन्धित व्यक्तिओं पर १,३९,००० रु० और ६९,५०० रु० का व्यक्तिगत जुर्माना किया गया और मामला प्रवर्तन निदशालय को सौंपा गया । छटी खेप के बारे में अभी न्याय-निर्णय नहीं हुआ । प्रवर्तन निदेशालय इस बारे में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।
३. १७०८५ रु० . .	. जब्त करने के स्थान पर ६००० रु० जुर्माना किया गया और १६,००० रु० का व्यक्तिगत अर्थ-दंड दिया गया ।

†मूल अंग्रजी में

सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा

†४५१. **श्री हेम बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से सरकारी कर्मचारियों ने यह शिकायत की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनकी बदली हो जाने पर उन्हें अपने बच्चों के लिये स्कूलों और कालेजों में स्थान प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या यह सच है कि यह कठिनाई उन कर्मचारियों को होती है जिन्हें वर्ष में आठ से दस महीनों के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया हो ; और

(ग) इन कर्मचारियों की स्थिति को सुविधाजनक बनाने और इन के बच्चों को शिक्षा की यथोचित सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) उन चुने हुये स्थानों पर, जहां पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या काफी अधिक है, समान पाठ्यक्रम वाली शिक्षा-संस्थायें, जिनमें शिक्षा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी हो, पर्याप्त संख्या में खोलने के प्रश्न पर आजकल विचार किया जा रहा है। इस बीच, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरित कर्मचारियों के बच्चों के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करें। राज्य-सरकारों का प्रत्युत्तर काफी उत्साहजनक है ।

उच्च शिक्षा स्तर

भारत सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों से अनुरोध किया है कि अपने राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा कालेजों से कहें कि वे उन शिक्षा संस्थाओं में यथोचित संख्या में स्थान सुरक्षित करके, अथवा यदि आवश्यक हो तो प्रवेश किये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि करके केन्द्रीय सरकार के स्थानान्तरित कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सुविधायें प्रदान करें ।

दिल्ली में विज्ञान संग्रहालय

†४५२. { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री रा० च० माझी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह संग्रहालय स्थापित किया जा चुका है ;

(ग) इस संग्रहालय में किस प्रकार की वस्तुयें प्रदर्शनार्थ रखी जायेंगी ; और

(घ) क्या ये सभी प्रस्तावित वस्तुएं संग्रहालय में रखी जा चुकी हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क), जी हां ।

(ख) से (घ) इस प्रस्थापना के सरकार द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार किये जाने के पश्चात इसका ब्योरा तैयार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इन्सपैक्टर जनरल ग्राफ पुलिस

†४५३. **श्री पहाड़िया : क्या गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं, जहां पर पुलिस के इन्सपैक्टर जनरल का आधारभूत वेतन कलैक्टर के वेतन के उच्चतम-क्रम से भी कम रकम से शुरू होता है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में; और

(ग) क्या पुलिस के इन इन्सपैक्टर जनरलों को कम वेतन देने के कुछ विशेष कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). मैसूर।

(ग) यह वेतन-क्रम राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर निर्धारित किया गया है।

भारतीय राजाओं की विदेशी आस्तियां

†४५४ **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६०९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राजाओं में से, जिनसे उनकी विदेशों में स्थित आस्तियों के बारे में जानकारी मांगी गयी थी, कितने लोगों ने जानकारी दे दी है और कितने लोगों ने नहीं दी; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त** : (क) सभी राजाओं ने, जिनको पत्र लिखे गये थे, अपने उत्तर भेज दिये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कृत्रिम तेल सम्बन्धी खोज

†४५५. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार भारत के तेल-क्षेत्रों में कृत्रिम तेल के संबंध में और आगे अनुसंधान करने के लिये प्रादेशिक प्रयोगशालायें स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो अग्रिम संयंत्र संबंधी कितने अन्वेषण किये गये हैं और उनकी स्थापना किन स्थानों पर की गयी है; और

(ग) इन जांच कार्यों का क्या परिणाम निकला है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पश्चिम जर्मनी के ऋण की अदायगी

†४५६. { **श्री राजेन्द्र सिंह :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार पश्चिम जर्मनी द्वारा दिये गये ऋण की अदायगी उस दिन नहीं कर पायी, जिस दिन के लिये वह वचनबद्ध थी ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस रकम के अदा न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या निर्धारित तिथि पर अदायगी न करने से पश्चिम जर्मनी की सरकार पर साथ भारत की साख के बारे में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: (क) और (ख). जी नहीं। भारत के विकास कार्यक्रम के लिये सहायता के अंग के रूप में, पश्चिम जर्मनी की सरकार इस बात से सहमत हो गयी है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र संबंधी ऋण के एक भाग की, जो ३१ दिसम्बर, १९६१ तक अदा किया जाना था, अवधि बढ़ा दी जायेगी। इस व्यवस्था के अन्तर्गत, १६.७३ करोड़ रुपये की राशि में से जिसकी अदायगी ३१ दिसम्बर, १९६१ तक की जानी थी, ५.५८ करोड़ रुपया निश्चित तिथि को अदा कर दिया जायेगा। ५.५८ करोड़ की और रकम के भुगतान की अवधि ४ वर्ष के लिये बढ़ा दी जायेगी, जिसे इच्छानुसार ४ वर्षों तक और आगे बढ़ाया जा सकेगा अर्थात् इस रकम की अदायगी कुल ८ वर्षों तक स्थगित की जा सकेगी। ५.५७ करोड़ रुपये की शेष रकम की अदायगी को भी पहले ४ वर्षों तक स्थगित किया जा सकता है और इस अवधि को ८ वर्षों तक और आगे बढ़ाने की भी छूट प्राप्त है। इस प्रकार इसकी अदायगी को कुल १२ वर्षों तक स्थगित किया जा सकेगा। इसी प्रकार, २२.८५ करोड़ रुपये की राशि में से, जिसका भुगतान अप्रैल-दिसम्बर, १९६१ तक किया जाना है, २.२९ करोड़ रुपया निर्धारित तिथि को अदा किया जायेगा। शेष रकम के आधे भाग अर्थात् १०.२८ करोड़ रुपये की अदायगी की अवधि को ८ वर्षों तक और शेष रकम की अदायगी को १२ वर्षों तक बढ़ाये जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद्

†४५७. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद् की स्थायी समितियों और वित्तीय समितियों के निर्वाचन संबंधी नियमों को संशोधित करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इन नियमों को संसद् में कब तक रखे जाने की संभावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) आपत्तियां और सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से, इन नियमों के संशोधनों के प्रारूप और प्रादेशिक परिषद नियम, १९५७ के संशोधन २० अगस्त, १९६० को गजट आफ इंडिया में और २६ अगस्त, १९६० को त्रिपुरा के संघीय राज्य-क्षेत्र के गजट में प्रकाशित किये गये थे

(ख) इस संबंध में जो आपत्तियां तथा सुझाव आये हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। इन नियमों को, अन्तिम रूप से संशोधित रूप में, प्रादेशिक परिषद अधिनियम, १९५६ की धारा ५४ की उप-धारा (३) के अन्त त संसद् के समक्ष रखा जायेगा।

दामचरा में सहायता कार्य

†४५८. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अगरतला के साप्ताहिक पत्र त्रिपुरा कथा में २८ अगस्त, १९६० को दामचरार चित्थी शीर्षक के अन्तर्गत दामचरा में किये गये प्रथम सहायता कार्य संबंधी मजूरी की अदायगी की बकाया राशि के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या अकालग्रस्त कर्मचारियों को अब तक अदायगी कर दी गयी है ;

(ग) क्या इस आरोप के बारे में जांच की गयी है ; और

(घ) यदि हां, उस जांच की आपत्तियां क्या हैं ?

†**गृह-कर्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). यह आरोप कि मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं दी गयी, सही नहीं है । प्रयोगात्मक (प्रथम नहीं) सहायता कार्य के लिये लगाये गये सभी श्रमिकों को हर रोज निर्धारित मजू ी दर के अनुसार मजूरी दी जाती रही है ।

त्रिपुरा की महिला समिति को सहायता

†४५९. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की महिला समिति को १९५९–६० में कुछ धन-राशि दी गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) इस समिति द्वारा किस किस्म के काम किये जाते हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) जी, हां । केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा ।

(ख) ४००० रु० ।

(ग) समिति लोगों में इस बात का प्रचार करती है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा विभाग द्वारा समिति के प्रांगण में संचालित नर्सरी कक्षाओं में भेजें ।

समिति ने पूर्व पाकिस्तान की विस्थापित महिलाओं के लिये बुनाई और कढ़ाई की कक्षाएं खोली हैं ।

समिति अपने सदस्यों द्वारा निर्मित चीजों की प्रदर्शनी का प्रति वर्ष आयोजन करती है और प्रशासन द्वारा त्रिपुरा क्षेत्रीय परिषद के सहयोग से आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेती है ।

त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति

†४६०. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति को कुछ धन-राशि दी गयी है अथवा दिये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) क्या आदिवासी महिला समिति सरकार द्वारा संचालित संगठन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो आदिम जाति कल्याण कार्यों को करने के लिये ऐसी समितियों को धन क्यों दिया जाता है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (घ). त्रिपुरा प्रशासन से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे यथोचित समय में लोक-सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां

†४६१. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०६ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ और १९५९ में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कितने पद अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए सुरक्षित रखे गये थे ; और

(ख) इन में से कितने पदों को असुरक्षित पदों के रूप में लिया गया और वर्ष १९५८-५९ और १९५९-६० के दौरान इन पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अतिरिक्त जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गयी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :**　(क)

वर्ष	अनु० जा०	अनु० आ० जा०	अनु० जा०/अनु० आ० जा०
१९५८ .	३३३	१३९	२५८
१९५९ .	३३०	१२२	३३०

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सांची स्तूप की मरम्मत

†४६२. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में किन प्राचीन स्मारकों की, जिनमें सांची स्तूप भी शामिल है, बड़े पैमाने पर मरम्मत की गयी, उनमें से प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ और मरम्मत का स्वरूप क्या था ;

(ख) इस बात के लिए क्या सावधानी बरती जाती है कि ऐसे स्मारकों को ऐसी क्षति न पहुंचे कि जिसकी मरम्मत न हो सके ; और

(ग) क्या सांची में पत्थर के जीर्ण ढांचों के स्थान पर सीमेंट के ढांचे लगा दिये गये हैं और क्या इससे इस इमारत की स्थापत्य-कला सम्बन्धी सौन्दर्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

इंग्लेंड में सैनिक सम्मेलन

†४६३. **श्री कालिका सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, १९६० के प्रथम सप्ताह में ब्रिटेन के शाही सैनिक स्टाफ के अध्यक्ष, फील्ड मार्शल सर फ्रांसिस फेस्टिंग की अध्यक्षता में इंग्लैण्ड में जो सैनिक सम्मेलन हुआ था,

†मूल अंग्रेजी में

क्या भारतीय स्थल सेना के अध्यक्ष जनरल के० एस० थिम्मैया ने उसमें भाग लिया था ;

(ख) क्या इस सम्मेलन में शस्त्रास्त्रों, व्यूह संचालन और साज सामान के युद्ध में प्रयोग के सम्बन्ध में चर्चा की गयी थी ;

(ग) क्या जनरल थिम्मैया फार्नबौरो वायुयान प्रदर्शनी में भी गये थे ; और

(घ) क्या उन्होंने कोई वायुयान खरीदा अथवा खरीदने का आर्डर दिया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां । शाही जनरल स्टाफ के अध्यक्ष द्वारा ७ से ६ सितम्बर, १६६० तक आयोजित अभ्यास में जनरल थिम्मैया ने भाग लिया था ।

(ख) यह बताना लोक-हित के विरुद्ध होगा कि वहां पर किस प्रकार की चर्चा हुई थी ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

गुजरात समुद्रतट पर सोने का तस्कार व्यापार

†४६४. **श्री मो० ब० ठाकुर** : क्या **वित्त** मंत्री २१ मार्च, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के समुद्रतट पर सोने के तस्कर व्यापार में वृद्धि हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जहां तक सरकार को ज्ञात है, इस बात का उत्तर 'ना' में है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

जनगणना सम्बन्धी प्रश्नावली

†४६५. **श्री अरविन्द घोषाल** :
श्री बि० दासगुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार को जनगणना प्राधिकार बनायी गयी सामान्य प्रश्नावली में अपने राज्य से सम्बन्धित किसी विशेष प्रश्न को जोड़ने की अनुमति दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेंध के लिये चेतावनी

†४६६. **श्री अरविंद घोषाल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास के किसी वैज्ञानिक द्वारा सेंध-चेतावनी उपकरण (बर्गलर अलार्म सिस्टम) का आविष्कार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसकी जांच की है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) मद्रास की एक फर्म ने यह दावा किया है कि उसने सेंध-चेतावनी उपकरण का आविष्कार किया है ।

(ख) जी नहीं ।

जापानी ऋण का उपयोग

†४६७. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को १९५८ में जापान से जो १८०,००० लाख येन का ऋण मिला था, उसमें से कितनी रकम का उपयोग किया जा चुका है ; और

(ख) इस ऋण को उपयोग करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). १८०,००० लाख येन (२३·८१ करोड़ रु०) के कुल ऋण को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए अन्तिम रूप से निर्धारित कर दिया गया है। जापान के निर्यात और आयात बैंक के साथ किये गये समझौते और उसे भेजे गये आवेदन-पत्र कुल १६·५ करोड़ रु० के बारे में हैं । इसका व्योरा संलग्न विवरण **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८२]** में दिया गया है । शेष ७·३१ करोड़ रुपया, विद्युत्, पत्तन, प्रसारण, औद्योगिक परियोजनाओं के लिए आवश्यक साज सामान की खरीद के लिए दी गयी मंजूरियों के अन्तर्गत आ जाता है ।

इस ऋण का उपयोग करने में शुरू शुरू में कुछ प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण विलम्ब हो रहा था किन्तु बाद में उन कठिनाइयों को हल कर लिया गया था । अनुमान है कि अगले वर्ष ऋण की पूरी धन-राशि के लिए जापानी प्राधिकारियों के पास आवेदन-पत्र भेज दिये जायेंगे ।

लाहौल-स्पिति जिले में बहुप्रयोजनीय खंड

४६८. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब सरकार से इस बारे में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है कि लाहौल-स्पिति जिले में एक बहुप्रयोजनीय खण्ड खोला जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख). पंजाब सरकार का तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दो सामुदायिक विकास खण्डों को (एक लाहौल घाटी में और दूसरा स्पिति घाटी में) बहुप्रयोजनीय आदिम जाति विकास खण्डों में बदलने का प्रस्ताव है । केन्द्रीय सरकार इस प्रस्ताव का अनुमोदन करती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भत्ते

†४६९. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों पर नियुक्त नौसैनिक अधिकारियों को तट पर नियुक्त नौसैनिक अधिकारियों से कुछ अतिरिक्त भत्ते दिये जाते हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सीमांत क्षेत्रों में नियुक्त स्थल सेना के कर्मचारियों के समान, इन लोगों को भी इस प्रकार के भत्ते देने का विचार है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)**: (क) और (ख). नौसेना के उन अधिकारियों को, जो कठिन परिस्थितियों में नौसेना के कुछ विशिष्ठ जलयानों पर, जब कि वे मुख्यतः समुद्र सेवा पर होते हैं अर्थात् उन्हें लम्बी अवधि के लिये खुले समुद्र में रहना पड़ता है अथवा वे एक पत्तन से किसी दूरस्थ पत्तन पर जा रहे हों, १ रु० से लेकर २·७५ रु० तक के बीच का दैनिक कठिन परिश्रम भत्ता[1] ग्राह्य होता है ।

सर्वेक्षण कार्यों पर नियुक्त नौसैनिक अधिकारियों को कुछ शर्तों को पूरा करने पर वार्षिक सवक्षण अध्युपकार[2] मिलता है, जिनमें एक यह भी है कि वे कम से कम ७५ दिन बाहर समुद्र पर रहे हों ।

भारत के ईर्द गिर्द निर्धारित समुद्रक्षेत्र की सीमा स बाहर नियुक्त नौसनिक अधिकारियों को ५० रु० से २५० रु० तक के बींच मासिक प्रत्यावर्तन भत्ता ग्राह्य होता है ।

नौसैनिक अधिकारियों को, जो जहाजों पर नियुक्त होते हैं सामान्य रूप से अतिरिक्त भत्ता दिये जाने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

जीवन बीमा निगम की शाखायें

†४७०. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने वर्ष १९६० के दौरान ३१ अक्तूबर, १९६० तक अपने काम के लिये देश में तथा देश के बाहर कुल कितनी पूर्ण शाखायें तथा संगठनकारी कार्यालय खोले और वे कहां-कहां खोले गये ;

(ख) शाखा अथवा संगठनकारी कार्यालय खोलने के लिये क्या-क्या बातें देखी जाती हैं ; और

(ग) ३१ अक्तूबर, १९६० की (खंडवार) शाखाओं तथा संगठनकारी कार्यालयों की कुल संख्या क्या थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क)

शाखा कार्यालय

भारत में . . .	कोई नहीं
भारत के बाहर	कोई नहीं

छोट कार्यालय जिन्हें शाखाओं के स्तर पर लाया गया

भारत में	२६

†मूल अंग्रेजी में

[1]Hardlying Money.

[2]Survey Bounty.

नई दिल्ली (२), गुड़गांव, अलवर, कोटा, भटिंड, अभोर, तारसी, आजमगढ़ नौगांव, अगरतला, छपड़ा, मुंगेर, टी० नगर, मांड्य, खम्भामेर, डिण्डीगल, नागरकोआइल विजयानगरम, छबली, पालनपुर, गोधंडा, वर्धा, अहमदनगर, सुरेन्द्रनगर, बलसर।

भारत के बाहर . कोई नहीं

छोटे कार्यालय :

भारत में ३६

शाहदरा, महरौली, दिल्ली छावनी, तिलकनगर, सिरोही फगवाना, मोगा नांगल, बटाला, पठानकोट, तरन-तारन, कानपुर सिटी, ललितपुर, सुल्तानपुर इंदौर सिटी, जयपुर, गोलाघाट, नलवारी, तिरुपति, कवाली, तिरुवलाभलाई, गोबीचेट्टिपलायम्, तेल्लिचेरी, नन्दयाल, इरिन्जलकुड, आलवई, चंगानाचेरी, चिकमागलपुर, विले-पार्ले, अंधेरी, पेन, योतमल, मालेगांव, अमरेली, लटूर खामगांव।

भारत के बाहर . . . कोई नहीं

विकास केन्द्र :

भारत में . . ३६

चूरू, भीलवाड़ा, नवलगढ़, एस० माधोपुर, भागपुर, चित्तोड़गढ़, संगरूर, पानीपत, भिवानी, जगराव, फत्तहपुर, बहराइच, रायबरेली, लखीमपुर, खीरी, नैनीताल, हाथरस, शाजापुर, मरेना, अम्बिकापुर, रीवां, बल्लिया, घाटल, झड़सुगुडा, डालटीगुन्जे, मधुबनी, फरवेसगंज, किशोरगंज, बेगुसराय, औरंगाबाद, पोलत्री, ओट्टापलम्, मालप्पुरम्, करीमनगर, महबूबनगर, पार्वतीपुरम, मीर।

भारत के बाहर . . . . कोई नहीं

(ख) नये कार्यालय खोलने के लिये यह देखा जाता है कि वहां कितना काम मिल सकता है, कितने प्रशिक्षित वहां उपलब्ध हैं, कार्यालय तथा रहने के लिये स्थान मिल सकेगा तथा वहां कितना काम करना है।

(ग)[1]

महाखंड	शाखाय	उपकार्यालय	विकास केन्द्र
उत्तर	४०	१३	१०
मध्य	४७	२२	११
पूर्व	६०	२८	;
दक्षिण	६४	३३	६
पश्चिम	५४	१९	१
कुल . .	२६५	११५	३६

टिप्पणी :—उपकार्यालय तथा विकास केन्द्र नाम के दो संगठनकारी कार्यालय होते हैं।

[1]मूल अंग्रेजी में

जीवन बीमा निगम का काम

†४७१. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन देशों में जीवन बीमा निगम अपना काम चला रहा है; और

(ख) जिस दिन से जीवन बीमा निगम नियुक्त हुआ है तब से इसने विदेशों में कुल कितने का (रुपयों में) काम प्राप्त किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जीवन बीमा निगम निम्नलिखित देशों में इस समय काम कर रहा है :

१. केन्या
२. यूगंडा
३. टंगानायिका राज्य क्षेत्र
४. जंजीबार
५. मलाया संघ
६. सिंगापुर की बस्ती
७. मारीशस
८. अदन
९. हांगकांग ; और
१०. फिजी

(ख) इन देशों से १५ अक्तूबर, १९६० तक २८.६० करोड़ रुपये।

राज्यों को अनुदान

†४७२. **श्री कोडियान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में केन्द्र ने राज्य सरकारों को कुल कितना अनुदान मंजूर किया ;

(ख) क्या राज्यों ने उस धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) केन्द्र का अनुदान जो इतनी बड़ी मात्रा में व्यपगत हो जाता है, उसे रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) केन्द्रीय सरकार के १९६०-६१ के आय-व्यय पर व्याख्यात्मक ज्ञापन के परिशिष्ट ८ के, जो संसद के समक्ष रखा गया था, भाग २ और ३ में जानकारी दी गई है ।

(ख) राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है उसके दो वर्ग हैं, एक वर्ग के अन्दर अनुदान किसी शर्त पर दिया जाता है और दूसरे वर्ग के अन्दर बिना शर्त के दिया जाता है। बाद वाला अनुदान राज्य के राजस्व में मिल जाता है और उसके उपयोग में लाये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। किसी शर्त पर दिये गये अनुदान अधिकांशत: वास्तविक यय से संबंधित होते हैं, अत: उनके उपयोग के आधार पर राज्य सरकार अन्त में उन्हें कहीं न कहीं लगा लेती है।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†मूल अंग्रेजी में

अंदमान द्वीपसमूह में विदेशी

†४७३. **श्री वोडयार** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप से कुछ गैर-भारतीय राष्ट्रजन निकाले गये हैं ; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी

†४७४. **श्री बैं० च० मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन के कई विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं ने भारत सरकार से यह शिकायत की है कि उन्हें भारतीय विद्यार्थियों से कई प्रार्थनापत्र प्राप्त होते हैं किन्तु बाद में वे विद्यार्थी पढ़ने नहीं आते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या क्या है ;

(ग) इस रवैये को खत्म करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थाओं में वे विद्यार्थी किन कठिनाइयों के कारण नहीं जा सके ; और

(ङ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १९५९ में १३८ ।

(ग) विश्वविद्यालयों से यह निवेदन किया गया है कि दाखिले के लिये गैर-सरकारी विद्यार्थियों के विदेशों से प्राप्त होने वाले प्रार्थनापत्रों की वे अच्छी तरह छानबीन किया करें।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में बाक्साइट निक्षेप

†४७५. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने यह बताया है कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में बाक्साइट के निक्षेप हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके खनन से क्या आशायें हैं ; और

(ग) इन निक्षेपों से अनुमानतः कितना बाक्साइट निकलेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) इस बाक्साइट का खनन करने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा क्योंकि यहां का बाक्साइट घटिया किस्म का है और निकट के क्षेत्रों में उससे अच्छे किस्म का बाक्साइट उपलब्ध है।

(ग) पंचापतमाली, कोरापुट माली के उत्तरी भाग में लगभग १४००० टन बाक्साइट के होने का अनुमान है।

---

†मूल अंग्रेजी में

मजलिस इत्तिहादुल-मुसलमीन

†४७६. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने अगले सामान्य निर्वाचन में "मजलिस इत्तिहादुल मुसलमीन" को एक पृथक चिन्ह नियत करने के लिये उसे एक राजनैतिक दल के रूप में माना है ; और

(ख) सरकार ने उसे एक राज्य राजनैतिक दल के रूप में माना है अथवा अखिल भारतीय राजनैतिक दल के रूप में ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मद्य निषेध की प्रगति का पुर्नविलोकन करने के लिये समिति

†४७७. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २७ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्य निषेध संबंधी केन्द्रीय समिति ने अपना काम समाप्त कर लिया है ;

(ख) समिति की उपपत्तियां क्या हैं ;

(ग) क्या समिति ने कोई सुझाव दिये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की प्रथम बैठक नई दिल्ली में १२ और १३ नवम्बर, १९६० को हुई । समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

(१) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से कहा जाये कि वे न्यूनतम कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित उपाय अपनायें :—

(क) मद्यपान से संबंधित विज्ञापनों तथा जनता को इस ओर प्रेरित करने वाली बातों को रोका जाये । प्रथमतः, समझाकर काम निकालने की कोशिश करनी चाहिये और बाद को यदि आवश्यक हो तो विधान का सहारा लिया जाये ;

(ख) होटलों, क्लबों, जलपानगृहों (लाइसेंस प्राप्त पृथक साइड रूम को छोड़कर) छात्रावासों तथा सिनेमा बारों में मद्यपान रोका जाये ।

(२) (क) देश में बनी शराब तथा शराब की दूकानों को दी जाने वाली उनकी मात्रा में बराबर कमी की जाये ;

(ख) विशिष्ट औद्योगिक तथा अन्य विकास परियोजना क्षेत्रों में तथा उनके निकट शराब की दूकानें बन्द की जायें;

(ग) नगरों तथा ग्रामों में मुख्य सड़कों तथा रिहायशी क्वार्टरों से दूरस्थ स्थानों को शराब की दूकानें ले जाई जायें ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) सस्ते तथा स्वास्थ्यकर हल्के पेयों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा उसे बढ़ाने के लिये सक्रिय कदम उठाये जायें ;

(ङ) आमोद प्रमोद केन्द्र संगठित करने में स्वयंसेवी अभिकरणों की सहायता की जाये ;

(च) सामुदायिक विकास खंडों तथा समाज कल्याण विस्तार परियोजनाओं, समाज शिक्षा कार्यक्रम, जन सम्पर्क तथा अन्य कल्याणकारी कार्यों में मद्यनिषेध का काम सम्मिलित किया जाये ;

(छ) एक क्रमबद्ध तथा सुयोजित तरीके से इसके लाभ बताने वाला प्रचार किया जाये। स्वयंसेवी/कल्याण संगठनों तथा समाज सेवकों की सेवायें ली जायें। महिला क्लबों, महिला कल्याण संगठनों के जरिये महिलाओं द्वारा उन लोगों की शराब पीने की आदत छुड़ाई जाये जो शराब पीने के आदी हो गये हैं।

(३) औषधि अधिनियम तथा आवश्यक उत्पादन शुल्क अधिनियमों तथा विनियमों को लागू करके विशेषतः मद्य निषेधवाले क्षेत्रों में टिंकचर/औषधीय/प्रसाधन संबंधी तथा अन्य अन्य स्पिरिटयुक्त चीजों के कपटपूर्ण प्रयोग को रोका जाये।

(४) यह एक सामान्य राय थी कि अन्य राज्यों के मद्य निषेध वाले क्षेत्रों से दस मील तक की दूरी के भाग में मद्य निषेध कर दिया जाये।

(५) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को विशेष रूप से मद्य निषेध वाले क्षेत्रों में गैर कानूनी तौर से शराब निकाले जाने की स्थिति के बारे में अपनी विस्तृत रिपोर्टें देने तथा उसे रोकने के लिये सुझाव देने के लिये कहा जाये। इन पर केन्द्रीय मद्य निषेध समिति की अगली बैठक में विचार किया जायेगा।

जम्मू व काश्मीर में सैनिक जवान

४७८. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू व काश्मीर में नियुक्त कितने सैनिक जवानों को उनके परिवारों के रहने के लिये क्वार्टर दिये गये हैं ;

(ख) कितने जवानों ने अपने परिवारों को अपने साथ रखा हुआ है ; और

(ग) कितने जवानों को परिवार भत्ता मिलता है और उसकी राशि कितनी है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया (क) तथा (ख). सरकार के विचार में इस प्रकार की सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है।

(ग) चाहे जम्मू काश्मीर में हों, चाहे कहीं और, सैनिक सेवीवर्ग को किसी प्रकार का कोई परिवार भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

जम्मू व काश्मीर में सैनिक अफसर

४७९. **श्री खुशवक्त राय** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू व काश्मीर में नियुक्त कितने सैनिक अफसरों को उनके परिवारों के रहने के लिये क्वार्टर दिये गये हैं ;

(ख) कितने अफसर अपने परिवारों को अपने साथ रखते हैं और कितनों के परिवार आस-पास के कस्बों में रहते हैं ; और

(ग) कितने अफसरों को परिवार भत्ता मिलता है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) तथा (ख). सरकार के विचार में इस प्रकार की सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

(ग) चाहे जम्मू-काश्मीर में हों, चाहें कहीं और, आफिसरों को किसी प्रकार का परिवार भत्ता स्वीकार्य नहीं है ।

मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषक बस्ती

†४८०. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५८–५९ अथवा १९५९–६० में केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना के अन्तर्गत मैसूर राज्य के जिला बिलारी के तालुका हासपेट के ग्राम कमालपुरम् के निकट एक पहाड़ी पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये एक कृषक बस्ती बनाई गई है ;

(ख) इस बस्ती के लिये सरकार ने कितना धन मंजूर किया है ;

(ग) कितने क्वार्टर बनाये गये हैं तथा उनमें से कितने वर्तमान हैं ;

(घ) क्या टूटे हुये क्वार्टरों के पुर्ननिर्माण पर कोई अतिरिक्त धनराशि व्यय की गई थी ;

(ङ) ये क्वार्टर खेतिहर मजदूरों अथवा कृषकों द्वारा कभी लिये गये थे ; और

(च) यदि हां, तो उनमें कितने परिवार रहते थे ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) से (च). मैसूर सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

'चेन्ना बासवनायक'

†४८१. { **श्री अगाड़ी :**
श्री सुगन्धि :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५३५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी के कार्यकारणी मंडल ने 'चेन्ना बासवनायक' को सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने क बारे में कन्नड़ मंत्रणा बोर्ड की सिफारिश पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनके द्वारा किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार की सूचना में यह बात लाई गई है कि इस उपन्यास के अनुवाद के विरुद्ध पूरे कर्नाटक में आंदोलन चल रहा है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस विवादास्पद पुस्तक का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने से पूर्व मैसूर सरकार अथवा उस राज्य में के विश्वविद्यालयों की राय लेने का कोई प्रस्ताव है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मैसूर राज्य में कुछ व्यक्तियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

नासिक में भूमि का अर्जन

†४८२. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २१ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१ से १९५५ के बीच सेना के कार्यों के लिये नासिक जिले में प्राप्त की गई भूमि के लिये प्रतिकर देने में आगे क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या वर्ष १९५५ से १९६० में कोई और भूमि प्राप्त की गई है ;

(ग) क्या कृषकों की यह मांग है कि ५० प्रतिशत की बजाय ८० प्रतिशत 'लेखे पर' भुगतान किया जाये ; और

(घ) सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]** ।

(ख) हां, श्रीमान् । केवल लगभग १३ एकड़ भूमि और अर्जित की गई है ।

(ग) और (घ). जहां तक सरकार को ज्ञात है, केवल एक ही व्यक्ति ने ऐसी मांग की थी और उसे तदनुसार भुगतान कर दिया गया है । सितम्बर १९५७ में संशोधित रूप में नियमों में यह व्यवस्था कर दी गई है कि सक्षम प्राधिकारी स्वविवेक से सभी अधिकारी दावेदारों को उस राशि के ८० प्रतिशत तक का 'लेखे पर' भुगतान कर सकता है जो उसकी राय में प्रतिकर के रूप में दी जानी हो ।

विदेशी ऋण

†४८३. **श्री त्यागी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक भारत के ऊपर विदेशों का कुल कितना ऋण है; और

(ख) अगले दस वर्षों में प्रति वर्ष कितनी धनराशि देने के लिये वाजिब हो जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १ अक्तूबर, १९६० को भारत सरकार के ऊपर विदेशों का कुल बकाया ऋण (उस धनराशि को निकाल कर जिसका भुगतान कर दिया गया है), जिस में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के लिये देय ऋण भी सम्मिलित है, लगभग ६७०·८० करोड़ रुपये है । इस में ९३·१८ करोड़ रुपये का वह विदेशी ऋण सम्मिलित नहीं है जो सरकारी क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठनों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिकरणों पर वाजिब है और साथ ही ६०·७१ करोड़ रुपये का वह ऋण भी सम्मिलित नहीं किया है जो पुनः रुपया खरीदने

†मूल अंग्रेजी में

के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिया गया था। इस में वह राशि भी सम्मिलित नहीं की गई है जिसके भुगतान का दायित्व सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों पर है और जिसका भुगतान स्थगित कर दिया गया है।

(ख) ६७०.८० करोड़ रुपये की उक्त राशि के सम्बन्ध में वर्ष १९६१–६२ से १९७०–७१ तक अनुमानतः निम्नलिखित रूप में भुगतान किया जायेगा :—

वर्ष	धन राशि (करोड़ रुपये में)
१९६१–६२ .	२७.१४
१९६२–६३ .	३६.८९
१९६३–६४ .	५०.०६
१९६४–६५ .	३०.९०
१९६५–६६ .	३४.११
१९६६–६७ .	३९.००
१९६७–६८ .	३९.१०
१९६८–६९ .	३७.७३
१९६९–७० .	३९.५७
१९७०–७१ .	३१.८९
कुल	३६६.३९

पिछड़े वर्गों के लिये केन्द्रीय समन्वयकारी समिति

†४८४. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री आचार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछड़े वर्गों के लिये कल्याण योजनाओं को अच्छी तरह चलाने के लिये क्या केन्द्रीय समन्वयकारी समिति के सदस्य नामजद कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस का व्यौरा क्या है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)**: (क) और (ख). समिति के लिये नामजद होने वाले प्रतिनिधियों के नाम इस बीच सम्बन्धित मंत्रालयों और योजना आयोग से प्राप्त हो गये हैं। सारी बातें तय की जा रही हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय

†४८५. **श्री राम कृष्ण गुप्तः** क्या **शिक्षा** मंत्री ६ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २१५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के अहाते में शान्ति और व्यवस्था की समस्या की जांच करने के लिये गठित समिति की सिफारिशों का व्यौरा क्या है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) और (ख). समिति की सिफारिशें दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विचाराधीन हैं ।

यूनेस्को

†४८६. { **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगीकरण की सामाजिक समस्याओं के बारे में यूनेस्को के सामाजिक केन्द्र, जो इस समय कलकत्ता में स्थित है, कहीं और ले जाया जा रहा है;

(ख) औद्योगिक रूप से उन्नत नगर से कम उन्नत नगर को इस केन्द्र को ले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस केन्द्र के प्रति भारत सरकार के वित्तीय दायित्व क्या हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८४]**।

(ग) केन्द्र के आवर्तक व्यय में प्रति वर्ष १.६६ रुपये दिये जाते हैं ।

मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र

४८७. **श्री डामर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में तहसीलवार आदिवासियों के लिये कितने छात्रावास हैं और प्रत्येक आदिवासी छात्रावास में कितने छात्र हैं;

(ख) आदिवासियों के छात्रावासों में रहने वाले प्रत्येक आदिवासी छात्र पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें प्रति मास कितना खर्च कर रही हैं; और

(ग) क्या यह खर्च समान रूप से किया जाता है या अन्यथा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) से (ग). सूचना भारत सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । इस के अतिरिक्त प्रश्न योजनाओं के निष्पादन सम्बन्धी प्रशासकीय ब्यौरे से सम्बन्धित है, जो कि केवल मात्र राज्य सरकारों का विषय है ।

मध्य प्रदेश में आदिवासी

४८८. **श्री डामर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन जिलों में आदिवासी छात्रावासों को सीधे केन्द्र से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) किन-किन जिलों में ये छात्रावास राज्य सरकार चला रही है; और

(ग) ये विभिन्न प्रणालियां अपनाने के क्या विशेष कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) मध्य प्रदेश में किसी आदिवासी छात्रावास को सीधे केन्द्र से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलती है ।

(ख) भारत सरकार के पास सूचना प्राप्य नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारक

४८९. **श्री डामर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के कौन-कौन से ऐतिहासिक स्मारक इस समय केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं; और

(ख) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में माण्डु दुर्ग और बाग गुफा की देख-भाल के लिये १९५९–६० में कितनी राशि व्यय की ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :(क) चूंकि ऐसे स्मारकों की सूची में तीन सौ से भी ज्यादा स्मारक आते हैं, यह सूची पुरातत्व विभाग में देखी जा सकती है ।

		रुपये
(ख)	(१) माण्डू किला . .	३९,४३१.७७
	(२) बाग गुफा	७,०४५,९१

विभाजन ऋण

४९०. **श्री डामर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को पाकिस्तान से विभाजन ऋण के रूप में कितनी धन राशि लेनी है; और

(ख) क्या पाकिस्तान उपरोक्त राशि का ब्याज सहित भुगतान करेगा ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) अभी तक यह तय नहीं हुआ कि पाकिस्तान को बटवारे का कितना कर्ज भारत को देना है। २३ नवम्बर से २६ नवम्बर, १९६० तक नयी दिल्ली में होने वाले भारत और पाकिस्तान के वित्त-मंत्रियों के सम्मेलन में जिन माली मामलों में और आगे बातचीत होने वाली है उनमें से यह भी एक है ।

(ख) जी हां ।

झाबुआ में लौह अयस्क की खानें

४९१. **श्री डामर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में झाबुआ की लौह अयस्क की खानों से कच्चा लोहा कौन-सी कम्पनी निकालती है; और

(ख) उपरोक्त कम्पनी के मालिक सरकार को कितना वार्षिक या ठेके का धन देते हैं ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कुछ निम्न श्रेणी के कच्चे लोहे के निक्षेप हैं, परन्तु कोई भी पार्टी किसी भी खान को चला नहीं रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश में लौह अयस्क

४६२. **श्री डामर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत २ या ३ वर्षों में मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जिलों में लौह अयस्क का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब को कोयले की सप्लाई

†४६३. **श्री हेम राज** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब राज्य में बड़े सरकारी कारखानों को कोयला कम मात्रा में दिया जा रहा है और कुछ कारखानों को कोयला देना बन्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा स्थिति संभालने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) ईंट पकाने के काम में आने वाले कोयले के चूरे की आम कमी है और यह संभव है कि इस से पंजाब के कुछ सरकारी कारखानों पर असर पड़ा हो ।

(ख) रेल द्वारा लाये ले जाने के लिये ईंट पकाने वाले कोयले को अन्य वर्गों के उपभोक्ताओं के लिये कोयले के मुकाबले में सब से कम प्राथमिकता दी जाती है । तथापि, ब्लाक रैकों का आवंटन करके सरकारी कारखानों को कोयला देने के लिये विशेष प्रबन्ध किये गये हैं ।

कोयले का उत्पादन

†४६४. { **श्री त० ब० विट्ठल राव** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६० से ३१ अक्तूबर, १९६० तक सरकारी क्षेत्र में कोयले का कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) यदि उत्पादन के लक्ष्य में कोई कमी रही हो तो उस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई उपाय सोचे जा रहे हैं; और

(घ) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के प्रशासनिक ढांचे में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा ४७ लाख टन और सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी द्वारा २० लाख टन अर्थात् कुल ६७ लाख टन कोयले का उत्पादन किया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). सिगरेनी कोयला खान कम्पनी के उत्पादन में कोई विशेष कमी नहीं हुई । तथापि, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की खानों से कोयले का उत्पादन इस अवधि के लिये निश्चित लक्ष्य से कम रहा । इसका कारण यह है कि अछूते क्षेत्रों में नई खानों के विकास में कई कठिनाइयां आती हैं । अक्तूबर में इन खानों से ५·६ लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ है जिसके हिसाब से वर्ष में ६७·२ लाख टन कोयले का उत्पादन होगा और यह आशा की जाती है कि उत्पादन की इस मात्रा को कायम रखा जायेगा । मार्च, १९६१ के अन्त तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वितीय योजना के १३५ लाख टन के लक्ष्य के अनुसार उत्पादन हेतु सभी प्रबन्ध कर देगा । तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के भीतर ही लक्ष्य के अनुसार पूर्ण उत्पादन होने लगेगा ।

(घ) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के पुनर्गठन का प्रश्न, ताकि वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान उस के लिये नियत किये गये अतिरिक्त उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति कर सके, सरकार के विचाराधीन है और निकट भविष्य में अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है ।

दिल्ली में कोयले की कमी

†४९५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में कोयले (साफ्ट कोक) की बहुत कमी है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले (साफ्ट कोक) की सप्लाई के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । किन्तु व्यापारियों के पास पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टाक बनाये रखने के लिये हमेशा की तरह कार्यवाही की गई है ।

भारतीय सिक्कों का तस्कर व्यापार

†४९६. **डा० सामन्त सिंहार:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ससंगठित दल है जो नेपाल और लंका के जरिये बराबर भारतीय सिक्कों का तस्कर व्यापार चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो कब से यह चल रहा है तथा १९६० में कितने मामले पकड़े गये हैं; और

(ग) कितनी धन राशि अन्तर्ग्रस्त है तथा किस-किस राष्ट्र के अब तक कितने-कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत):** (क) जहां तक सरकार को ज्ञात है, उत्तर नहीं में है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†४९७. **डा० सामन्त सिंहारः** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र की प्रथम धमन भट्टी की चोटी पर दरार पड़ने के क्या कारण हैं;

(ख) इसका पता कब लगा, इससे कुल कितने की हानि होने का अनुमान लगाया गया है, इस की मरम्मत पर कितना व्यय होगा तथा मरम्मत में कितना समय लगेगा; और

(ग) इस के तोड़ने के लिये कौन उत्तरदायी है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) रूरकेला इस्पात संयंत्र की प्रथम धमन भट्टी की चोटी पर कोई दरार नहीं देखी गई ।

(ख) और (ग): प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विज्ञान मन्दिर

†४९८. **श्री त्रै० च० मलिक** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच विज्ञान मन्दिरों में एक सांस्कृतिक विभाग जोड़ने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस में कितना व्यय होगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी हां। आंकलन समिति ने यह सिफारिश की है कि विज्ञान मंदिरों के साथ सांस्कृतिक विभाग न जोड़े जायें। मंत्रालय ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वायु क्षेत्र का अतिक्रमण

†४९९. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ अक्तूबर, १९६० को एक चीनी विमान सिक्किम में घुस आया; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पावागढ़ और जूनागढ़ का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†५०१. **श्री मा० म० गांधीः** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के पंच महल जिले के पावागढ़ जिले तथा जूनागढ़ जिले के जूनागढ़ क्षेत्र का भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया था; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस के कारण क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) हां, श्रीमान् । भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने अम्ल और मूल ज्वालामुखी चट्टानों के साथ-साथ होने के बारे में अध्ययन करने के लिये १९५८ में पंच महल जिले की पावागढ़ पहाड़ियों की जांच की थी । जूनागढ़ क्षेत्र में गिरनार की पहाड़ियों की जांच १९५८ में क्षारीय चट्टानों तथा सम्बद्ध आग्नेय चट्टानों का अध्ययन करने के लिये की गई थी ।

(ख) पावागढ़ पहाड़ियों में अम्ल और मूल ज्वालामुखी के बहाव अलग-अलग हैं । गिरनार में काम चल रहा है ।

इनामी बांडों की दूसरी लाटरी

†५०२. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इनामी बांडों की अगली लाटरी १ दिसम्बर, १९६० को निकाली जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो कितने स्थानों में; और

(ग) जिन विभिन्न केन्द्रों में लाटरियां निकाली जायेंगी उन के लिये किन-किन सीरीज के इनामी बांड दिये जायेंगे ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली, मद्रास, बंगलौर, नागपुर, पटना, लखनऊ और हैदराबाद नामक ९ स्थानों में ।

(ग) जिस केन्द्र के आस पास के क्षेत्रों में जिन सीरीज के बांड बिके हैं, जहां तक संभव हो सका है इन्हीं सीरीज के बांडों को उस केन्द्र में लाटरी के लिये नियत किया है । इनामी बांडों की दूसरी लाटरी के लिये प्रत्येक केन्द्र के लिये निम्नलिखित सीरीज नियत की गई हैं:—

	आवंटित सीरीज	
केन्द्र का नाम	१०० रुपये वाले	५ रुपये वाले
१	२	३
बम्बई . .	इ, एच और वी	ए सी, ए एच, और ए क्यू
कलकत्ता	जे, एम और क्यू	ए डी, ए जे और ए आर
नई दिल्ली . .	ए और सी	ए ए और ए जी
मद्रास . .	बी, डी और एल	एल, ए पी और ए टी
बंगलौर .	के और यू	ए एम और ए एन
नागपुर .	एफ	ए एफ
हैदराबाद . .	जी	ए ई
लखनऊ . .	—	ए के
पटना . .	—	ए बी

†मूल अंग्रेजी में

जिला आगरा में बटेश्वर के मन्दिर

५०३. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिला आगरा में ४०० वर्ष पुराने बटेश्वर के मन्दिर अब गिरने लगे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार इन मन्दिरों को केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में लाने का है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :(क) और (ख) अधीक्षक, पुरातत्व, आगरा, मण्डल जल्दी ही इन मंदिरों का मुलाहजा करने जा रहे हैं। मुलाहजे के बाद कोई मन्दिर संरक्षण के योग्य समझा गया, तो उसे संरक्षित घोषित कर दिया जायेगा।

रूरकेला में खाई दुर्घटना

†५०४. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री रूरकेला में १ नवम्बर, १९६० को हुई खाई दुर्घटना के बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : १ नवम्बर, १९६० को लगभग १२.१५ म० प० बजे एक खाई, जो रूरकेला इस्पात संयंत्र में हाट मिल रोड के निकट खोदी जा रही थी, बैठ गई जिससे ठेकेदार के तीन अकुशल कर्मचारी दब गये। दो कर्मचारी वहीं मर गये और तीसरे के चोटें आईं और वह अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। दुर्घटना की विस्तृत रिपोर्ट आने वाली है।

स्थगन प्रस्ताव

बम्बई में विस्फोट

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक ही विषय पर तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना मिली है। विषय है : १८ नवम्बर, १९६० को बम्बई में हुआ विस्फोट, जिस के फलस्वरूप ३८ व्यक्तियों को गहरी चोटें आईं और ३ बच्चों सहित ११ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

सामान्यतया मैं इस की अनुमति नहीं देता, लेकिन कलकत्ता की एक दुर्घटना के ऐसे ही एक मामले के संबंध में जब प्रश्न पूछे गये थे, तब माननीय मंत्री ने कहा था कि एक समिति नियुक्त की जायेगी, या जांच कर्त्ता से जांच करने के लिये कहा जायेगा। माननीय मंत्री बतायें कि परिस्थिति क्या है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : क्या कलकत्ता की भांति बम्बई के इस मामले में भी निरीक्षण के अभाव की कोई शिकायत थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण** उपमंत्री **(श्री अनिल कु० चन्दा)** : हमारे पास जो सूचना आई है उस के अनुसार बम्बई की यह दुर्घटना चूड़ियों की एक दुकान में हुई थी, जहां उन लोगों ने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अनिल कुमार चन्दा]

प्लास्टिक सामग्री, सैलेनियम पाउडर, कैडमियम सल्फेट और शायद एसिटोन से भरे कुछ ड्रम, पैकिंग के लिये एल्यूमिनियम की छीलन, कांच की चूड़ियां और साधारण कागज की सामग्री के साथ एसिटेट की चादरें रख छोड़ी थीं। सूचना यह है कि उस गोदाम के लिये बम्बई निगम से अनुज्ञप्ति नहीं ली गई थी। सामान्यतया, ज्वलनशील पदार्थों के गोदाम के लिये निगम से अनज्ञप्ति ली जानी चाहिये थी। गोदाम में जो सामग्री थी, उस पर पैट्रोलियम अधिनियम या चलचित्र अधिनियम और उन के अन्तर्गत बनाये गये नियम लागू नहीं होते, इसलिये विस्फोटक पदार्थ विभाग द्वारा उस गोदाम के लिये अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी थी। ऐसे गोदामों का नियंत्रण बम्बई निगम करता है। स्थानीय अधिकारी उस की जांच कर रहे हैं। एक-दो दिन में ब्यौरेवार प्रतिवेदन आ जायेगा। समाचार है कि १७ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और उस में ५० को चोटें लगी हैं, लेकिन इस समाचार को अभी तक सत्यापित नहीं किया गया है। .

†**श्री ब्रजराज सिंह** : चड़ी उद्योग के बड़े केन्द्र, फिरोजाबाद में भी अभी एक विस्फोट हुआ था। क्या बम्बई के उस गोदाम का मालिक कोई फिरोजाबाद का ही व्यक्ति था।

†**श्री अनिल कु० चन्दा** : मुझे उस के ब्यौरे की जानकारी नहीं। केन्द्रीय सरकार तो भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, १८८४ और पैट्रोलियम अधिनयम, १९३४ को ही लागू करने के लिये उत्तरदायी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : खेद की बात है कि माननीय सदस्यगण बहुधा ऐसे विषयों को स्थगन-प्रस्तावों में घसीटने की कोशिश करते हैं जिन पर इस सभा का कोई क्षेत्राधिकार नहीं होता। मैं इस की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय मंत्री ने स्पष्ट कह दिया है कि इस पर विस्फोटक पदार्थ अयिनियम लागू नहीं होता। उस का सम्बन्ध बम्बई निगम से है।

हुगली नदी में 'ड्रैजर' का उलटना

†**अध्यक्ष महोदय** : एक दूसरा स्थगन प्रस्ताव हुगली नदी में १८ नवम्बर, १९६० को एक 'ड्रैजर', के उलटने की दुर्घटना के बारे में है, जिस के फलस्वरूप १८ व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इस अवस्था पर, मैं इस के विषय में चर्चा करने की अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य यदि किसी बात का स्पष्टीकरण चाहें, तो उसे कह सकते हैं।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : सच तो यह है कि यह 'ड्रैजर' न तो केन्द्रीय सरकार का था और न कलकत्ता पत्तन न्यास का। वह एक डच फर्म का था, जिसे हुगली नदी के एक जल-मार्ग की रेत साफ करने का ठेका दिया गया था। वह 'ड्रैजर' मशीन द्वारा संचालित नहीं होता था। उसे दोनों किनारों से बांध दिया जाता था लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय नदी में जो ज्वार आया वह आशा से अधिक ऊंचा था। उस डच फर्म को भी शायद यह आशा न थी कि वहां १९।। फीट ऊंचा ज्वार भी आ सकता है। बहुधा ऐसा नहीं होता। ज्वार आने से 'ड्रैजर' की दाहिनी तरफ रगड़ खा कर एक रस्सी कट गई थी और 'ड्रैजर' उलट गया था। वह अभी भी दाहिनी ओर को उलटा पड़ा है। दुर्घटना के फलस्वरूप उस पर काम करने वाले १२ डच लोग और उन के साथ छः भारतीय अपनी जान से हाथ धो बैठे। उन में से एक वास्तव में भारत नहीं, श्रीलंका का नागरिक था। अभी तक उन में से केवल तीन व्यक्तियों के शव मिले हैं। पत्तन न्यास की ओर से अभी मुझे इतनी ही सूचना मिली है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही, हम ने कलकत्ता पत्तन न्यास के सभापति को टेलीफोन किया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

उसी के बाद यह सूचना मिली है। उस समय रेत साफ करने का काम पांचवीं अवस्था में था। बात बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन पत्तन नौवहन सलाहकार उस की जांच कर रहा है। वह पूरी होने पर, हमें दुर्घटना के सम्बन्ध में पूरी जानकारी होगी और तब मैं उसे सभा के सामने रख दूंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इधर हाल में वहां दुर्घटनायें बहुत होने लगी हैं। क्या सरकार भारतीय नौवहन अधिनियम के अन्तर्गत वहां एक जांच आयोग की नियुक्ति करेगी ?

†**डा० प० सुब्बरायन**: मैं ने बताया है कि दुर्घटना की जांच हो रही है, उस के बाद यदि समिति की नियुक्ति करना आवश्यक समझा जायेगा, तो हम उस पर विचार करेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या यह सच है कि 'ड्रैजर' के उलटने का एक कारण यह भी था कि जहाज में माल भरने के बाद उस का वजन लगभग २२०० टन हो गया था? क्या उस जहाज में लोगों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया था ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : मैंने बताया है कि 'ड्रैजर' आशा के विपरीत बड़ी शीघ्रता से उलट गया था। दुर्घटना इतने शीघ्र, इतने कम समय में हो गई कि कुछ भी करना असंभव था।

†**श्री त्रि० कु० चौधरी** (बरहामपुर) : क्या ज्वार आने से पहले मौसम के सम्बन्ध में कोई चेतावनी दी गई थी ?

†**डा० प० सुब्बरायन**: मेरे पास जितनी जानकारी थी, मैं ने सभा के सामने रख दी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी उस दुर्घटना की जांच चल ही रही है। उस के बाद ही, मननीय मंत्री पूरी जानकारी जुटा सकेंगे। मैं इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता।

उत्तरी सीमांत जिलों में कम्युनिस्टों द्वारा कथित समाचार

†**अध्यक्ष महोदय** : तीसरा स्थगन प्रस्ताव "दी स्टेट्स मैन" के २१ नवम्बर, १९६० के अंक में प्रकाशित एक समाचार पर आधारित है। समाचार में कहा गया है कि उत्तरी सीमा पर स्थित, नव-निर्मित जिलों में कम्युनिस्टों ने अपने भाषणों और साहित्य, इत्यादि के जरिये एक ऐसा प्रचार शुरू किया है जो भारतीय भूमि पर चीन के प्रादेशिक दावों को उचित ठहराता है और इस के फलस्वरूप वहां असुरक्षा और विध्वंसक कार्यवाहियों का वातावरण पैदा हो रहा है। माननीय मंत्री इस के सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ?

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : प्रधान मंत्री के वक्तव्य से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूं। हमारे देश की समूची उत्तरी सीमा पर गुप्त संस्थाओं और असामाजिक तत्वों का जाल सा बिछा हुआ है। उस क्षेत्र में विस्तारवादी चीन के गुर्गे मौजूद हैं, जो प्रचार करते हैं कि चीन का दावा उचित है और पूरे विवाद में गलती भारत की है। कालिम्पोंग में ऐसे षडयंत्रकारी लोगों ने तरह-तरह की दुकानें खोल रखी हैं। दार्जिलिंग में एक समुदाय विशेष के लोगों के घरों पर जाकर देखिये तो दुर्गा और काली के चित्रों के साथ माओत्सेतुंग का भी एक चित्र लगा मिलता है। भारत-विरोधी प्रचार बड़े व्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है।

भारत सरकार ने यह सब जानते हुए भी, इन क्षेत्रों में सुरक्षा के लिय कोई विशेष कार्यवाही नहीं की है। इस का परिणाम बड़ा भयंकर हो सकता है। इसीलिये मैं ने इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में रखा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मैं ने खुद पिछली बार, अगस्त में सभा को बताया था कि हमारे देश की सीमा के इलाकों में कुछ लोग इस तरह की कुछ कोशिशें कर रहे हैं, जो शायद कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं।

इस प्रस्ताव में खास तौर से उत्तरी सीमा के उन जिलों का हवाला दिया गया है जो अभी नये नये बनाये गये हैं। हालांकि माननीय सदस्य ने ज्यादातर कालिम्पोंग के बारे में ही कहा है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, कालिम्पोंग में कोई भी नया जिला नहीं बनाया गया है। मैं ने तो सोचा भी नहीं था कि इसे कालिम्पोंग पर भी लागू किया जा सकता है। वैसे कालिम्पोंग के बारे में हमें जानकारी रहती है। पश्चिमी बंगाल सरकार वहां की परिस्थिति पर लगातार नजर रखती है और जरूरी कार्यवाही करती रहती है। यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वगैरह के इलाकों के बारे में है।

बात सही है कि इस तरह का प्रचार वहां लगातार होता आ रहा है। पिछले अगस्त में जब मैं ने इस का हवाला दिया था, तब कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाले समाचारपत्रों में उस पर काफी ऐतराज किया गया था। कहा गया था कि मेरा वह सब कहना बेजा था। लेकिन सच तो यह है कि इस तरह का प्रचार लगातार होता रहा है। हां, पहले वह कुछ खुले तौर पर आम जनता में कया जाता था, और अब उस की शक्ल कुछ बदल गई है। उसे बिल्कुल गुप्त तो नहीं कहा जा सकता, हां लेकिन अब उतनी जोर से नहीं, उस की आवाज नहीं उठाई जाती। अब वह ज्यादातर छोटी-छोटी बैठकों में होता है। प्रचार होता उसी ढ़ंग का है, जैसाकि माननीय सदस्य ने अभी बताया है। ज्यादातर वह चीन के साथ चलने वाले झगड़े के बारे में ही होता है, यह कि चीन की बात ठीक है और हमारी सरकार ने गलती की है, और चीन समझौता चाहता है, लेकिन भारत समझौता नहीं करना चाहता। इसी तरह की बातें फैलाई जाती हैं। कहा जाता है कि बुनियादी तौर पर कोई भी चीन जैसा समाजवादी देश कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि इस सभा के ज्यादातर सदस्य इस बुनियादी बात से सहमदत नहीं होंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस बुनियादी बात का यह मतलब है कि वे जिसे भी हथिया लेते हैं वह उन की ही सम्पत्ति हो जाती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं। मतलब यह है कि वे इतने पाक साफ होते हैं कि कभी कोई पाप कर ही नहीं सकते; अच्छाई और भलमनसाहत उन में इतनी रमी रहती है। मैं तो समझता हूं कि सम्बन्धित राज्य सरकारों को इस मामले की काफी अच्छी जानकारी है। जरूरत पड़ने पर, वे इस के बारे में कदम उठाती रहती हैं। अगर आगे और भी कदम उठाने पड़ेंगे, तो राज्य सरकारें या भारत सरकार हिचकिचायेगी नहीं। कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की भी गई है।

इतना सब तो ठीक है, लेकिन यह कहना सही नहीं कि सीमा पर असुरक्षा या विध्वंसक कार्यवाहियों की कोई हालत पैदा हो रही है। ऐसा प्रचार कुछ मुट्ठी भर, इने गिने लोग करते हैं भाषण देकर, या आपसी बात चीत में, या कुछ पर्चे वगैरह बांट कर। मैं मानता हूं। लेकिन उस से असुरक्षा की हालत पैदा होने की बात मैं सही नहीं समझता।

मेरा तो ख्याल है कि इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं होगा।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया गया है इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब इस के सिलसिले में कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया गया था, तब म ने प्रधान मंत्री से कहा था कि इस के स्पष्ट उदाहरण दें कि किस इलाके में किन

---

†मूल अंग्रेजी में

कम्युनिस्टों ने वैसा प्रचार किया। हमारी पार्टी के लिये भी इस की जानकारी बड़ी जरूरी है। लेकिन तब मुझे उस का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था। अब कहा जा रहा है कि वह प्रचार लुक-छिप कर हो रहा है।

हम अपनी पार्टी के विरुद्ध सभी आरोपों का उत्तर देने के लिये तैयार हैं। हम अदालतों में भी अपनी बात साबित कर सकते हैं लेकिन स्थगन प्रस्तावों के जरिये इस तरह हमारी पार्टी पर कीचड़ उछालना उचित नहीं है। खास तौर से जब हम कह चुके हैं कि हम खुद जानना चाहते हैं कि कौन से लोग वैसा प्रचार कर रहे हैं। इस से किसी को कोई फायदा नहीं होगा।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : क्या इन क्षेत्रों में कम्यूनिस्ट पार्टी के कोई सदस्य या कार्यकर्ता हैं, और क्या पार्टी ने उन की कार्यवाहियों की कोई जांच-पड़ताल की है ?

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : हमारी पार्टी के मंत्री ने प्रधान मंत्री को एक पत्र में लिखा था कि वह ऐसे लोगों का पता लगाने में उनकी सहायता करें। हमें तो ऐसे किसी प्रचार का पता नहीं।

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम): हाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक मांग पेश की थी कि उत्तरी बंगाल में एक स्वायत्त राज्य बनाया जाये। श्री ही० ना० मुकर्जी ने स्वयं वहां जाकर उसकी वकालत की थी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। इसका सवाल ही नहीं उठता। पश्चिमी बंगाल से उस भाग को पृथक करने का कोई सवाल ही नहीं हां, एक अर्से से वहां रहने वाले गुरखा लोग पश्चिमी बंगाल राज्य के अधीन ही एक प्रकार की स्वायत्तता की मांग उठाते रहे हैं। आसाम की घटनाओं के बाद उन की मांग और भी जोर से उठने लगी है। और इस मांग को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और प्रजा समाजवादी दलों का समर्थन प्राप्त है। आज उस पर, इस नयी परिस्थिति में विचार किया जाना चाहिये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : विरोधी दल के माननीय सदस्य की यह बात सही है कि उन्होंने मुझ से ब्यौरेवार जानकारी मांगी थी। मैं नामों की सूची देने में हिचक रहा था। आम तौर पर ऐसा नहीं किया जाता। अभी यहां मेरे पास दो तीन नाम हैं। मैं उन को पढ़ कर सुनाता हूं। इस के अलावा मैं यह भी बता दूं कि कम्युनिस्टों या दूसरी पार्टियों के लोगों के खिलाफ प्रचार करने की मेरी आदत नहीं है मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी में भी उस की शाखायें अलग-अलग दिशाओं में चलने की कोशिशें कर रही हैं। हो सकता है कि मेरी बात सही न हो, पर बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसी दिशा में चलने की कोशिश कर रही है जो पूरे देश की कम्यूनिस्ट पार्टी की इच्छा के खिलाफ है। पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी एक दूसरी ही तरफ चल रही है, हालांकि वह बहुत छोटी सी है। मैं चाहता तो नहीं हूं, लेकिन खैर मैं अभी सिर्फ दो नाम पढ़ कर सुना रहा हूं, लेकिन इसे आगे के लिये पूर्व दृष्टान्त नहीं बनाना चाहिये।

> "दार्जिलिंग में, ८ अक्तूबर को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की जिला कार्यकारिणी समिति की एक बैठक में, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से विधान सभा के सदस्य, एस० एन० मजूमदार ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भारत-चीन सीमा के मसले के बारे में कुछ इस तरह का प्रचार करने के लिये कहा कि चीन कभी भी भारत पर हमला नहीं करेगा और इस के विरुद्ध किया जाने वाला सभी प्रचार कम्युनिस्ट पार्टी को बदनाम करने के लिये किया जाता है; कि चीन ने सभी अल्पसंख्यक

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

समुदायों को प्रादेशिक स्वायत्तता दे दी है और वह सीमा पर अपने आदमी इसलिये जमा कर रहा है कि शायद भारत से हो कर अमरीका उस पर हमला बोल दे, और यह भी कि यदि पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो चीन भारत की मदद करेगा ।"

* * *

"गढ़वाल में १८ अप्रैल, १९६० को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक गुप्त बैठक में कृष्ण भट्ट ने भारत के कुछ भागों पर चीन के दावों का समर्थन किया और कहा कि चामोली जिले में जोशीमठ के पास दो गांव हैं जिन के नाम हैं—चानयी और थानयी जिस से स्पष्ट है कि कभी वे चीन के कब्जे में थे ।"

* * *

"शिमला में १४ सितम्बर, १९६० को पार्टी की एक गुप्त बैठक में, हिमाचल प्रदेश परिषद् के मंत्री, कामेश्वर पंडित ने कहा कि भारत को लद्दाख में चीनियों को कुछ रियायतें देनी चाहियें, चीनियों ने जिस क्षेत्र में सड़क बना ली है उस विवाद ग्रस्त क्षेत्र पर चीन की सम्पूर्ण प्रभुता मानी जानी चाहिये, और पूर्वी सीमा पर चीन को मैकमोहन रेखा पर स्थित भारत प्रदेश का अपना दावा वापिस ले लेना चाहिये ।"

मैंने सिर्फ दो तीन मिसालें पेश की हैं, लेकिन हमारे पास जब तब ऐसी काफी सूचनायें आती रहती हैं । इसलिये मैं ने पिछली बार अपना वह वक्तव्य दिया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कल सभा में वैदेशिक-कार्य के सम्बन्ध में चर्चा होगी, और उस समय माननीय सदस्यगण उत्तरी सीमान्त की प्रतिरक्षा दृढ़ बनाने के बारे में जो भी कहना चाहें, कह सकेंगे।

मैं ने वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, और उस पर कल चर्चा होगी ।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने जो कहा है, उस के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि स्थगन-प्रस्ताव में आम तौर पर कम्युनिस्टों का हवाला दिया गया है, इसलिये मैं किसी भी सदस्य को किसी भी सदस्य विशेष के नाम का हवाला देने की अनुमति नहीं दूंगा ।

अब इतना तो स्पष्ट है कि इस प्रकार की कुछ कार्यवाहियां चल रही हैं । सरकार को भी उनकी जानकारी है । अब जहां तक इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति देने या न देने का प्रश्न है, वैसे मैं इस की अनुमति दे देता क्योंकि आरोप बड़े गम्भीर हैं और प्रधान मंत्री ने भी उन का समर्थन किया है, लेकिन मैं अभी इस की अनुमति केवल इस कारण नहीं दे रहा हूं कि कल इस विषय पर चर्चा होनी ही है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

निवारक निरोध अधिनियम के सम्बन्ध में आंकड़े

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : मैं ३१ दिसम्बर, १९५९ से ३० सितम्बर तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के कार्य के बारे में आंकड़ों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—२४४६/६०]** .

---

†मूल अंग्रेजी में

वित्त मंत्री की विदेश यात्रा के बारे में वक्तव्य

†**वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : मैं अपनी हाल की ब्रिटेन और अमरिका की यात्रा के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--२४४७/६०]**

बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य

†**सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम)** : मैं देश में बाढ़ की स्थिति और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--२४४८/६० ।]**

औद्योगिक वित्त निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

†**राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उपधारा (३) के अधीन ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, निगम की आस्तियों व दायित्व और लाभ हानि के लेखे के विवरण सहित, सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० २४४९/६०]**

कार्य मंत्रणा समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा) : मैं कार्य-मंत्रणा समिति का सत्तावनवां प्रतिवेदन उप स्थापित करता हूं ।

महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद अधिनियम, १९२३ का निरसन तथा प्रासंगिक मामलों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

श्रीमान्, जैसा आप जानते हैं, १९५८ में माननीय सदस्य, श्री पटेल ने इस के बारे में गैर-सरकारी सदस्य का एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया था ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उस विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर प्रधान मंत्री ने बोलते हुए कहा था कि वह उस विधेयक के प्रयोजन का समर्थन तो करते हैं परन्तु कुछ सांविधानिक कठिनाइयों के कारण उस को इस रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है जिस रूप में वह प्रस्तुत है ।

इसीलिये कुछ चर्चा के बाद उस को स्थगित कर दिया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

पिछले सत्र में यह बताया गया था कि श्री पटेल के विधेयक के बारे में काफी बड़ी कठिनाइयां हैं इसलिये सरकार ने यह उचित समझा है कि एक सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया जाये। यह विधेयक इसी कारण सभा के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है।

इस विधेयक के बार में आप जानते ही हैं कि इस सभा के एक माननीय सदस्य राजा महेन्द्र प्रताप को १६१५ में अंग्रेज सरकार ने राजद्रोहात्मक कार्यवाहियों के लिये दोषी ठहराया और इसीलिये पहले तो उनकी सम्पत्ति कुर्क की गई और बाद में जब केवल कुर्की से अंग्रेजों को संतोष नहीं हुआ तो १६२३ में केन्द्रीय विधान सभा में राजा साहेब की सम्पत्ति को जब्त करने का विधेयक प्रस्तुत किया। केन्द्रीय विधान मंडल ने उस विधेयक को पारित कर दिया और तदनुसार जमींदारी समेत उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति जब्त कर ली गई। उस विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई थी कि उस समय की भारत सरकार इस सम्पत्ति का कोई भी भाग राजा महेन्द्र प्रताप के पुत्र को दे सकेगी। इसीलिये १६२३ में विधेयक के पारित हो जाने के बाद अगले ही वर्ष ७-६-२४ को उस समय की भारत सरकार ने सम्पत्ति राजा महेन्द्र प्रताप के पुत्र राजा प्रेम प्रताप सिंह को दे दी। सनद में कुछ शर्तें रख दी गई थीं जिन के बारे में मैं बाद में संक्षेप में बताऊंगा।

तब से, सनद की शर्तों के अनुसार, १६४७ में राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के पुत्र राजा प्रेम प्रताप की मृत्यु तक यह सम्पत्ति उनके कब्जे में रही। उसके बाद यह सम्पत्ति राजा प्रेम प्रताप सिंह के पुत्र राजा अमृत प्रताप सिंह को, जो जीवित हैं, मिल गई। इनकी अल्पवयस्कता में सम्पत्ति पर कुछ समय के लिये उत्तर प्रदेश कोर्ट आफ वार्ड्स का कब्जा रहा परन्तु बाद में उन्होंने सम्पत्ति पर से अपनी निगरानी हटाली।

इसी बीच उत्तर प्रदेश विधान मंडल ने ज़मीदारी उन्मूलन अधिनियम पारित कर लिया। राजा महेन्द्र प्रताप की मूल सम्पत्ति में बहुत सी ज़मीदारी भी थी। वह जमीदारी खत्म हो गई और उत्तर प्रदेश ज़मीदारी उन्मूलन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार सरकार ने जायदाद ले ली। मुआवज़े के तौर पर कुछ धनराशि राजा महेन्द्र प्रताप के पौत्र राजा अमृत प्रताप सिंह की ओर से कोर्ट आफ वार्ड्स को दे दी गई।

ज़ायदाद के कुछ कर्ज़ों के भुगतान के लिये कुछ अन्य सम्पत्ति भी बेची गई। इसके अतिरिक्त और सब सम्पत्ति कोर्ट आफ वार्ड्स के कब्जे में रही। परन्तु बाद में जब उन्होंने अपनी निगरानी खत्म करदी तो सम्पत्ति राजा अमृत प्रताप सिंह के वास्तविक अभिभावक राजा महेन्द्र प्रताप सिंह की निगरानी में आ गई।

इस समय जायदाद में कई प्रकार की सम्पत्तियां हैं। कुछ मकान हैं। कुछ ज़मीनें हैं। कुछ बॉण्ड हैं और भी कई प्रकार की सम्पत्ति है।

स्वतंत्रता के बाद इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक था और श्री पटेल ने उस अधिनियम का पूर्णतः निरसन करने का विधेयक प्रस्तुत किया। सरकार भी उसका निरसन करने के पक्ष में थी, परन्तु श्री पटेल ने विधेयक के खण्ड ४ में कुछ ऐसे उपबन्ध रख दिए थे जिनके संवैधानिक औचित्य पर विचार किया जाना था। वह चाहते थे कि अब जायदाद पर से राजा अमृत प्रताप सिंह का कब्जा हटा कर उसको राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को दे दी जाये। इसलिये सारे प्रश्न पर सरकार को पूरी तरह विचार करना पड़ा। राज्य सरकार की सलाह लेनी पड़ी और इस प्रस्ताव के सांविधानिक औचित्य के बारे में उच्चस्तरीय विधि सम्बन्धी सलाह लेनी पड़ी। सभी तरह की सलाह लेने के

बाद सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि संसद् १९२३ के इस घृणित अधिनियम का निरसन कर सकती है और इसीलिए यह विधेयक आप के सामने है। इस बीच १९२३ के अधिनियम की क्रियान्विति भी समाप्त हो चुकी थी क्योंकि अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भारत सरकार ने राजा महेन्द्र प्रताप की सम्पत्ति को ज़ब्त कर लिया था और उनके इकलौते पुत्र को उसे दे दिया था। इसके बारे में सनद जारी की गई थी जिसकी क्रियान्विति भी अब समाप्त हो गई है। सनद में कई खण्ड हैं। पहला खंड अथवा प्रस्तावना तो अब बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि भारत की कोई भी स्वतंत्र सरकार राजा महेन्द्र प्रताप से अंग्रेज़ सरकार की वफादारी करने को नहीं कहेगी। इसमें दो और भी खण्ड है जिनसे यद्यपि हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु फिर भी हमें उन पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि सनद के निरसन करने के प्रश्न पर विचार करते समय उन पर पूरी तरह से ही विचार करना होगा। परिवार के कुछ सम्बन्धी हैं जिनको निर्वाह व्यय देना आवश्यक है। इन निर्वाह व्यय के उपबन्धों को रखना आवश्यक है क्योंकि सनद के अधीन इनको इसे दिया जाना है। परन्तु इनके अतिरिक्त सनद में दो और भी उपबन्ध हैं जो बहुत आपत्तिजनक हैं। इनमें से एक उपबन्ध को हमने रद्द कर दिया है और दूसरे में रूपभेद कर दिया है। इस सनद में एक प्रतिशोधात्मक उपबन्ध यह भी है कि सम्पत्ति प्राप्तकर्त्ता, जो पहले पुत्र था और अब पौत्र है, राजा महेन्द्र प्रताप को कोई निर्वाह व्यय नहीं देगा। हमें इस उपबन्ध का निरसन अवश्य करना है। अंग्रेज़ सरकार ने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वह राजा महेन्द्र प्रताप को किसी भी रूप में जायदाद से फायदा नहीं उठाने देगी और इसीलिये उसमें एक शर्त यह रखी गई थी कि सम्पत्ति प्राप्तकर्त्ता अथवा उसके वारिस जायदाद का कोई भी भाग राजा महेन्द्र प्रताप को हस्तांतरित नहीं करेंगे। यह एक बड़ी खराब शर्त थी और हम इस शर्त को हटा देना चाहते थे। खण्ड २ में हमने कहा है कि राजा महेन्द्र प्रताप जायदाद अधिनियम, १९२३ का पूर्णतः निरसन किया जाता है।

खण्ड ३ में यह व्यवस्था की गई है :

"इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से प्रेम प्रताप सिंह को दी गई सनद की सभी शर्तें तथा उपबन्ध समाप्त हो जायेंगे जिनके अनुसार :

(क) महेन्द्र प्रताप सिंह को उनके वारिसों द्वारा आर्थिक अथवा अन्य सहायता किसी भी प्रकार से न दी जा सकती हो या

(ख) सरकार की स्वीकृति के बिना उनके वारिसों द्वारा सनद में निर्दिष्ट किसी भी सम्पत्ति का महेन्द्र प्रताप सिंह को अन्यसंक्रामण न किया जा सकता हो।"

इस प्रकार सनद में अब यह सब आपत्तिजनक उपबन्ध नहीं रहेंगे। मेरे मित्र श्री पटेल ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है। कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी कुछ संशोधन रखे हैं। इन संशोधनों के प्रस्तावक चाहते हैं कि सम्पत्ति को राजा महेन्द्र प्रताप के पौत्र से ले कर राजा स हेब को दे दी जाये। परन्तु मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम री इच्छा हो ा हुये भी हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि संविधान बन जाने के बाद स्थिति बदल गई है। स्पष्ट है कि संविधान में ऐसा कोई भी उपबन्ध नहीं है जिसके अधीन भारत के एक नागरिक से सम्पत्ति ले कर दूसरे को दे दी जाये। सभा जानती है कि केवल एक उपबन्ध है कि सरकार लोकहित में किसी व्यक्ति की सम्पत्ति अनिवार्यतः अर्जित कर ले और उसको उसका मुआवज़ा दे दे। मैं यह बताना भी ठीक समझता हूं कि संविधान के लागू होने से पहले के सभी अधिनियम अनुच्छेद १३ के अधीन मान्य कर दिए गए थे। १९२३ का अधिनियम तो इसलिये समाप्त हो गया था क्योंकि सम्पत्ति उनसे लेकर एक सनद द्वारा उनके पुत्र को दे दी गई थी। मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य समझें कि उनका संशोधन स्वीकार करने

[श्री दातार]

से क्या-क्या कठिनाइयां सामने आतीं हैं। अनुच्छेद १९ के अधीन भारत के नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। इन अधिकारों को कुछ परिस्थितियों में ही कम किया जा सकता है जैसे जब भारत सरकार अथवा राज्य सरकार लोक हित में सम्पत्ति का अर्जन ज़रूरी समझें। परन्तु इस में भी सरकार बिना मुआवज़ा दिए अर्जन नहीं कर सकती। भारत सरकार के विधि परामर्शदाताओं ने इन प्रश्नों पर बड़े ध्यान से विचार किया है और यह निर्णय किया है कि हमारे संविधान के अधीन ऐसा कोई भी उपबन्ध नहीं है जिसके अनुसार किसी भी नागरिक की सम्पत्ति छीनी जा सके और दूसरे आदमी को दी जा सके।

माननीय विधि मंत्री ने मुझे बताया कि अधिकांश महत्वपूर्ण सम्पत्ति तो अब रही नहीं है। ज़मीदारी पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि सुधारों के लिए पारित अधिनियम के अधीन पहले ही कब्जा कर लिया है। हमारे सामने इसलिये केवल यहीं प्रश्न रह जाता है कि क्या संसद् राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के पौत्र से सम्पत्ति ले कर राजा महेन्द्र प्रताप सिंह को देने का अधिनियम पारित कर सकती है। यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और जैसा आप जानते हैं हमारा एक लिखित संविधान है। संविधान के अधीन भारत के नागरिक को कुछ मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं और केवल उन मामलों को छोड़ कर जहां सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन के बारे में उपलब्ध हों हम और किसी भी प्रकार इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं।

अब यही प्रश्न रह जाता है कि क्या विधान मण्डल के अधिनियम के द्वारा राजा अमृत प्रताप सिंह से सम्पत्ति लेकर, राजा महेन्द्र प्रताप को दी जा सकती है। हमने इसके बारे में काननी सलाह ली है और उसके बाद ही हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस विधेयक में इस प्रकार का उपबन्ध नहीं किया जा सकता।

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि राजा महेन्द्र प्रताप ने माननीय गृह-मंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें यह सुझाव था कि पूरी सनद का ही निरसन किया जाये क्योंकि उसमें जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है वह अंग्रेज़ सरकार के दृष्टि कोण से ठीक हो सकता हो मगर अब वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत वह शब्दावली बहुत घृणित प्रकार की है।

इसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि सनद की घृणास्पद शर्तों को हम पहले ही हटा रहे हैं। राजा महेन्द्र प्रताप की सम्पत्ति पाने वालों की अंग्रेज़ों के प्रति वफ़ादारी का अब कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

सनद का पूरी तरह निरसन करने के बारे में भी यही प्रश्न सामने आता है कि क्या हम उसका निरसन कर सकते हैं। सभा को इसके बारे में दो प्रश्नों पर विचार करना चाहिये। एक तो यह कि सनद की क्रियान्विति पूरी हो चुकी है। और दूसरे यह कि घृणित शर्तों आदि के बारे में हमने विधेयक के खण्डों में व्यवस्था कर दी है।

परिवार के सदस्यों को निर्वाह व्यय देने की कुछ शर्तें हैं। जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। मैं राजा महेन्द्र प्रताप को आश्वासन देना चाहता हूं कि सनद में कुछ भी दिया हो, वर्त्तमान स्थिति पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब अंग्रेज़ सरकार का ही शासन यहां से समाप्त हो गया तो उसके साथ ही उनके कार्यों अर्थात् भारत के नागरिकों के खिलाफ रखी गई उनकी शर्तें भी समाप्त हो गईं। सनद में जो कुछ शब्द हैं वह भी भारत में जनता की सरकार की स्थापना के बाद

समाप्त हो जाते हैं। अतः, श्रीमान्, जैसा कि प्रधान मंत्री बता चुके हैं कि इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में जिसके द्वारा इस जैसे घृणास्पद अधिनियम का निरसन किया जा रहा है, भारत सरकार तथा सभी माननीय सदस्य एकमत हैं।

घृणास्पद शब्दों को निकालने के अलावा और कुछ उपबन्ध करने के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि संविधान के अधीन जो कुछ करना संभव था हमने वह सभी कुछ किया है। संविधान के अधीन एक नागरिक से सम्पत्ति ले कर दूसरे को देने की व्यवस्था नहीं है। ऐसा केवल मुआवजा दे कर अनिवार्य अर्जन के मामले में ही किया जा सकता है। स्पष्ट है कि अनिवार्य अर्जन तथा मुआवजे के बारे में विधि इस मामले में लागू नहीं होती है। इन परिस्थितियों में घृणास्पद शब्दों का निरसन करने और आनुसंगिक कार्यवाही करने के बारे में जितना हम कर सकते थे, हमने उतना किया है।

मैं आशा करता हूं कि सभा हमारी संविधानिक कठिनाइयों को समझेगी और इस छोटे से विधेयक को इसी रूप में पारित कर देगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि इस विधेयक के लिए निश्चित समय बढ़ा दिया जाये।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक, १९६० पर विचार करने और उसको पारित करने के लिये १६ नवम्बर, १९६० को (कार्य मंत्रणा समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन के अनुसार) निश्चित समय को १ घंटे से बढ़ा कर २।। घंटे कर दिया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री पटेल के विधेयक पर बोलते हुए माननीय प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा था उससे मैं समझा था कि सरकार ऐसा विधेयक प्रस्तुत करेगी जिसको सभा सर्वसम्मति से पारित कर देगी। परन्तु सरकार ने अब जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है वह ऐसा नहीं है जिसका मैं समर्थन करूं। यदि उसमें श्री नौशीर भरूचा का संशोधन शामिल कर लिया जाये तो जो कमी है वह पूरी हो जायेगी और इसको तब सब का समर्थन मिल जायेगा।

मैं समझता हूं कि सरकार ने इस मामले में बड़ी अनुदारता दिखाई है। इस विधेयक का उद्देश्य तथा कारणों के विवरण को देखने पर पता लगता है कि राजा महेन्द्र प्रताप की प्रशंसा में उसमें एक भी शब्द नहीं कहा गया हैं। मैं मानता हूं कि राजा महेन्द्र प्रताप के आज के विचार अजीब तथा अव्यवहारिक हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि हम उनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में किए गए त्याग को भुला दें। बड़े ही खेद का विषय है कि सरकार ने राजा महेन्द्र प्रताप के साथ अंग्रेज सरकार द्वारा किए गए दुष्कृत्यों पर विचार करने में १३ वर्ष लगा दिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

मैं समझता हूं कि श्री नौशीर भरूचा के संशोधन को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए और सनद का, जिसमें घृणास्पद शब्दों की भरमार है, निराकरण कर देना चाहिये। मैं बताना चाहता हूं कि यदि किसी प्रकार भारत के किसी नागरिक की सम्पत्ति किसी दूसरे के पास चली जाती है तो न्यायानिर्णयन के द्वारा पहले व्यक्ति को मुआवज़ा दिलाने की व्यवस्था की जाती है। इसीलिये मैं चाहता हूं कि यह मामला भी न्यायाधिकरण को सौंपा जाये और उसका निर्णय इस मामले में लिया जाये जिससे राजा महेन्द्र प्रताप के साथ न्याय हो सके।

मैं आशा करता हूं कि श्री नौशीर भरूचा का संशोधन स्वीकार कर लिया जायेगा और जो इस विधेयक में कमी रह गई है पूरी कर दी जायेगी।

†**श्री पु० र० पटेल** (मेहसाना) : सरकार ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है यह देख कर मझ प्रसन्नता है। लेकिन यदि हम इस विधेयक को पारित कर देते हैं तो राजा महेन्द्र प्रताप भिखारी बन जायग क्योंकि इस के अनुसार उनकी सारी सम्पत्ति उनके पोते के पास बनी रहेगी और राजा साहब उसकी इच्छा पर निर्भर करेंगे। राजा साहब की देशभक्ति के दंड स्वरूप उनकी सारी सम्पत्ति छीन कर उनके लड़के को दे दी गई थी और अब उत्तराधिकार के रूप में उनके पोते के पास आ गई है। इस विधेयक को पारित करके तो हम अंग्रेज़ों ने जो कुकृत्य किया था उसका समर्थन ही कर रहे हैं।

माननीय गृह मंत्री का कहना है कि जो सम्पत्ति किसी को दी जा चुकी है उसे बिना क्षति कर दिये वापिस नहीं लिया जा सकता मेरा निवेदन है कि यदि सरकार को इसके लिये क्षति कर देना भी पड़े तो उसे देना चाहिये। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है

दूसरी बात यह कही गई है कि दी गई सम्पत्ति को जनहित के लिये वापस लिया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि इस सम्पत्ति को वापस लेना जनहित में है क्योंकि राजा महेन्द्र प्रताप ने जो देश की सेवा की है वह जनहित के लिये ही थी और राजा साहब को उनकी सम्पत्ति लौटाना जनहित ही होगा। अतः गृह-कार्य मंत्री एवं विधि मंत्री को इस दिशा में कुछ करना चाहिये।

यह भी कहा गया है कि सरकार सनद को रद्द नहीं कर सकती। मेरा निवेदन है कि सरकार इस सनद को रद्द कर सकती है। सरकार ने ज़मीदारों को दी गई सुविधाओं, सम्पत्ति आदि को वापस ले लिया है अतः इस मामले में भी वह वापस ले सकती है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार केन्द्रीय सरकार को सनद रद्द करने का अधिकार है लेकिन यह अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। अंग्रेज़ी सत्ता के प्रति वफादार रहने के लिये अपने पिता के प्रति विश्वासघात करने के लिये राजा साहब की सम्पत्ति उनके पुत्र को दी गई। क्या सरकार इसको अब भी जारी रखना चाहती है। मेरा यही निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करे क्योंकि यह वर्तमान विधेयक और कुछ नहीं केवल पुराने अधिनियम को निरसन करने वाला ही है।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर तो राजा साहब को उनकी सम्पत्ति मिल जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार** : संविधान के लागू होने से पहले तो यह संभव था लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अधिनियम के अनुसार यदि किसी जायदाद का अर्जन किया जाता है तो वह जनहित की दृष्टि से ही किया जा सकता है और वह भी उचित क्षतिकर देने के पश्चात्। संविधान के लागू हो जाने के बाद से स्थिति बिल्कुल ही बदल गई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर इस विधेयक का उद्देश्य क्या है ?

†**श्री दातार** : श्री पटेल ने १९२३ के अधिनियम का निरसन करने के लिये एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया था। फिर उन्होंने यह इच्छा प्रकट की राजा साहब के पोते के पास जो जायदाद राजा साहब की है उसे उससे ले कर राजा साहब को दे दिया जाये। उनके विधेयक के खंड ४ में जो प्रश्न उठाया गया था उस पर अच्छी तरह से विचार किया गया और विधिक दृष्टि से उसका सही अध्ययन भी किया गया। विचार करने के पश्चात् अधिकारी इस निष्कर्ष पर ही पहुंचे कि यह ठीक है कि संविधान ने मूलभूत अधिकार दिये हैं लेकिन साथ ही संसद् द्वारा पारित कुछ अधिनियमों ने हमारे ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिये हैं। संसद् भी संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों से प्रशासित होती है। हमारी संसद् और देशों जैसी संसद् अथवा हाउस ऑफ कामन्स जैसी नहीं है। अतः हम इस जायदाद को प्रत्यक्ष रूप से नहीं ले सकते और न इसे राजा साहब को दे ही सकते हैं।

इन परिस्थितियों में हम जो कुछ कर सकते थे वह हमने किया है। अर्थात् पहला काम तो हमने उस पुराने अधिनियम का निरसन किया है, दूसरे उस जायदाद से राजा साहब के लिये भरण पोषण के लिये धन निर्धारित कराया है। बस इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते।

†**श्री नौशीर भरूचा** : सरकार का कहना है कि वह पुराने अधिनियम (१९२३) का निरसन कर सकती है और सनद की कुछ शर्तों का पालन ही कर सकती है। क्योंकि संविधान इससे और अधिक कुछ करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन संविधान में कहा गया है कि राज्य सरकार जनहित के लिये किसी भी जायदाद को ले सकती है। अगर राजा साहब की देश-भक्ति को जनहित न भी माना जाये तो भी कुछ न कुछ तो उनके लिये करना होगा। माननीय मंत्री ने जो कुछ कहा है उसको ध्यान में रखते हुये मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में संशोधन किया जाये।

मेरे विचार में सब से पहले इस बात की आवश्यकता है कि न केवल अधिनियम का ही निरसन किया जाये बल्कि सनद का भी निरसन किया जाये। दूसरे इस बात की घोषणा की जाये कि यह निरसन भूतलक्षी प्रभावी अर्थात् ७ सितम्बर, १९२४ से लागू माना जाये जब से कि सनद लागू की गई थी। तीसरे सनद की शर्त्तों के अनुसार जो कुछ भी किया गया है उसका अनुसमर्थन किया जाये। चौथे उन्हीं कार्यों का अनुसमर्थन किया जाये जिनका सम्बन्ध इस जायदाद के मालिक से न हो। पांचवें, मेरे विचार से यह आवश्यक है कि इस अधिनियम के उपबन्धों से जो सहमत नहीं है वह उपयुक्त अदालत में जा सकें और वह अदालत कुछ बातों के आधार पर उनको क्षति-पूर्ति दे सके।

इस विधेयक से राजा साहब को कोई भी लाभ नहीं होता। इसलिये मेरा निवेदन है कि सनद को भी रद्द किया जाये। मेरे इन संशोधनों सहित इस विधेयक के पारित हो जाने से यह

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरुचा]

लाभ होगा कि राजा साहब किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि इस विधेयक के अनुसार अमुक जायदाद उनकी है। न्यायालय इस बात की जांच करेगी और देखेगी कि इस विधेयक के अनुसार १९२३ का अधिनियम रद्द हो गया है और सनद भी रद्द हो गई है।

अन्त में मैं कहूंगा कि इस विधेयक के अनुसार तो राजा साहब को कुछ नहीं मिला वह तो अपने पोते के ऊपर ही निर्भर रहे। यदि वह चाहे तो उन्हें कुछ दे सकता है। अतः मैंने जो सुझाव दिये हैं यदि उनको क्रियान्वित किया गया तभी इस मामले में कुछ हो सकता है अन्यथा नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** वर्तमान स्थिति यह है कि सम्पूर्ण सभा, प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक मंत्री की ऐसी अभिलाषा है कि राजा साहब की जायदाद उन्हें लौटा दी जाये। लेकिन गृह-कार्य मंत्री का कहना है कि भूतपूर्व सरकार ऐसा करने के लिये सक्षम थी लेकिन वर्तमान विधि के अनुसार किसी की सम्पत्ति अथवा जायदाद लेने का अधिकार वर्तमान सरकार को नहीं हैं। साथ ही सरकार यह भी नहीं कह सकती कि राजा साहब का पौत्र उन्हें कुछ दे। यह बात दूसरी है कि वह प्रेमवश अपने दादा को कुछ दे। माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि सरकार इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकती। अतः ऐसी स्थिति में राजा साहब के लिये यह सभा और कुछ नहीं कर सकती।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हमारे देश में राजा साहब ही अकेले क्रांतिकारी नहीं हैं, बहुत से क्रांतिकारी अब भी मौजूद हैं। कुछ क्रांतिकारियों के आश्रित भी मौजूद हैं जो बहुत ही बुरी दशा में रह रहे हैं। सरकार ने उनके लिये क्या किया? यह एक मानवीय प्रश्न है केवल सवैधानिक अथवा विधिक प्रश्न ही नहीं हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब सरकार ने देश की बागडोर अपने हाथों में संभाली तो यह उसका कर्तव्य था कि वह इन क्रांतिकारियों की देखभाल करती। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिनमें ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों की सम्पत्ति हड़प ली थी।

इस अप्रभावकारी विधेयक को देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मेरा निवेदन है कि आप सनद को रद्द क्यों नहीं करते क्या सरकार को उसे रद्द करने का अधिकार नहीं है? मेरा निवेदन तो यह ह कि हमें उन क्रांतिकारियों की सेवाओं को मान्यता देनी चाहिये जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ाई लड़ी। स्वतन्त्रता प्राप्त किये हुये १३ वर्ष निकल गये हैं लेकिन खेद है कि हम अभी तक उनके लिये कुछ नहीं कर सके हैं। हमारे देश में लोकतंत्रात्मक सत्ता है और इसके अन्तर्गत हम कुछ कर सकते हैं। मुझे खेद है कि गृह-कार्य मंत्रालय ने इस मामले के बारे में गलत रुख अपनाया है।

राज्य सरकारों का कहना हैं कि वे कुछ नहीं कर सकतीं। इस प्रकार इन क्रांतिकारियों के साथ अवहेलना का बर्ताव किया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि गृह-कार्य मंत्री इस समस्या का अधिक उदारता से अवलोकन करें और घोषणा करें कि उन के लिये कुछ न किया जायेगा। यदि आप इन क्रांतिकारियों के कार्यों को देखें तो आपको ज्ञात हो जायेगा कि इन्होंने देश के लिये कितना त्याग किया है। अतः इनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। संसद् को चाहिये कि इन को सहायता देने में यदि कुछ रुकावटें हैं तो भी वह उनको दूर करे। हमें उनकी क्रियाओं, उनके कार्यों, उनके त्याग और उनकी सेवाओं को मान्यता देनी चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

अतः मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अपेक्षा वे कोई ठोस काम करें, यह विधेयक सनद को रद्द नहीं करता, राजा साहब को कोई लाभ नहीं पहुंचाता, इससे यह सिद्ध नहीं होता कि ब्रिटिश सरकार ने इन क्रांतिकारी व्यक्तियों के प्रति जो अत्याचार किये थे उनका निरसन नहीं होता। हमारा यह परमोच्च कर्तव्य है कि हम इनके लिये कुछ करें अतः ऐसा करने में यदि कुछ रुकावटें भी हैं तो हमें उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : हम सब राजा महेन्द्र प्रताप के प्रशंसक हैं। उनके बलिदान और साहस के प्रति हमारे हृदय में सम्मान की भावना है। जिन लोगों ने भी देश की स्वतंत्रता के संघर्ष में बलिदान दिया है हम सब उनके आभारी हैं। देश के स्वतन्त्रता संग्राम में राजा महेन्द्र प्रताप एक महान सेनानी का कार्य करते रहे हैं। मेरी आयु शायद सब सदस्यों से अधिक है और मैं उनके सम्बन्ध में औरों की अपेक्षा बहुत कुछ जानता हूं। हम एक दूसरे से गत ५० वर्षों से परिचित हैं। उनके जर्मनी और अफगानिस्तान जाने से पूर्व हम एक साथ काम भी करते रहे हैं। मैं क्रांतिकारी तो नहीं रहा परन्तु बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षा से सम्बन्धित अन्य रचानात्मक क्षेत्रों में हम साथ साथ थे। परन्तु इस समय हमें इस मामले पर संविधानिक दृष्टि से विचार करना है।

हमें बड़ी प्रसन्नता होती यदि हम राजा साहब के पौत्र अमर प्रताप सिंह से इनकी जायदाद लेकर उसे राजा साहब को सौंप देते। लेकिन यह संभव नहीं है। सरकार ने इस दिशा में अच्छी से अच्छी कानूनी राय उपलब्ध की है, जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री ने इससे पूर्व अपने एक बयान में कहा भी था। उस राय के अनुसार सरकार के लिए यह सम्भव नहीं कि राजा महेन्द्र प्रताप के पौत्र अमर प्रताप सिंह को सम्पत्ति से वंचित करके उसका स्वामित्व राजा महेन्द्र प्रताप को दे दिया जाय। हमने इस सम्बन्ध में सभी प्रकार के विधिक परामर्श ले लिये हैं और उस के बाद ही इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। हम चाहते थे कि हम राजा साहब के लिये कुछ कर सकते जैसा कि माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है। लेकिन इस सम्बन्ध में हमारी कुछ कठिनाइयां हैं। उन्हें मैं बताने का यत्न करूंगा।

सन् १९४७ तक इस सम्पत्ति के स्वामी राजा साहब के पुत्र थे। जब सन् १९४७ में उनकी मृत्यु हो गई तो यह सम्पत्ति राजा साहब के पौत्र के पास उत्तराधिकार के रूप में चली गई। इस प्रकार संविधान के पारित होने के समय यह सम्पत्ति उनके पौत्र के पास थी। चाहे सम्पत्ति पुत्र के कब्जे में हो अथवा पौत्र के कब्जे में हो इससे कानूनी स्थिति में कुछ विशेष अन्तर नहीं आता।

संविधान के अनुच्छेद १९(१) (च) के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उस सम्पत्ति रखने का अधिकार है, जो उसके पास है और अनुच्छेद १३(२) में कहा गया है कि ऐसा कोई कानून पास नहीं किया जायेगा, जो उस अधिकार को छीनता हो अथवा उसको कम करता हो। अतः राजा महेन्द्र प्रताप से जो सम्पत्ति छीन ली गयी थी उससे उनके पौत्र को वंचित करने वाला कोई कानून पारित नहीं किया जा सकता। उस समय की सरकार ही ऐसा कर सकती थी यदि संविधान के उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसा किया जा सकता तो सचमुच मुझे हर्ष होता। संविधान में परिवर्तन करके ही यह संभव हो सकता है। मैंने सनद

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गो० ब० पन्त]

को भी देखा है। उसके अनुसार भी यह संभव नहीं है कि राजा साहब की सम्पत्ति उनको वापस दिलाई जा सके।

आज हमारे देश में ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके पास वह सम्पत्ति है जोकि अंग्रेज़ सरकार ने उनको दी थी। क्योंकि उन लोगों ने १८५७ के विद्रोह में सरकार की सहायता की थी। वे सब लोग उस सम्पत्ति के वैध मालिक हैं। हम उन लोगों के पुत्रों और पौत्रों को उनके बुजुर्गों के पापों की सजा नहीं देना चाहते।

श्री खाडिलकर साहिब ने बहुत ही भावपूर्ण भाषण दिया है। उस भाषण में जो भावना निहित है उससे हम सब सहमत हैं। परन्तु जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है स्थिति तो उनके भाषण से बिगड़ जाती है। कई बार जोश से काम बनने के बदले बिगड़ ही जाता है। लेकिन यहां इसके बिगड़ने का प्रश्न भी नहीं उठता क्योंकि यह मामला पहले से ही कमज़ोर था। अनुच्छेद १४ के अधीन हम कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते जो भेदभाव से पूर्ण हो।

अतः मेरा निवेदन है कि हम सब की भावना ठीक है और उसमें दो मत नहीं हैं परन्तु कानून के आगे हमारी पेश नहीं चल सकती। हमने देश के विधि विशेषज्ञों से परामर्श करके ही इस विधेयक को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

†**श्री च० कृ० नायर** (बाह्य दिल्ली): जिस रूप में यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, उससे विधि मंत्रालय को कोई श्रेय प्राप्त नहीं हो सकता। मैं यह नहीं मानता कि हम इस दिशा में कोई रास्ता ही नहीं निकाल सकते। मेरा विचार है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जहां कि इसकी सभी बातों पर अच्छी तरह विचार किया जा सके। यह विधेयक एक ऐसे प्रश्न से सम्बन्धित है जिसके अन्तर्गत उन बहुत से लोगों का मामला आता है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और महान त्याग किया था। अतः इस प्रश्न को हल करने के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। चूंकि यह मामला अकेले राजा साहब का ही नहीं है बल्कि देश के लाखों व्यक्तियों का है।

†**श्री अन्सार हरवानी** (फतहपुर): यह ठीक है कि संविधान के अन्तर्गत किसी को सम्पत्ति से संचित नहीं किया जा सकता, परन्तु भारत सरकार को क्रांतिकारियों के प्रति अधिक उदार होना चाहिए। क्या वह देशी राजाओं तथा अन्य लोगों के भरण पोषण के लिए जोकि अंग्रेज़ सरकार के पिट्ठू थे बड़ी बड़ी धन राशियां खर्च नहीं कर रही? यदि हां, तो देश के महान देश भक्त के साथ हुए अन्याय के लिए भी तो वह कोई मार्ग निकाल सकती है। सरकार उनके लोगों को धन की सहायता दे सकती है जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के संग्राम में सक्रिय भाग लिया था। इन शब्दों से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री आचार** (मंगलौर): यह ठीक है कि अमर प्रताप सिंह को उसकी सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता परन्तु सरकार सब संविधानिक अड़चनों के बावजूद केवल "सार्वजनिक प्रयोजन" शब्दों की परिभाषा को विस्तृत करके इस सम्पत्ति का अर्जन कर सकती है, जोकि पहले राजा महेन्द्र प्रताप की थी। अगर सरकार और कुछ नहीं कर सकती तो

---

†मूल अंग्रेजी में

कम से कम अचल सम्पत्ति तो ले सकती है । क्या राजा महेन्द्र प्रताप जैसे पुराने सक्रिय क्रांतिकारी को उसकी छीनी हुई सम्पत्ति वापिस देना एक "सार्वजनिक प्रयोजन" नहीं है ?

इस पर भी मेरा निवेदन है कि जैसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। इससे सरकार को कोई हानि नहीं होती।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (हिसार) : जनाब स्पीकर साहब, इस हाउस में इस मामले में तकरीबन युनेनिमिटी है, जिस में गवर्नमेंट खुद भी शामिल है---और मेरे ख्याल में होम मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर आफ स्टेट साहब भी इस बात के उतने ही ख्वाहिशमन्द हैं--- कि राजा महेन्द्र प्रताप के साथ जो इन्साफ हो सके, वह किया जाये। मुझे इस में कोई डाउट नहीं है। हाउस में यह फ़ीलिंग है कि इस एक्ट के मन्सूख होने पर भी उन को .कसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं पहुंचता है । जनाबे वाला ने भी यह सवाल होम मिनिस्टर साहब से पूछा था। सारी पार्लिमेंट बमे गवर्नमेंट के इस बात की ख्वाहिशमन्द है कि उन के लिए जो भी किया जा सकता है, वह किया जाये। यहां पर एक कानूनी मसला उठाया गया है। होम मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर आफ़ स्टेट और एटार्नी जेनरल की राय के मुकाबले में मैं अपनी राय को वुक्कत नहीं देता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि डाइवेस्ट करने के लिए ला में, हिन्दू ला में बहुत से प्राविज़न्ज़ हैं। मैंने उन को इस प्वायंट आफ़ व्यू से देखा नहीं है, इस लिए मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि जो राय वे रखते हैं, वह गलत है। लेकिन मैं अदब से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस पालियामेंट के हाथ और गवर्नमेंट के हाथ इतने बंधे हुए हैं कि ऐसे मामले में वे कुछ नहीं कर सकते ? मुझे खुशी है कि मुझ से पहले बोलने वाले दोस्त ने इस तरफ तवज्जह दिलाई है कि गवर्नमेंट को यह अख्तियार है कि वह कोई भी जायदाद एक्वायर कर ले बशर्तेकि उस में पब्लिक परपज़ हो। जहां तक पब्लिक परपज़ को डिफाइन करने का ताल्लुक है, अकेली गवर्नमेंट इस बात का फ़ैसला करने के लिए जिम्मेवर है कि पब्लिक परपज़ क्या है और किसी भी कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीमकोर्ट में यह मामला नहीं उठाया जा सकता है। गवर्नमेंट जिस को भी पब्लिक परपज़ करार दे दे, उस को कोई क्वेस्टियन नहीं कर सकता है, यह ला है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह पब्लिक परपज़ नहीं है कि एक ऐसे शख्स को रीकम्पेन्स किया जाये, जिस ने अपनी सारी उम्र कौम की खिदमत में गुजारी जिसने इतने मुसायब झेले उस ज़माने में जब कोई जानता नहीं था कि पेट्रियाटिज्म क्या होती है, जिस को इस वजह से देश-बदर किया गया और देश भर में जिस की इतनी इज्ज़त है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह पब्लिक परपज़ है कि मेरी जायदाद छीन कर ए या बी को दे दी जाये। जब भाखरा बांध बना, तो कुछ आदमी वहां से आउस्ट हुए। उन को जायदाद देने के लिए हमारे ज़िले में हमारी जायदादें एक्वायर कर ली गईं। क्या यह पब्लिक परपज़ है ? अगर है, तो क्या यह पब्लिक परपज़ नहीं है कि एक ऐसे शख्स को रीकम्पेन्स किया जाये, जो अब तक मुल्क की खिदमत करता रहा और आखिरी उम्र में हमारे लिए दर्शन की चीज़ बन गया है ? अगर यह पब्लिक परपज़ नहीं है, तो फिर पब्लिक परपज़ क्या है ? क्या किसी ला ने पब्लिक परपज़ को डिफ़ाइन किया है ? काया लैंड एक्वीजीशन एक्ट ने उस को डिफ़ाइन किया है ? जिस को गवर्नमेंट ने कहा, वही पब्लिक परपज़ है । कोई कोर्ट उस को क्वैस्टियन नहीं कर सकती है। अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को एक्वायर कर के किसी को देना चाहे, तो वह ऐसा कर सकती है।

[पं० ठाकुर दास भार्गव]

इस के अलावा एक सवाल यह है कि क्या यही एक जायदाद है, जिस से उन को रीकम्पेन्स किया जा सकता है। पंजाब गवर्नमेंट ने हमारे जिले में सात हजार एकड़ जमीन पोलीटिकल सफरर्ज को दी। किस कायदे से दी? हमारे यहां पोलिटिकल सफरर्ज को देने का कोई कानून नहीं है। गवर्नमेंट ने दरख्वास्तें इनवाइट कीं कि जिन लोगों की १८५७ के गदर में जायदादें जब्त की गयी थीं, उनको रीकम्पेन्स किया जायेगा। इस के लिये नोटिफिकेशन जारी किया गया। हमारे जिले में लोगों ने दरख्वास्तें दीं और गवर्नमेंट ने उन के साथ इन्साफ किया। क्या सेन्ट्रल गवर्नमेंट कह सकती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने पोलिटिकल सफरर्ज के साथ इन्साफ करने की कोशिश नहीं की? अगर राजा साहब के पोते की जायदाद इन को नहीं दी जा सकती है, तो गवर्नमेंट के पास बहुतेरी और जायदादें हैं, मूवेबल भी और इम्मूवेबल प्रापर्टी भी। अगर गवर्नमेंट वाकई यह समझती है कि वह पोलिटिकल सफरर हैं और उन को इतनी तकलीफ हुई है और, जैसा कि होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया है, उन्होंने देश में एक पाइनियरिंग वर्क किया है, क्या उन की मदद करने का और कोई तरीका नहीं है? अगर वह चाहें, तो इस बिल के जरिये ही उन को रीकम्पेन्स किया जा सकता है। क्या यह जरूरी है कि उसी जायदाद से उनको रीकम्पेन्स किया जाये? अगर गवर्नमेंट उनकी सर्विसेज को एकनालेज करना चाहती है और उन को इस हालत में नहीं रखना चाहती है कि वह अपने पोते की मरसी पर रहें, तो कई तरीकों से उन की मदद की जा सकती है। मैं जानता हूं कि दुनिया में पोते क्या करते हैं। अगर एक शख्स पेट में है और जायदाद का बंटवारा हो गया, तो वह भी बड़ा होने पर जायदाद को डायवेस्ट करा लेता है। डाइवेस्ट कराने के लिये एक ही नहीं, बीसियों तरीके हैं। दफा १३ में यह दर्ज है। लेकिन उस से पहले आप प्रिएम्बल को देखिये, जिस में लिखा है कि यह गवर्नमेंट हर तरह का जस्टिस, सोशल जस्टिस, पोलीटिकल जस्टिस, करेगी और कांस्टीट्यूशन तभी सैटिसफाइड होगा, जब हम हर तरह से जस्टिस कर सकेंगे। यह प्रिएम्बल में लिखा है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की सारी नेशन को सब से बड़ी देन है। जहां सवाल जस्टिस का है, तो गवर्नमेंट हो, या कोर्ट हो, वह किसी भी तरीके से कार्यवाही कर के मदद कर सकती है। यह कोई जरूरी नहीं है कि वही पर्टिकुलर जायदाद दी जाये। अगर यह गवर्नमेंट और पार्लिमेंट जस्टिस करना चाहती है, तो इसी बिल में कर सकती है। उन को इतनी जायदाद दी जा सकती है कि जो उन की सारी जिन्दगी चले। उस से आगे देने की जरूरत नहीं है। फिलवाके हम को किसी न किसी तरह से उन की सर्विसेज को रेकगनाइज़ करना चाहिये। अगर इस बिल के जरिये कुछ हो सके, तो कर दिया जाये और अगर न हो सके, तो यह पार्लिमेंट एक सोविरेन अथारिटी है, इस गवर्नमेंट और इस पार्लियामेंट के हाथ इतने लम्बे चौड़े हैं कि वे उन के साथ इन्साफ कर सकते हैं। इन्साफ का यह तकाजा है कि किसी न किसी तरह से उन की सर्विसेज़ को रेकगनाइज किया जाये।

हमारे यहां हिमाचल प्रदेश का बिल आया था। जिस में अव्वल से आखिर तक सारे कानून पर पानी फेर दिया गया था। इस हाउस में यह सवाल उठाया गया कि जो इर्रेगुलैरिटीज हुई हैं उनको दुरुस्त करने के लिये जो नया एक्ट लाया जा रहा है, क्या वह जायज है। फिर भी हम ने वह एक्ट पास किया। हम जानते हैं कि यह साविरेन बाडी है। हमारा मकसद इन्साफ करना है। लीगल हो, या इल्लीगल, इन्साफ करने के लिये इस गवर्नमेंट और पार्लिमेंट को कार्यवाही करने का पूरा अख्तियार है। मैं आनरेबल मिनिस्टर साहबान और गवर्नमेंट की खिदमत में यह अर्ज करना चाहता हूं कि कंट्री की सोल बड़ी सैटिसफाइड होगी, अगर वे इस सिलसिले में उन की मदद करने की कोशिश करेंगे। देश में एक शख्स भी उन के काम को क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा। क्योंकि यह इंसाफ के खिलाफ जाना नहीं होगा।

जहां तक कांस्टीच्यूशन का सवाल है, वह तो गवर्नमेंट से भी बड़ी चीज है। हम उस के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। अगर कांस्टीच्यूशन कहता है कि हम को डाइवेस्ट नहीं करना चाहिये, तो हम को हरगिज नहीं करना चाहिये, चाहे कुछ भी हो चाहे आसमान गिर पड़े। ताहम मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर कांस्टीच्यूशन से कोई चीज नहीं हो सकती है, तो क्या उस के लिये कोई रेमेडी नहीं है। क्या इन्साफ हर एक चीज से बड़ा नहीं है? अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि यह एक फिट केस है, जिस में कुछ न कुछ किया जाना चाहिये, तो गवर्नमेंट और पार्लियामेंट को किसी और तरह से इस मामले को देख कर उनको प्रापरली रीकम्पेन्स करना चाहिये और देश के सामने एक मिसाल कायम करनी चाहिये।

यह कहना कि और साहबान के साथ हम ने इन्साफ नहीं किया है, मुझे अपील नहीं करता है। जो केस गवर्नमेंट के सामने आया है, उस को तो वह इस तरह डील करती है और अगर कोई और मामला आया, तो वह कहेगी कि हमने राजा महेन्द्र प्रताप के साथ इंसाफ नहीं किया है, इसलिये इस में भी कुछ नहीं हो सकता है। उस वक्त यह एक मिसाल बन जायेगा। यह कोई दलील नहीं है कि हमने औरों के साथ इन्साफ नहीं किया, इस लिये इस में कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट औरों के साथ इन्साफ करे। किस ने रोका है? हर एक आदमी कहेगा कि जिस ने देश के लिये कुर्बानी की है और जो इस वक्त इमदाद का मुस्तहक है, उस को जरूर मदद मिलनी चाहिये। क्या हम अपने बुजुर्गों को याद नहीं करते हैं क्या हम उन के दिन नहीं मनाते हैं? क्या हम उन को भूल जाते हैं? यह दुरुस्त है कि आज वह जिन्दा हैं? अगर वह मर गये होते, तो देश में उन की बहुत इज्जत होती। इन का कसूर यही है कि वह जिन्दा हैं और बूढ़े हो गये हैं। जिस शख्स ने किसी बात की परवाह न करते हुए देश के लिये इतनी कुर्बानी की और देश में ऐसी स्प्रिट पैदा की, उस के बारे में यह कहना कि कांस्टीच्यूशन बीच में आता है, दुरुस्त नहीं है, । क्या चीज है कांस्टीच्यूशन? जो काम उन्हों ने किये, वे बहुत आला दर्जे के थे और उन को रिकगनाइज़ कर के हम को अपनी शुक्रगुजारी दिखानी चाहिये। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हमारे होम मिनिस्टर साहब के अल्फाज में वह ग्रैटिच्यूड बिल से नहीं हो सकता है, होगा। अगर हम अपना ग्रैटिच्यूड चाहिर करना चाहते हैं, तो अगर इस हीं होगा। इनग्रैटिच्यूड तो किसी और तरीके से उन को रिकम्पेन्स किया जाये।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : कानूनी पक्ष को छोड़कर हमें थोड़ा मानवीय पक्ष भी लेना चाहिये। मेरा निवेदन है कि यह विधेयक उस सदन का निरसन नहीं करता जिसके द्वारा राजा महेन्द्र प्रताप की सम्पत्ति उन से छीनी गयी थी। इस से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। उन्हें उस का बदला मिलना चाहिये। इस दृष्टि से भी कि देश के लिये लड़ने वाले लोगों की देखभाल करना सरकार का कर्तव्य है। अगर सरकार उन के लिये कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम इतना तो अवश्य ही कर सकती है कि जीवन के इन शेष दिनों में उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। इस के लिये उन्हें सरकार का पूर्ण समर्थन मिलना चाहिये। हमें इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिये कि इन देशभक्त क्रांतिकारियों की सन्तान सड़कों पर भीख न मांगती फिरे। उन के परिवारों की पूर्ण रूपेण देखभाल की जानी चाहिये।

सरकार के पास सब कुछ करने के अधिकार हैं। आप ने ५६० राजाओं के अधिकार छीन लिये। आप ने जागीरें छीन लीं तो मैं किस प्रकार मानूं कि राजा महेन्द्र प्रताप जैसे क्रान्तिकारियों के लिये सरकार कुछ भी नहीं कर सकतीं। हमें उन की सहायता के लिये ठोस कदम उठाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सनद में निर्धारित एक शर्त को श्री प्रेम प्रताप सिंह तथा उन के उत्तराधिकारियों ने पूरा नहीं किया है, सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या इसे निरसित नहीं किया जा सकता । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात की ओर ध्यान देंगे ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में जो स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स एंड रीजन्स दिये हुए हैं, उन को देखने से यह पता चलता है कि इस विधेयक का यह उद्देश्य नहीं है कि हम राजा महेन्द्र प्रताप को इस लायक बना सकें कि वह पोते या परपोते से पैसे ले सकें, इमदाद उन को वे दे सकें उन की मेनटेनेंस के लिये । इस बिल का मंशा यह है और यह चीज आब्जैक्ट्स एंड रीजन्स में भी दर्ज है कि जिस नुक्तेनिगाह को सामने रखते हुए, जिस ध्येय को सामने रखते हुए वह एक्ट जब बना था उस को आज की बदली हुई परिस्थितियों में हमारे कानूनों में नहीं रहना चाहिये, वैसा गन्दा कानून नहीं रहना चाहिये । जो कारण तब मौजूद थे वे आज के जमाने के लिये सही नहीं हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि १९५० से पहले अगर यह कानून बनता तो हम नियम बना सकते थे । और यह चीज कांस्टीच्यूशन के लागू होने से पहले ही हो सकती थी । मैं समझता हूं कि १९४७ के बाद से जब हम आजाद हुए, इस कानून का हमारे कानूनों में शामिल रहना हमारे देश के लिये बहुत बुरी बात थी और इस को हटना चाहिये था उसी रोज जिस रोज हम आजाद हुए । अगर उस को तब हम रिपील नहीं कर सके तो इस में कसूर हमारी सरकार का है न कि उस का जिस के ऊपर इस का असर पड़ता है । हम हर कानून में यह कहते हैं कि अगर कोई गलती रह जाये किसी महकमे के अफसर से और बुरी इंटेंशन न रखते हुए वह एक्ट करे तो उस का जुर्माना वह नहीं भुगतता है, उस की सजा वह नहीं भुगतता है, उसी तरह से मैं मानता हूं कि हमारी एक गलती थी जिस में सरकार भी शामिल है और संसद् के वे सदस्य भी शामिल हैं जो १९४७ के बाद से जो चाहे प्रविजनल पार्लिमेंट के सदस्य रहे हों या कांस्टीट्युएंन असेम्बली (लैजेस्लेटिव) के सदस्य रहे हों । वे सभी कुछ न कुछ हद तक कसूरवार हैं । उस कसूर की जो सजा है वह हमें राजा महेन्द्र प्रताप को भुगतने पर मजबूर नहीं करना चाहिये जिन्हों ने इस देश के लिये खास तौर पर उस वक्त ऐसा शानदार काम किया जब कि जो रजवाड़े थे, जागीरदार थे, अंग्रेजो से इतने ज्यादा डरते थे । राजा महेन्द्र प्रताप के लिये अंग्रेजों का राज्य कोई माने नहीं रखता था बमुकाबिला हम जैसे गरीब आदमियों के । उस वक्त जो उन्हों ने काम किया उस के लिये उन्हें सजा भुगतने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता । कसूर अ र हमारा है, कसूर अगर लीगल प्रेज्योलोजी का है जैसा कि पन्त जी ने कहा है, तो उस की सजा राजा महेन्द्र प्रताप, दे भक्त क दी जाये, यह ठीक नहीं होगा । उस का मुआवजा—अगर आप मुआवजा कहना चाहते हैं—उन को मिलना चाहिये ।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव जी के साथ उनकी इस राय से सहमत हूं कि यह एक पब्लिक परपज है और इसमें जो कसूर है वह हमारी सरकार का है, लोक सभा का है, पहली और दूसरी लोक सभा का है, उस के सदस्यों का है कि उन्हों ने इस कानून को हटवाया नहीं । जहां तक राजा महेन्द्र प्रताप के कामों का सम्बन्ध है मैं पन्त जी के साथ स लहों आने सहमत हूं कि उनके ढर्रे के आदमी, उनके मुकाबले के आदमी हमारे देश में बहुत कम हुए हैं ।

मुझे मालूम है कि हिन्दुस्तान के देशभक्तों की कोई इमदाद नहीं की गई है और न ही उनके परिवारों की आज कोई की जा रही है । सरदार भगत सिंह के भतीजे, जब उनको कोई तकलीफ

---

†मूल अंग्रेजी में

हुई और उसके इलाज के लिये उनको पैसे की जरूरत पड़ी तो पैसा उनको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से दिया गया और वह अपना इलाज करवा सके। उनके बाप भी जेल गए देश की खातिर और कई साल उन्होंने अपनी जिन्दगी के जेल में काटे। अगर उनकी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में से पैसा दे कर मदद न की गई होती तो शायद वह आज जिन्दा न रहता। लेकिन मैं समझता हूं कि देश के कानूनों में देश के तरीके राज में यह कमी है कि उनकी मदद नहीं की जा सकती है। वैसे तो हम मानते हैं कि हर देशवासी को हम तालीम दें, आगे चल कर जब हमारे में शक्ति होगी, हर बूढ़े आदमी को हम पैंशन दें, और हर बीमार का मुफ्त इलाज करेंगे। लेकिन आज हमारा देश इतना शक्तिशाली नहीं है कि हर उस आदमी को हम तालीम दे सकें जो वह पाना चाहता है, उसको फ्री एजुकेशन दे सकें या दूसरी सहूलियतें मुहैया कर सकें। बावजूद इस बात के कि कांस्टीट्यूशन में एक डायरेक्टिव यह भी है कि कम से कम कुछ सालों के लिये सरकार फ्री तालीम देगी, हम उसको पूरा नहीं कर सके हैं। इसी तरह से मुफ्त इलाज की और पैंशन की बात को हम अभी तक पूरा नहीं कर सके हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार जो ये नेक काम हैं, जो कि वह हर निवासी के लिए करना चाहती है, इनकी शुरुआत वह देशभक्तों से करे। इस देश के अन्दर कोई ऐसा बूढ़ा देशभक्त न रहे जो कि पचास साल की उम्र में अपने बच्चों की तरफ मदद के लिये मुंह ताकता रहे। मुझे मालूम है सैंकड़ों लोगों की मिसालें, जिन की सेवा शुश्रूषा उनके बच्चों को करनी चाहिये, लेकिन वे करते नहीं हैं। ये जो बूढ़े, देश भक्त हैं, इनकी आज बहुत बुरी हालत है। मैं चाहता हूं कि पचास साल से ऊपर के सारे बूढ़े देशभक्तों के बारे में सरकार यह फैसला करे कि उनको पैंशन दी जाएगी और वह पैंशन उनको तब तक मिलती होगी जब तक कि वे जिन्दा रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिये जैसा कि आजकल हमारी सरकार कर देती है कि पांच सौ रुपया एड हाक ग्रांट के तौर पर उनको दे दिया गया या एक साल के लिए मदद दे दी या दो साल के लिये दे दी। आज वे बचारे गरीब पिस रहे हैं। मुझे मालूम है कि जो देशभक्त हमारे साथ जेल गये थे, उन में से बहुत से आज अन्धे हैं, लेकिन उन के लिय आज कोई रोजगार नहीं, उनके लिय गुजारे का कोई इन्तजाम नहीं, और व एक तरह से दूसरों की रहम पर हैं। इसलिय जैसा मैंने कहा, हम उन की पैंशन का इन्तजाम करें। सारे देशभक्तों के लिये, जो कि देश की आजादी की खातिर जेल में गये और जो भी पचास साल से ऊपर हो गये, हम उनके लिय पेंशन का इन्तजाम करें। इस के अलावा उन के बच्चों की तालीम का इन्तजाम करें, और जो बीमार हों उन इलाॅज का भी सरकारी तौर पर इन्तजाम हो न कि इस के लिये हमें प्राइम मिनिस्टर्स फंड या चीफ मिनिस्टर्ज फंड या पोलिटिकल रिलीफ फंड की शरण लेणी पड़े। सरकार के पास इस के लिये अलाहदा पैसा हो।

†श्री नाथपाई (राजापुर) : एक बात मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार उन लोगों के सम्मान के लिये जिन के बलिदानों से देश को विदेशी सत्ता से मुक्ति मिली है कुछ भी करने में असफल रही है। संविधानिक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न स्थिति से बाहर निकलने के लिये मार्ग ढूंढना हमारी क्षमता से बाहर नहीं होना चाहिय। इसके लिए सीधा मार्ग यह है कि विधेयक के उपबन्ध को 'सार्वजनिक कल्याण' की परिभाषा के अन्तर्गत लाया जाये।

अन्त में मेरा यह निवेदन है और मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक (जम्मू तथा काश्मीर) : जनाब स्पीकर साहब, मैं वजारत दाखिला को इस बिल को इस ऐवान में लाने के लिये मुबारकबाद देता हूं, इस लिहाज से नहीं कि इस बिल में वह तमाम खूबियां मौजूद हैं जिन के कि हम ख्वाहिशमन्द थे, लेकिन इस लिये कि एक कदम उठाया गया है, इस मकसद के लिय कि हमारा मुल्क उन मुजाहिदों को, उन वतनपरस्तों को एजाज बख्श जिन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिये अपनी जवानी को, अपनी औलादों को, अपनी खुशियों को और अपने मुस्तकबिल को खतरे में डाला।

वजीर दाखिला ने अभी हमें बतलाया कि उन्हें कुछ दिक्कतें हैं, कानूनी दिक्कतें हैं, आईनी दिक्कतें हैं। कांस्टिट्यूशन का चर्चा किया गया। यकीनन इस मुल्क में सब से बड़ी चीज हैं, इस मुल्क का आईन, हमारा कांस्टिट्यूशन, और यह एवान। लेकिन वजीर दाखिला से बेहतर यह किस को मालूम है कि अगर इस मुल्क में राजा महेन्द्र प्रताप जैसे मुहिब्बे वतन न होते तो न यह एवान होता और न आईन होता। यह एवान और हमारा आईन मरहूने मिन्नत है उन मुजाहिदों का जिन में से बहुत से गुजर चुके हैं, लेकिन जो अभी जिन्दा हैं यकीनन हमें उनका एहतराम करना चाहिये। हमारे सामने मिसालें हैं ऐसे बहुत से लोगों की, चाहे वे जागीरदार हों, वे नवाबजादे हों या व राजाजादे हों, जिन के हक को हम ने आजादी के बाद कबूल किया। हमने बरतानियां शाहंशाहियत के दिये हुये एजाज को और जागीरों को, जो कि उन की प्राइवेट प्रापर्टी के हक में दी गईं, कबूल किया है। आज भी हम करोड़ों रुपये उन के जेब खर्च के लिये, उन की जायदादों की हिफाजत के लिये, उन की जानों की हिफाजत के लिये देते हैं। आज भी हमारे सामने हुजूर मीर उस्मान अली खां, यारे वफादार बरतानियां फर्जन्दे आलिया, सिप्रे सल्तनत इंग्लिशिया, मौजूद हैं। उन्हें हम लाखों रुपये पेंशन देते हैं, उनकी हिफाजत के लिये। इस तरह के और भी बहुत से लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जिनको बरतानियां शाहंशाहियत ने, बरतानियां हुकूमत ने महज इसलिये मुसीबत में डाला कि वे इस मुल्क की आजादी चाहते थे, वे मुहिब्बे वतन थे, वे वतनपरस्त थे। हमारा फर्ज है कि हम उन वतनपरस्तों को एजाज बख्शें, हम उन्हें अपनी तरफ से खुश व खुर्रम रक्खें, हम यह न देख पायें कि वे आजादी के मुजाहिद आज किसी के मरहूने मिन्नत हों, चाहे वे उन की औलाद ही क्यों न हों। आज राजा महेन्द्र प्रताप को उनके पोते के रहम व करम पर डाल दिया जाता है। वजीर दाखिला श्री पन्त की नोटिस में ऐसे वाकयात रोज नजर आते हैं कि बेटा बाप को धक्के मार कर निकाल देता है। अदालतों में ऐसे केसेज भरे पड़े हैं। चाहे मां बेटी हों, भाई भाई हों, ऐसे मामलात में जिन में पैसे का सवाल हो, किसी का लिहाज नहीं करते।

मैं हुकूमत की तवज्जह इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि यह जो अल्फाज़ "पोलिटिकल सफरर्स" के हैं उन को तारीख से मिटा देना चाहये। हम पोलिटिकल सफरर्स नहीं हैं, हम पोलिटिकल फाइटर्स हैं। हमारे मुल्क में आज हमारी हुकूमत के अन्दर कोई पोलिटिकल सफरर नहीं होना चाहिये, यह मैं वजीर दाखिला से गुजारिश करता हूं। आज अगर हम राजा महेन्द्र प्रताप को उन की जमीन वापस नहीं दिला सकते तो उन की तमाम उम्र के लिये एक ऐसी पेंशन मुकर्रर की जानी चाहिये जिस से वह किसी के मरहूने मिन्नत न रहें, वह किसी के मोहताज न रहें, हालांकि मैं यह चाहता था कि उन की सारी जायदाद उन को वापस दी जाती।

इस के अलावा मैं वजीर दाखिला से यह भी उम्मीद रखता हूं कि वह इस मुल्क के पोलिटिकल फाइटर्स के लिये, जो कि उम्ररसीदा हो चुके हैं, जो इस काबिल नहीं हैं कि खुद अपने लिये कुछ कमा सकें या अपनी औलाद के लिये कुछ कमा सकें, उन के लिये एक फंड कायम किया जाय। हुकूमत फौरन एक ऐसे फंड का इन्जताम करे जिस से हम उन लोगों की खातिर कीमत करें। हम किसी को भी दूसरों का मरहूने मिन्नत न करें बल्कि खुद इस मुल्क की हुकूमत उन की जामिन हो।

मैं इन चन्द अल्फाज के साथ वजीर दाखिला से तवक्को रखता हूं कि वह राजा महेन्द्र प्रताप की तमाम उम्र के लिये और दूसरे पोलिटिकल फाइटर्स के लिये किसी फंड का ऐलान कर दें ।

†**श्री बा० च० कामले** (कोपरगांव) : यदि सारी स्थिति पर ध्यान से विचार किया जाय तो पता चलता है कि सनद की शर्तें नया संविधान बनने पर अवैध हो जाती हैं । सनद की यह शर्त थी कि श्री प्रेम प्रताप सिंह तथा उनके उत्तराधिकारी, ब्रिटिश सम्राट के प्रति वफादार रहेंगे । यह बात संविधान लागू होते ही भंग हो जाती है । इसी आधार पर बड़ी आसानी से श्री प्रेम प्रताप सिंह अथवा उनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त सम्पत्ति को अर्जित किया जा सकता है । इस सम्पत्ति को राजा महेन्द्र प्रताप को देने के लिये संविधानिक व्यवस्था कर दी जानी चाहिये । "सार्वजनिक प्रयोजन" की परिभाषा का उपयोग करके भी सम्पत्ति को अर्जित किया जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त मैं एक अन्य बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद १० के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति जो राज्य के आधीन लाभ पद अथवा विश्वास पद पर आसीन हैं, किसी विदेशी राज्य से या के आधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि अथवा पद राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार नहीं करेगा । इसके आधार पर भी सनद को वैध नहीं समझा जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसकी अनुमति प्रदान न कर दे । अतः सदन को अपेक्षित उपबन्ध बना कर राजा महेन्द्र प्रताप को सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकार देने चाहिये ।

कितने दुःख की बात है कि चाहते हुये भी हम रजा महेन्द्र प्रताप की सहायता नहीं कर पा रहे । यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

†**श्री गो० ब० पन्त** : हमारा सम्बन्ध कानूनी पक्ष से है और उसको मैंने स्पष्ट कर भी दिया हैं । अन्य बातों का जहां तक सम्बन्ध है हमें उन सब के साथ सहानुभूति है जो कि देश के लिए कष्ट सहन करते रहे हैं । हमारी इच्छायें कुछ भी हों इस विधान के सम्बन्ध में हमें विधि और संविधान का विचार रखना ही पड़ेगा । इस दिशा में बहुत लोगों ने देश के लिये कष्ट सहन किये हैं । इस मामले में पोते के पास सम्पत्ति है, राजा महेन्द्र प्रताप तो केवल मैनेजर हैं । उनका सम्पत्ति से सम्बन्ध तो बना है । ऐसे भी मामले हैं यहां लोगों को समाप्त करके उनकी सम्पत्ति अंग्रेजों ने उन लोगों को दे दी जो उनका साथ दे रहे थे । १८५७ के बाद के स्वतन्त्रता संघर्ष में यह बात कई बार देखने को आई ।

इस मामले पर इससे पूर्व भी चर्चा हो चुकी है । सरकार इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकती जिसका कि विधेयक में उपबन्ध कर दिया गया है । जहां तक राजनीतिक पीड़ितों का प्रश्न है उनको सहायता देने के लिये एक विशेष राशि रक्षित कर दी गई है । देश के स्वतन्त्रता संग्राम में क्षति उठाने वालों के पुत्रों और पौत्रों के लिए छात्रवृत्तियां भी जारी कर दी गई हैं । सरकार ने इस सम्बन्ध में अच्छी से अच्छी उपलब्ध कानूनी राय लेने का प्रयत्न किया है और हम इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते । अतः मेरा निवेदन है कि विधेयक को इसी रूप में पारित किया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद-अधिनियम, १९२३ का निरसन तथा प्रासंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं सभी खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड १, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

†श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

श्री ब्रज राज सिंह (फ़िरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह बिल तो पास होने जा ही रहा है, लेकिन इस सदन में जो भावना व्यक्त की गई है उसके सम्बन्ध में क्या इस स्टेज पर गृह मंत्री महोदय से कुछ आश्वासन प्राप्त किया जा सकता है। अगर कानूनन और विधान के द्वारा हम चाहते हुये भी राजा महेन्द्र प्रताप की सहायता नहीं कर सकते, तो कम से कम उस भावना का आदर करते हुये जिसे गृह मंत्री महोदय ने व्यक्त किया है उन लोगों के बारे में जिन्होंने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां की हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते कि राजा महेन्द्र प्रताप उनमें बहुत ही आगे बढ़े हुये हैं क्या सरकार कोई ऐसा तरीका निकालेगी कि इन कानूनी दिक्कतों के बावजूद राजा महेन्द्र प्रताप की इस वृद्धावस्था में कोई सहायता की जा सके। अगर हम ऐसा कर सकें तो हम न केवल इस सदन का मान करेंगे बल्कि सारे देश का मान करेंगे। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदय अन्तिम रूप में इस सुझाव के ऊपर अपने विचार प्रकट कर दें।

श्री गो० ब० पन्त : मैं नहीं समझता कि राजा महेन्द्र प्रताप इसको अपना सम्मान समझेंगे कि हम कोई ऐसा व्यवहार उन के साथ करें जो कि उनके समान ऊंचे स्तर के आदमी के साथ हमें करना चाहिए उसके अनुकूल वह न हो।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के २२ अगस्त, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ की अवधि के लिये वार्षिक प्रतिवेदन, जो ११ मार्च, १९६० को लोक-सभा पटल पर रखा गया था, पर विचार करती है ।"

इस प्रस्ताव को पेश करते हुये मुझे स्वर्गीय श्री फीरोज गांधी की याद आ रही है जो इस परियोजना से निकटतया संबंधित रहे हैं । यदि वह जीवित रहते तो इसमें और भी महत्वपूर्ण कार्य करते । वह एक महान व्यक्ति थे और यदि वह ब्रिटेन में पैदा हुये होते तो आज मंत्रिमण्डल के सदस्य हुये होते । उन्होंने देश की अनेक प्रकार से सेवा की है । अतः इस प्रतिवेदन पर बोलते हुये मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजली अर्पित करना चाहता हूं ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

वैसे तो हमारे देश में अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई है परन्तु इस क्षेत्र का कार्य विशेष रूप से प्रशंसनीय है । अभी तक हमारे देश में अनेक विदेशी तेल समवाय फायदा उठाते रहे हैं । हमने राजनैतिक साम्राज्यवाद को तो खत्म कर दिया है परन्तु इस प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को खत्म नहीं कर सके हैं । वर्तमान युग में तेल का महत्व बहुत बढ़ गया है विशेषकर युद्ध के सम्बन्ध में । इस दृष्टि से हमारी सरकार का इन तेल कारखानों को सरकारी क्षेत्र में खोलने का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है । मेरा विचार है कि इस निर्णय से हमें भविष्य में अनेक प्रकार के लाभ होंगे । मैं आशा करता हूं कि हम विदेशी समवायों को शीघ्र खत्म कर देंगे और तेल शोधन का कार्य पूर्णतः सरकारी उद्योग-क्षेत्र में आ जाएगा । इस कार्य के लिये हमारे तेल मंत्री बधाई के पात्र हैं ।

जहां तक इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध है वह अपनी तरह का पहला ही प्रतिवेदन है । अतः वह अधिक विस्तृत नहीं है । फिर भी उसमें काफी सामग्री दी हुई है । सबसे पहले मैं संचालक बोर्ड को लेता हूं । मेरा विचार है कि उसमें तीन प्रकार के व्यक्ति रखे जाने चाहिये । सर्वप्रथम कुछ सार्वजनिक नेता होने चाहिये । फिर कुछ व्यापार के अनुभवी लोग होने चाहिये । इनके अतिरिक्त कुछ प्रविधिज्ञ भी संचालक बोर्ड में होने चाहिये क्योंकि तेल शोधन का कार्य अत्याधिक प्रविधिक विषय है । मेरे विचार से प्राविधिज्ञों को पृष्ठभूमि में रखना ठीक नहीं है ।

यह बड़ी खुशी की बात है कि आसाम तथा बिहार में दो कारखाने खोले जा रहे हैं । आसाम का कारखाना तो अगले वर्ष के अन्त तक चालू हो जायेगा और बिहार का १९६३ के अन्त तक । मेरा विचार है कि एक कारखाना गुजरात में भी खोला जाना चाहिये । दक्षिण के लोग भी एक कारखाना अपने यहां चाहते हैं । यदि संभव हो तो वहां भी एक कारखाना खोला जाना चाहिये । वास्तव में हमें इस तेल शोधन कार्य को यथासंभव बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

हमने रूमानिया तथा रूस के साथ जो करार किए हैं वे बहुत अच्छे हैं । वे केवल २½ प्रतिशत व्याज लेंगे जब कि अन्य देश इससे कहीं अधिक ब्याज लेते हैं । रूमानिया तो इस सम्बन्ध में हमारे इंजीनियरों को प्रशिक्षण भी दे रहा है । ५० व्यक्ति वहां भेजे जा चुके हैं जिनमें से अधिकांश लौट भी आए हैं तथा उन्होंने कार्य प्रारम्भ कर दिया है । परन्तु रूस के साथ जो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

करार हुआ है उसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसमें केवल इतना ही कहा गया है कि रूस हमारे विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देगा। पता नहीं इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाए गए हैं या नहीं ? हमें प्रविधिज्ञों के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न करना चाहिये। हमारे लोगों को यह कार्य सीख लेना चाहिये ताकि हमें दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।

मैं देखता हूं कि यात्रा व्यय तथा संस्थापन पर बहुत अधिक धन खर्च किया गया है। उन दोनों पर अठासी अठासी लाख रुपये खर्च हुये हैं। मैं समझता हूं कि यह व्यय बहुत अधिक है तथा इसमें कमी की जानी चाहिए।

फिर मैं आसाम और बिहार के तेलकारखानों के सम्बन्ध में चल रहे विवाद का निर्देश करना चाहता हूं। दोनों राज्यों के नागरिक यह चाहते हैं कि इन कारखानों के समस्त कर्मचारी उन्हीं राज्यों के राष्ट्रजन हों। मैं नहीं जानता कि यह बात कहां तक सही है। परन्तु पत्रों में इस प्रकार की बातें प्रकाशित हुई हैं और उनका कोई प्रतिवाद नहीं किया गया है। इस प्रकार की प्रान्तीयता की भावना ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं कि इन कारखानों में समस्त देश के व्यक्ति रखे जायें जिससे हमारी एकता को बल मिले।

जब इन कारखानों का पूरा उत्पादन शुरू हो जाएगा तो हमें ४० करोड़ रुपये के लगभग विदेशी मुद्रा की बचत होगी। मैं आशा करता हूं कि इन कारखानों से हमारे सड़क परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा और रेलों का कार्यभार भी हल्का हो जाएगा। परन्तु साथ ही मेरा यह भी विचार है कि तेल का पाइप लाइन द्वारा वहन रेल और सड़क दोनों की अपेक्षा सस्ता है। इसलिए समस्त देश में एक कोने से दूसरे तक पाइप लाइनें बिछाई जानी चाहिये।

इसके बाद मैं कुछ शब्द कर्मचारियों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि अन्य देशों के तेलकारखानों के कर्मचारियों को जो सुविधायें प्राप्त हैं वे हमारे यहां भी दी जायेंगी और हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हिन्दुस्तान स्टील ने अनेक श्रमिक कानूनों का उल्लंघन किया है। ऐसा नहीं होना चाहिये और श्रमिकों के साथ उदार व्यवहार किया जाना चाहिये।

अन्त में मैं "गार्जियन" से उद्धरण देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

उस के संवाददाता ने लिखा है कि हमारे देश के तेल व्यापार ने तीन युद्ध लड़े हैं और वह तीनों में विजित हुआ है। पहले यह कहा जाता था कि तेल का मूल्य कम नहीं किया जा सकता और हमें संसार के तेलप्रसिद्ध देशों से ही तेल लेते रहना चाहिये। परन्तु हम ने रूस का तेल खरीद कर तेल का भाव कम कर दिया है और अब तेल का संभरण भी करने लगे हैं। मैं आशा करता हूं कि हम इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण भी शीघ्र कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

†**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : इस अवसर पर मैं श्री फीरोज़ गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जो इस संस्था के संचालक बोर्ड के सभापति थे । वास्तव में वही इस संस्था के जन्मदाता भी थे ।

तेल बड़ी आवश्यक वस्तु है जो हमारे देश के भाग्य का निर्णायक बनने जा रही है । हमारे देश में जो चार तेलशोधन कारखाने हैं वे सभी विदेशियों के हाथ में हैं । वे एक प्रकार से तेल के समस्त व्यापार का नियंत्रण कर रहे हैं । वे अपना एकाधिकार रखना चाहते हैं । इसीलिये हम ने रूस से जो अशोधित तेल लिया था उस को उन्होंने साफ करने से इन्कार कर दिया । परन्तु इस के साथ ही इन विदेशी समवायों ने अपने तेल का मूल्य भी कुछ कम कर दिया । फिर भी सरकार इन समवायों को सही मार्ग पर लाने में अभी तक असफल रही है क्योंकि हमारे देश में तेल का भाव अन्य देशों की अपेक्षा अधिक ही रहता है । मैं चाहता हूं कि मध्यपूर्व के इतिहास की पुनरावृत्ति हमारे देश में न हो । इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमें विदेशी तेल समवायों को देश की आवश्यकताओं के अनुकूल ढालने का प्रयत्न करना होगा । आज की सभ्यता में तेल बहुत महत्वपूर्ण चीज हो गई है अतः हम उसे विदेशियों के हाथों में नहीं छोड़े रह सकते हैं ।

हमने अपने औद्योगिक विकास के लिये पंचवर्षीय योजनायें बनाई हैं । तेल के सम्बन्ध में योजना आयोग ने यह आकलन किया है कि १९६६ तक भारत की आवश्यकता १४० लाख टन हो जायगी । परन्तु माननीय मंत्री ने अपने भाषण में उसे १२० लाख टन ही बताया है । इसमें से ६० से ७० लाख टन तेल नहरकटिया क्षेत्र से मिल जायेगा व २० से २५ लाख टन अन्य क्षेत्रों से । शेष मात्रा का हमें विदेशों से आयात करना होगा । मेरा निवेदन है कि हमें आत्मनिर्भर बनने का हर संभव प्रयत्न करना चाहिये । इस सम्बन्ध में यह भी आवश्यक है कि हम बाहर से अशोधित तेल ही मंगायें क्योंकि ऐसा करने से काफी विदेशी मुद्रा की बचत हो सकेगी । इसके लिये हमें अपने तेल-शोधन कारखानों की कार्यक्षमता बढ़ानी होगी । सरकार ने जो दो कारखानों की योजना बनाई है वह पर्याप्त नहीं है । मेरे विचार से दो कारखाने और खोलने चाहियें—एक गुजरात में और एक किसी समुद्र तट पर । गुजरात के कारखाने में खम्बात क्षेत्र के तेल को साफ किया जा सकेगा और तटीय कारखाने में आयात किये गये अशोधित तेल को । तटीय कारखाने के लिये कोचीन उपयुक्त रहेगा । मुझे ज्ञात हुआ है कि खम्बात के तेल को बम्बई के कारखाने में साफ कराने का विचार किया जा रहा है । वह ठीक नहीं होगा क्योंक उसके विदेशी समवाय के हाथ में चले जाने का डर रहेगा । बर्मा शैल ने सरकार से अपने विस्तार कार्यक्रम की बात चलाई भी है । यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है क्योंकि इससे तेल पर विदेशी समवायों के नियंत्रण में वृद्धि होती है । भारत का भाग्य सरकारी उद्योग क्षेत्र की सफलता पर ही निर्भर है और मैं यह बता देना चाहता हूं कि गैर-सरकारी उद्योग क्षेत्र के हितैषी समस्त संसार में फैले हुए हैं जो हमारे प्रयत्नों को निष्फल बनाने का प्रयत्न करेंगे । अतः हमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिये ।

जहां तक गौहाटी के कारखाने का सम्बन्ध है, वह दिसम्बर, १९६१ में चालू होगा जिस की क्षमता ७.५ लाख टन होगी । इस के अतिरिक्त एक कारखाना बरौनी में खोला जायगा । ये दोनों कारखाने नहरकटिया क्षेत्र के तेल को साफ करेंगे । मेरे विचार से दो कारखानों के बजाय एक कारखाना ठीक होगा क्योंकि दो कारखानों में पूंजी व्यय अधिक होगा । इसके अतिरिक्त मुझे ज्ञात हुआ है कि गौहाटी के कारखाने के सम्बन्ध में जो मूल प्राक्कलन तैयार किया गया था वह

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

स्थान का विचार करके नहीं किया गया था । इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार इस कारखाने के व्यय का नया प्राक्कलन तैयार करे जो अन्य कारखानों के लिये आदर्श का काम दे ।

श्री दी० चं० शर्मा ने कर्मचारियों की नियोजन नीति का निर्देश किया । मेरा निवेदन है कि गौहाटी के कारखाने में प्रारंभ में जो नीति अपनाई गई थी वह ठीक नहीं थी और आसाम में हुए उपद्रवों का एक कारण यही है । आसाम के लोगों की मांग सर्वथा न्यायोचित है । बंगाल में राज्य के लोगों को रोज़गार देने के सम्बन्ध में कानून मौजूद है परन्तु आसाम में इस प्रकार का कोई कानून नहीं है । मैं आशा करता हूं कि आसाम के लोगों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (बलोदा बाजार) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों की इस मांग का समर्थन करता हूं कि तीसरी योजना अवधि में कम से कम दो तेलशोधन कारखाने और खोले जाने चाहियें । एक की कल्पना की भी जा चुकी है । उस के खम्बात में खोले जाने का विचार किया जा रहा है परन्तु मेरे विचार से उसकी कार्य क्षमता उस क्षेत्र में उपलब्ध तेल के लिये पर्याप्त नहीं होगी । मैं आशा करता हूं कि सरकार उसके विस्तार का विचार करेगी ।

मैंने सुना है कि माननीय मंत्री ने यह कहा है कि वह अशोधित तेल के बजाय तैयार उत्पाद आयात करना अधिक पसन्द करेंगे क्योंकि अपने देश में तेल को साफ करने से विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों का असंतुलन बढ़ जायगा । मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं । मेरा विचार है कि उपयुक्त प्रविधिक समायोजनों से उत्पादों की किस्म बदली जा सकती है । हम तेल के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं इसलिये यह आवश्यक है कि हम अपने तेलशोधन कारखानों का आयोजन इस प्रकार करें कि जो अशोधित तेल आयात किया जाय उसे अपनी आवश्यकतानुसार उपयुक्त पेट्रोलियम उत्पादों के रूप में बदला जा सके ।

तेलशोधन कारखानों की स्थापना के सम्बन्ध में समय भी एक विचारणीय तत्व है । नहरकटिया क्षेत्र के तेल का पता १९५३ में ही लग गया था परन्तु अभी तक उसे काम में नहीं लाया जा सका है और हम आयात द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में १७० करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं । मैं नहीं चाहता कि उस तेल के साफ करने के लिये कारखाना खोलने में अधिक विलम्ब हो ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : इस प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि नूनमाटी का कारखाना १९६१ के अन्त तक चालू हो जायगा । मेरा निवेदन है कि इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय के पिछले प्रतिवेदन में यह कहा गया था कि उसमें मार्च, १९६१ में ही उत्पादन शुरू हो जायगा । फिर यह विलम्ब क्यों हो रहा है ? इसका स्पष्टीकरण किया जाना आवश्यक है । मेरा तो विचार है कि १९६१ के अन्त तक भी उस में शुरू नहीं हो सकेगा क्योंकि सरकार बड़ी ढिलाई से काम कर रही है । केवल स्थान चुनने में छै महीने लगा दिये गये । प्रतिवेदन देखने से ज्ञात होता है कि अभी बहुत थोड़ा काम हुआ है ।

मेरा विचार है कि तेल के सम्बन्ध में गम्भीरता से काम नहीं हो रहा है । किसी परियोजना के सम्बन्ध में निर्णय करने के पूर्व हमें उसकी समस्त बातों पर भली प्रकार विचार कर लेना चाहिये । तेल के सम्बन्ध में चार मुख्य कार्य हैं---पता लगाना, अशोधित तेल का निकाला जाना, उसका शोधन और वितरण । इन चारों कार्यों में समन्वय होना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना आयोग ने तेल के लिये केवल १७५ करोड़ रुपये का आवंटन किया है और इतनी राशि से देश को आत्मनिर्भर बनाने की आशा की जा रही है । हम जानते हैं कि कोलम्बिया, अमरीका, सुमात्रा आदि देशों में लाखों डालर केवल तेल का पता लगाने में ही व्यय हुए हैं । ऐसी स्थिति में हमारी आशा का पूरा होना सर्वथा असंभव है ।

†श्री खाडिलकर (अहमदनगर) : तेल के सम्बन्ध में विचार करते हुए श्री फीरोज़ गांधी की याद आये बिना नहीं रहती है क्योंकि हम उन के अत्यन्त आभारी हैं । हम जो तेल का कार्य शुरू कर रहे हैं उस के सम्बन्ध में हमारा विचार है कि हम शीघ्र ही समृद्ध हो जायेंगे । मेरा निवेदन है कि हमें इस कार्य के खतरों को नहीं भूलना चाहिये ।

सब से पहली बात यह है कि हम दो कारखानों के लिये आयोजन तो कर रहे हैं परन्तु अशोधित तेल के मूल्य के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है । हम उत्पादन की लागत के आधार पर मूल्य रखेंगे या अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य को मानेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

फिर हम वितरण का कार्य भी प्रारम्भ करने जा रहे हैं । उस के सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है ? जहां तक टैंक वैगनों का सम्बन्ध है उन का नियंत्रण एक समिति करती है जिस में विदेशी तेल समवायों का प्राधान्य है । जहां तक मैं जानता हूं यह समिति उस में कठिनाइयां डालती है । अत: जब तक तेल के वहन की कठिनाइयां दूर नहीं की जायेंगी तब तक उस के व्यापार की बात करना व्यर्थ है। वहन के साथ संग्रह की व्यवस्था भी होनी चाहिये। मैं जानना चहता हू संग्रह तथा वितरण के लिये क्या व्यवस्था की गई है अथवा निकट भविष्य में करने का विचार किया जा रहा है ?

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा कि कारखानों का कार्य कब पूर्ण हो जायेगा? जहां तक रूमानिया के संयंत्र का सम्बन्ध है, उस के विरुद्ध मुझे कुछ नहीं कहना है । परन्तु रूस द्वारा संभरण किये जाने वाले डिजाइन के सम्बन्ध में एक कठिनाई है। रूसियों ने पश्चिमी डिजाइन का अनुकरण किया है अत: उस से अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट कानून भंग होगा । क्या इस बात में कोई सच्चाई है ?

जहां तक स्थान के चुनाव का प्रश्न है, गौहाटी के कारखाने के सम्बन्ध में तो निर्णय हो गया है परन्तु बिहार के सम्बन्ध में अभी तक विवाद जारी है । सभी राज्य अपने यहां तेलशोधन कारखाना चाहते हैं परन्तु वह संभव नहीं है । मेरे विचार से आसाम संबंधी निर्णय स्थानीय दबाव के कारण किया गया है । भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिये ।

फिर पाइप लाइनों का सवाल है । नूनमाटी और आसाम के कारखानों के पाइपों के लिये एक विदेशी संस्था से ठेका किया गया है । मेरा निवेदन है कि या तो कारखाना तैयार हो जायगा और पाइप लाइन नहीं बन पायगा अथवा पाइप लाइन बन जायगी परन्तु पेटेंट आदि के कारण कठिनाइयां उत्पन्न होंगी और कारखाने में बहुत समय लग जायगा । मैं ठीक नहीं कह सकता कि क्या होगा । इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक है ।

जहां तक कारखाने के उत्पादों का सम्बन्ध है, मुझे ज्ञात है कि फर्नेस ऑयल देश के बाहर अशोधित तेल से भी कम मूल्य पर बेचा जा रहा है । ऐसा क्यों हो रहा है ? ये ठेके बम्बई के दो कारखानों से किये गये थे । मुझे ज्ञात हुआ है कि अब उन्होंने पाकिस्तान के साथ भिन्न शर्तों पर ठेका कर लिया है । मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस के सम्बन्ध में भी स्पष्टीकरण करें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री खाडिलकर]

जहां तक मोटर स्प्रिट का सम्बन्ध है वह हमारे पास आवश्यकता से अधिक होगा। क्या माननीय मंत्री उसके सम्बन्ध में पाकिस्तान से कोई वस्तुविनिमय समझौता करने का विचार करेंगे। हम उनसे सुई गैस ले रहे हैं। क्या उसके बदले में मोटर स्प्रिट नहीं दे सकते हैं? अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि तेल के सम्बन्ध में जो भी आयोजन किया जाय वह समस्त बातों पर भली प्रकार विचार करके ही किया जाना चाहिये ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : यह प्रतिवेदन देखने में तो बड़ा आकर्षक लगता है किन्तु अधिक व्यापक नहीं है और न इसमें इन बातों पर सविस्तार प्रकाश डाला गया है कि तेल शोध के विकास एवं इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के कार्य में इतनी धीमी प्रगति क्यों है ?

इस क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि तेल शोध का कार्य करने वाले सभी एककों को मिला दिया जाये। यह तो ठीक है कि इन सभी एककों का लक्ष्य एक है किन्तु फिर भी काम की दृष्टि से उनका विलय आवश्यक है। ताकि काम का केन्द्रीयकरण हो और यहां संसद् में इस बारे में विवाद उठाये जाने पर हम देश में उपलब्ध तेल की सामान्य स्थिति के बारे में चर्चा कर सकें। अतः तेल मंत्रालय की विभिन्न शाखाओं, अर्थात् खोज, वितरण, संग्रह आदि के विभागों में और भी निकट का समन्वय होना आवश्यक है। इससे काम का केन्द्रीयकरण हो जायेगा और देश की तेल सम्बन्धी स्थिति अधिक स्पष्ट रूप में हमारे सामने आ सकेगी।

आज देश में तेल की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिये दक्षिण में एक तेल साफ करने के कारखाने की स्थापना करने के प्रश्न पर संग्रह और वितरण की और भी अच्छी व्यवस्था के हित में गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये ।

टेकनीशियनों को सुनीयित ढंग से प्रशिक्षण देना चाहिये। उन्हें अच्छे ढंग से काम करने का पूरा अवसर भी दिया जाना चाहिये। यदि यह कार्य हो गया तो यह निश्चय है कि हमारा काम इस क्षेत्र में बड़ी तेजी से आगे बढ़ता चलेगा।

अंत में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि उनके सामने जो सुझाव रखे गये हैं वे उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और इस क्षेत्र में कार्य प्रगतिशील करायें तभी हमारे देश की समृद्धि होगी ।

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, सर्व प्रथम मैं श्री फीरोज गांधी को जिन्होने बड़े परिश्रम, लगन और साहस के साथ इस काम को शुरू किया था, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि जो काम उन्होंने शुरू किया था उसे आगे अच्छी तरह से बढ़ाया जायेगा।

यहां पर बहुत सी बातें कही जा चुकी हैं। मुझे दुःख है कि इस मोशन के अन्तर्गत मेरा संशोधन स्वीकृत नहीं हो सका। नियमावली के अन्तर्गत मेरा संशोभन भले ही स्वीकृत न हो सका हो लेकिन सरकार के सामने यह एक मुख्य प्रश्न अवश्य है कि तेल के सम्बन्ध में वह क्या नीति अपनाने जा रही है। १९५६ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के होते हुये भी जो कुछ चल रहा है, ऐसा लगता है कि वह सन्तोषजनक नहीं है। यद्यपि बार बार तेल मंत्री महोदय घोषणा करते हैं कि १९५६ के औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव के अन्तर्गत तेल पब्लिक सैक्टर में आता है लेकिन फिर भी हम देखते

---

†मूल अंग्रेजी में

हैं कि प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहा है और इस वक्त भी जो प्राइवेट सैक्टर का आधिपत्य है हिन्दुस्तान के तेल पर वह भविष्य के लिये बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसके सम्बन्ध में मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं। कुछ भी करार हुआ हो, कोई भी एग्रीमेंट हुआ हो, सरकार को कोई न कोई ऐसा कदम उठाना चाहिये, कोई न कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे हम तेल पर अपना पूरा कब्जा पा सकें। मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि तेल ने दुनिया की राजनीति में क्या महत्वपूर्ण हिस्सा अदा किया है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में भी कहीं मुसद्दक की घटना न दोहराई जाये, या जो कुछ क्वैत के शेख के साथ हो रहा है, वैसा न हो। इस लिये ऐसी तेल नीति को हमें निर्धारित करना चाहिये जिससे कि निश्चित रूप से तेल पर से विदेशी आधिपत्य को खत्म करके हिन्दुस्तान के सारे तेल को हम पब्लिक सैक्टर में ले सकें। जब तक ऐसा नहीं किया जाता है, हिन्दुस्तान के लिये एक खतरा सा बना रहेगा। भले ही मेरा संशोधन स्वीकृत न हुआ हो लेकिन मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे कि हम कितने सालों के अन्दर हिन्दुस्तान के सारे तेल को, चाहे उसका वितरण हो या उसकी जांच पड़ताल हो या कुछ और हो, अपने कब्जे में लेने जा रहे हैं। जहां तक कीमतों का सवाल है, हम देखते हैं कि हिन्दुस्तान की सरकार ने अगस्त, १९६० में एक कमेटी मुकर्रर की है, उस कमेटी को यह तय करना है कि १-४-६१ के बाद भारत में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादकों के बिक्री मूल्यों को किन सिद्धांतों आदि पर निर्धारित किया जाये।

मैं जानना चाहूंगा कि इस कमेटी ने अब तक क्या कार्य किया है और यह कमेटी किस दिशा में कार्य कर रही है? चूंकि यह कमेटी मुकर्रर की हुई है इसलिये मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम अगले काफी सालों तक तेल की कीमतों के सम्बन्ध में, जो कि विदेशी कम्पनी दे रही हैं, कोई फैसला नहीं कर सकते हैं।

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : दामले कमेटी।

श्री ब्रजराज सिंह : उस कमेटी का नाम मुझे नहीं मालूम है। यह कमेटी अपना कार्य कर रही है तो यह किस दिशा में कर रही है, उस के क्या टर्म्स आफ रिफरेंस हैं, यह बतलाने की कृपा की जाये और आप यह निश्चय कीजिये कि १-४-६१ के बाद हम उनको मजबूर कर सकेंगे कि जो तेल कम्पनियां हिन्दुस्तान में हैं वे अपनी शर्तों के मुताबिक तेल नहीं देंगी, बल्कि हमारी शर्तों के मुताबिक देंगी और वे यह नहीं कह सकेंगी कि जो तेल और कहीं से आ रहा है, चाहे वह रूस से आ रहा हो या कहीं और से, उसको साफ नहीं करेंगी। यह हिन्दुस्तान है, जिस मुल्क की आबादी ४३ करोड़ हो चुकी है, जिस का और दूसरे मुल्कों में भी नाम है, उस के लिये एक अचम्भे की चीज है कि कोई विदेशी कम्पनी इस तरह से यहां करे और कहे कि जो तेल किसी दूसरे देश से चला आ रहा है, उस को साफ नहीं करेंगी। इस संदर्भ में एक क्रांतिकारी कदम क्यूबा की सरकार उठा सकती है तो मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिये जिस में विदेशी तेल कम्पनियां ऐसा आधिपत्य जमा लें जिस से हमारी स्वाधीनता कम होती हो। मैं समझता हूं कि कोई विदेशी कम्पनी अगर किसी एग्रीमेंट की वजह से, अगर कोई करार पहले हो चुका है, उस की वजह से यह कहना आरम्भ करे कि जो दूसरे मुल्कों से तेल आ रहा है और सस्ता आ रहा है वह उसे साफ नहीं करेगी, तो यह हमारे स्वाभिमान पर ही चोट नहीं है बल्कि हमारे लिये अपमान की बात है। मैं चाहता हूं कि जब यह कमेटी बनी हुई है तो इस कमेटी के अन्तर्गत हमारे मंत्री महोदय यह देखने की कोशिश करें कि जो तेल कम्पनियां यहां काम करती हैं उनकी कीमतों को इस तरह निर्धारित किया जाये कि उन का आधिपत्य तो यहां पर कमजोर हो ही हिन्दुस्तान के जो उपभोक्ता हैं उनको भी कुछ फायदा हो सके।

[श्री ब्रजराज सिंह]

मैं समझता हूं कि मुझे यहां उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है कि हिन्दुस्तान से इन विदेशी कम्पनियों ने कितना मुनाफा कमाया है। अगर उन के पिछले दो तीन सालों के आंकड़ों को लिया जाये तो पता चल जायेगा कि जो मुनाफा उन्होंने कमाया है उतना किसी भी अन्य कम्पनी ने नहीं कमाया है और जितना उनका खर्च है वह भी किसी और का नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के आदमी इतनी बड़ी बड़ी तन्ख्वाहें दे सकते हैं जिसका ठिकाना नहीं है, और एक तरह से इस प्रकार हमारे मुल्क में भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की जाती है। आज जिस तरह से कुवैत के शेख के यहां किया जाता है, उस तरह हम अपने मुल्क में नहीं कर सकते हैं। इस लिये मैं चाहूंगा कि यह निश्चय किया जाये कि इस कमेटी के जरिये हमें यह अधिकार हो सकता है या नहीं कि हम उन कम्पनियों के तेल की कम से कम कीमत कर सकें और यह देखें कि हम उनके मुनाफे को कितना कम कर सकते हैं।

हमें अपने तेल का विकास करना है जो कि नहीं हो रहा है जब तक यह रिफाइनरीज़ इस तरह से हमारे यहां काम करती हैं। मुझे अफसोस है कि यहां पर सिर्फ इस तरह का काम करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३० करोड़ रुपया रक्खा गया है, लेकिन तीन सालों के अन्दर ६ लाख रुपये से ज्यादा खर्च नहीं किये गये हैं। पता नहीं अगले दो सालों में २४ करोड़ रुपये कैसे खर्च होंगे। अगली पंचवर्षीय योजना में जो रुपया रखा गया है, उसे कैसे खर्च किया जा सकेगा। बताया जाता है कि जितना रु० रखा जा रहा है तृतीय पंचवर्षीय योजना में उस से कहीं ज्यादा की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि इस काम को गतिशील बनाया जाये, अधिक तेजी से काम किया जाय। अगर हम गति नहीं लायेंगे तो हम चाहे जो करें, उस से कोई काम बनने वाला नहीं है। काम तभी बनेगा जब हम अपने अन्दर अधिक गतिशीलता लायें। अपनी गति को बढ़ा कर अगर हम उस उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकते हैं तो जरूर करें जिसमें तेल कम्पनी वाले अपना आधिपत्य स्थापित करके हमारा शोषण न कर सकें और न ही वे हिन्दुस्तान की सरकार को अपमानित करने की कोई कोशिश कर सकें।

†श्री के० दे० मालवीय : अत्यंत खेद का विषय है कि इस अवसर पर जब कि सभा इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के प्रतिवेदन पर बिचार कर रही है, इसके अध्यक्ष हमारे बीच नहीं रहे। कितना अच्छा होता कि यदि पहिले प्रतिवेदन पर सभा में विचार के समय श्री फीरोज़ गांधी हमारे बीच होते इस प्रस्ताव के प्रस्तावक श्री दी० चं० शर्मा ने उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी कहा, मैं उसका पूर्ण अनुमोदन करता हूं।

अब मैं इस विधेयक से सम्बन्धित कुछ संगत बातों पर विचार करना चाहता हूं। इसी अवसर पर मैं श्री महन्ती के सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूंगा कि वे उन्होने जो बातें कहीं वे अंशतः असंगत थीं, उन्होंने निराधार बातों के आधार पर कुछ कड़वी बातें भी कहीं। उन्होंने कहा कि शोधनशाला के काम की प्रगति संतोषजनक रूप से नहीं हो रही है। तथा व्यय के आंकड़ों को देखते हुये यह असंभव प्रतीत होता है कि यह शोधनशाला- नूनमती शोधनशाला—दिसम्बर, १९६१ तक अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी। उन्होंने यह कहा है कि मैंने यह बचन दिया था कि यह शोधनशाला मार्च, १९६१ तक अपना कार्य प्रारम्भ कर देगी।

उस समय तक की गई व्यवस्था, प्राप्त अनुभव तथा उल्लिखित आनुसंगी कार्यक्रम के अनुसार हमें यह विश्वास था कि प्रगति कार्यक्रम के अनुसार होगी और शोधनशाला मार्च १९६१ से कार्य आरम्भ करेगी तदन्तर कुछ अपरिहार्य विलम्ब हुए। उन विलम्बों का कारण अधिकारियों या

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय की लापरवाही नहीं कहा जा सकता है । इस प्रकार का विलम्ब ऐसी विशाल योजनाओं में, जो कि पहिले पहल प्रारम्भ की जा रही हैं, होना स्वाभाविक है । हमें इस कार्य की टैक्नीकल जानकारी नहीं थी । हमारे पास परामर्शदाता नहीं थे । हमारे पास यहां मशीनें भी नहीं थीं । स्थान के चुनाव करने में भी कई कठिनाइयां सामने आईं । कई समस्याएं लोगों की विचित्र मान्यताओं, प्रांतीयता इत्यादि के कारण पैदा हुई । अतः कभी कभी हमें अनिवार्य रूप से अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करना होता है ।

अब मैं सभा को नूनमती शोधनशाला के संबंध में हुई आज तक की प्रगति को बतलाता हूं । मिट्टी तेल को साफ करने से संबंधित यंत्र के संबंध में असैनिक इंजीनियरी कार्य का ८२ प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है । क्रूड डिस्टलेशन यूनिट और गैस-तैल न्यूट्रिलाइजेशन यूनिट की नींव डालने तथा स्थापना से संबंधित ७८ प्रतिशत असैनिक इंजीनियरिंग कार्य समाप्त हो चुका है । इस में नींव, खंभों के ऊपरी ढांचे, हीटर, कूलर व कन्डेन्सर इत्यादि शामिल हैं । शोधनशाला में होने वाला कंकरीट का कार्य ३८००० घन फीट है इसमें ११३०० घनमीटर कार्य हो चुका है । यह कुल कंकरीट कार्य का २९ प्रतिशत है । कोक उत्पादन तथा कोक यांत्रिक परिवहन प्रणाली से संबंधित ४७ प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है इसमें खंभे तथा कंडेन्सर इत्यादि भी शामिल हैं । बिजली घर बनाने के स्थान में तैयारियां हो चुकी हैं । प्रैशर स्टेशन से संबंधित, जिसमें लाइन बिछाने से संबंधित कार्य भी शामिल है ८६ प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है । अन्य स्थानों में भी यथा मैन लौडिंग रैक, बिजली संयंत्र, स्टीम लाइन्स, प्रोसैस वाटर पम्प हाउस में असैनिक इंजीनियरिंग का कार्य चल रहा है। शोधनशाला के बाहर होने वाले इंजीनियरिंग कार्यों में से ब्रह्मपुत्र को जाने वाली सड़क का ५५ प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है, पानी सभरण योजना का पहिला प्रक्रम जिसमें पानी को ट्रीट करने का संयंत्र भी शामिल है, उसका ६५ प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है, अस्थायी बस्ती के मल निष्कासन संयंत्र का ६५ प्रतिशत कार्य समाप्त हो गया है । अस्थायी बस्ती के निर्माण का ६० प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है । जहां तक यांत्रिक इंजीनियरिंग के कार्यों का संबंध है, संयंत्र में इस्पात के फैब्रीकेशन का २८ प्रतिशत कार्य समाप्त हो चुका है, ऊपरी ढांचे में एसैम्ली के पूर्व होने वाले निर्माण कार्य का २३ प्रतिशत, संयंत्र में एसम्ब्ली के पूर्व होने वाला ८ प्रतिशत कार्य समाप्त हो गया है । प्रस्तावित ६ ट्रान्सफोर्मर उप-बिजली घरों के संबंध में होने वाले विद्युत कार्य के संबंध में पांच उप-बिजली घर पूरी तरह तैयार हो चुके हैं । उन्हें राज्य बिजली बोर्ड के ११ किलोवोल्ट फीडर लाइन से संबद्ध किया जा चुका है । ये ट्रांसफोर्मर अब ढांचों का निर्माण करने वाले बिजली घरों, निर्माण स्थानों में बिजली पहुंचा रहे हैं । तीन अन्य ट्रान्सफोर्मर-स्टेशनों के लिये इमारतें तथा अन्य ढांचे तैयार हो चुके हैं ।

शोधनशाला के निर्माण और बनाने के संबंध में सलाह देने तथा कार्यों का अधीक्षण करने के लिये अभी तक ३४ रूमानियन विशेषज्ञ आ चुके हैं । रूमानियन विशेषज्ञों के चले जाने पर शोधनशाला के संचालन के दायित्व को अपने हाथों में लेने के लिये ४८ प्रशिक्षार्थियों को जून १९५९ में रूमानिया भेजा गया, उनमें से बहुत से लोग लौट चुके हैं और इस समय निर्माण स्थान पर मौजद हैं । यह चित्र इतना निराशाजनक नहीं है । वस्तुतः मैं श्री महन्ती जी से कोई शर्त नहीं बद सकता हूं । मैं उनको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने अपने कार्यक्रम में मार्च के स्थान पर दिसम्बर १९६१ रखा है वह पूरे दायित्व के साथ किया है । हमने कार्य के समायोजन संबधी सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है । पाइपलाइनें समयें पर पहुंच जायेंगी और उनसे हमें अशुद्ध तेल मिलने लगेगा । स्टोर करने वाले टंकियां भी बन जायेंगी और शोधनशाला में निर्मित

[श्री के० दे० मालवीय]

होने वाले पैट्रोलियम उत्पादों के वितरण करने से संबंधित कार्य भी तब तक पूरा हो जायेगा । मुझे विश्वास है कि हम इस कार्यक्रम पर अमल कर सकेंगे और ननमती शोधनशाला से पैट्रोलियम उत्पादों के निर्माण का कार्य यथासमय प्रारम्भ हो जायेगा ।

बरौनी के संबंध में भारत सरकार और रूस की सरकार के बीच समझौता हो चुका है । टैक्नीकल अधिकारियों तथा विशेषज्ञों का इस देश में आकर हमारे अनुरोध पर हमारे विशेषज्ञों को प्रशिक्षण देने के संबंध में समझौता हो चुका है । कुछ भारतीयों को प्रशिक्षण देने के संबंध में भी समझौता हो चुका है और जो टैक्नीकल कर्मचारी रूस जायेंगे उनका भी चुनाव हो चुका है । बरौनी शोधनशाला का स्थान भी चुन लिया गया है ।

स्थान के चुनाव के संबंध में सरकार की कुछ आलोचना हुई है और कुछ संदेह भी प्रगट किये गये हैं । इस संबंध में कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण समाचार प्रैस में प्रकाशित हुए थे । सच्चाई यह थी कि कुछ विशेषज्ञों में उस क्षेत्र में नींव डालने संबंधी कुछ पहलुओं की रोक थाम के लिये मतभेद हो गया । काफी विचार करने के बाद कुछ कार्यवाही करने का निश्चय किया गया । निसंदेह कुछ सलाहों को स्वीकार करना और कुछ सलाहों को अस्वीकार कर देना स्वाभाविक है । जिन सलाहों को अस्वीकार किया गया वे ज्ञात हो गईं और फलस्वरूप यह विवाद उठ खड़ा हुआ । तथापि अब बरौनी शोधनशाला के लिये स्थान का उचित चुनाव कर लिया गया है आवश्यक कार्यवाही भी कर ली गई है और बुनियाद के संबंध में भी सभी सहमत हो गये हैं । हमें आशा है कि अगले मास तक रूस से परियोजना का विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा । उसके प्राप्त होने पर हम अपना निर्माण कार्य प्रारम्भ कर देंगे । हम कार्यक्रम पर ब्योरे वार विचार कर चुके हैं । हम आशा करते हैं कि आंशिक रूप से यह कार्य १६६२ तक पूरा हो जायेगा, १६६३ तक यह कार्य पूरा समाप्त हो जायेगा । इस स्थिति में हम उन कार्यों का उल्लेख नहीं कर सकते जो १६६२ में प्रारम्भ किये जायेंगे तथापि बरौनी शोधनशाला में कार्य की प्रगति को देखते हुए हम यह आशा कर सकते हैं कि १६६३ तक बरौनी शोधनशाला अपने पूर्ण क्षमता से उत्पादन करने में समर्थ होगी ।

गौहाटी शोधनशाला के प्राक्कलित अनुमानों के संबंध में भी कुछ कहा गया था । इसमें संदेह नहीं कि संतुलित पत्र तैयार करने के पूर्व जो मूल प्राक्कलित अनुमान लगाया गया था वह अपेक्षकृत अधिक था । संतुलन-पत्र बनाते समय इंडियन रिफाइनरीज़ ने जो लागत-अनुमान लगाया था वह २० करोड़ था । रूमानियन विशेषज्ञों के साथ चर्चा होने के उपरांत निदेशक बोर्ड की एक उपसमिति ने उस पर विचार किया । अब कुल लागत १८.०३ करोड़ निश्चित की गई । अभी इस बात की जांच की जा रही है कि इससे अधिक और कितनी कमी की जा सकती है । यह लागत विशाखापटनम् में कल्टेक्स की शोधनशाला के लागत अनुमानों की तुलना में अधिक अच्छी है । समुद्र से दूरी तथा आसाम में परिवहन के अधिक व्यय को देखते हुए जांच के उपरांत यह ज्ञात हुआ कि दोनों लागत अनुभानों में अधिक अंतर नहीं है मैं सभा को यह आश्वासन देता हूं कि दोनों शोधन-शालाओं को जो रुपया दिया गया है उसका उचित समय में उपयोग कर लिया जायेगा और उनमें कार्यक्रम के अनुसार कार्य किया जायेगा ।

अब मैं उन पहलुओं को लेना चाहता हूं जो यद्यपि प्रतिवेदन के सामान्य विचार क्षेत्र के अधीन नहीं आते हैं तथापि उन्हें इंडियन रिफाइनरीज के पहिले प्रतिवेदन के विचार के दौरान उठाया गया है ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि सरकार द्वारा तेल क्षेत्र में लिये गये विभिन्न कार्यक्रमों के बीच अधिक एकीकरण होना चाहिये। उदाहरणार्थ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा की जाने वाली खोज, इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा संचालित की जाने वाली शोधनशालायें, आइल इंडिया लिमिटेड द्वारा आसाम आइल कम्पनी के सहयोग से किये जाने वाला अशोधित तेल का उत्पादन तथा नव-निर्मित इंडियन आइल कम्पनी, जो तेल उत्पादों के वितरण के लिये जिम्मेदार है के संबंध में सरकार को चाहिये कि विभिन्न कार्यक्रमों के पृथक पृथक हितों को ध्यान में रखते हुए ऐसे समायोजन पर उचित विचार करे। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हम इन कार्यों पर समायोजन कर किस प्रकार कार्य को अधिक कुशलता और मितव्ययता से चला सकते हैं। इस कार्य का समायोजन या तो उच्च स्तर पर किया जा सकता है या बिचले स्तर पर। इसके पूर्ण एकीकरण पर कई कठिनाइयां हैं। तथापि समायोजन अथवा एकीकरण की कमी के कारण हमारे वर्तमान कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आ रही है।

यह कहा गया कि भारत सरकार द्वारा इंडियन आइल कम्पनी में जो वितरण व्यवस्था कायम की गई है उसमें अभी तक कोई कुशलता नहीं आ पाई है। यह कहा गया है कि हम नूनमती में उत्पादित तेल का किस प्रकार वितरण करेंगे। हम इस प्रश्न पर बहुत सक्रियता से विचार कर रहे हैं और सरकारी क्षेत्र में, तेल के उत्पादन के पूर्व ही, वितरण के निमित्त बहुत पहिले ही, इंडियन आइल कम्पनी की स्थापना इसी कारण की गई थी कि हम प्रश्न के सभी पहलुओं पर भली प्रकार विचार कर सकें और जान सकें कि हम किस प्रकार वर्तमान गैर सरकारी तेल वितरक समवायों से समन्वय स्थापित कर सकते हैं। हमें वितरण के लिये कहां तक अपनी सुविधाओं का विकास करना होगा और यह भी कि हम किस प्रकार देश भर में बिछाये जानी वाली पाइपलाइनों तक रेल इत्यादि द्वारा तेल को पहुंचाने में समन्वय स्थापित करेंगे। सरकार इन सभी प्रश्नों पर विचार कर रही हैं और हम आशा करते हैं कि नूनमती शोधनशाला के उत्पादों के उपलब्ध होने तक इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था हो जायेगी कि उनमें निर्मित उत्पाद व्यर्थ नहीं पड़े रह सकते हैं, उनका वितरण विशेषतः सरकारी क्षेत्र के उस समवाय द्वारा किया जायेगा जिसे इंडियन आइल कम्पनी कहा जाता हैं ।

मैं इस संबंध में उस विवाद का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं जो कि रूस से कुछ पैट्रोलियम उत्पादों के आने पर उठ खड़ा हुआ। मैं कुछ समय पहले ही बता चुका हूं कि यह उनकी चाल का एक अंग है और हम उसके लिये तैयार रहना चाहिये। यदि सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के बीच प्रतिद्वंदिता होगी तो हमें उसके लिये तत्पर रहना चाहिये। यद्यपि सरकारी क्षेत्र की इंडियन कम्पनी अभी कुछ महीना पुरानी है, हम यथासंभव इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तथा जो कुछ महीनों का समय हमारे समक्ष उपलब्ध है उसमें हम उस स्थिति तक आने का प्रयत्न करेंगे जिससे कि इंडियन आइल कम्पनी अपने कार्य को संतोषजनक रूप से करने में समर्थ हो सके। यदि हमसे गलतियां होंगी तो हम उन्हें स्वीकार करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में नये नये आने के कारण संभव है कुछ गलतियां हों। तथापि उन तेल उत्पादों के वितरण कार्य में कुछ अनुभव प्राप्त करलेने के उपरांत, जिन्हें हम विदेशों से आयात करेंगे या अपनी शोधनशालाओं में निर्मित करेंगे, हम वितरण का कार्य अधिक सस्ता और कुशलता पूर्वक करने में समर्थ होंगे। हमारे वितरण का व्यय कुछ अन्य विरतक समवायों के वितरण व्यय की तुलना में निश्चित रूप में कम रहेगा।

सरकारी क्षेत्र की इंडियन आइल कम्पनी की जड़ें जम चुकी हैं, संभवतः यह गैर सरकारी क्षेत्र में संचालित समवायों के साथ सहयोग से काम करे। यदि ऐसा संभव नहीं होगा

[श्री के० दे० मालवीय]

तो यह स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। वस्तुतः सरकार इन समवायों के साथ सहयोग की आकांक्षा करती है, क्योंकि हम इन समवायों को जो देश में बहुत समय से काम कर रहे हैं उखाड़ना नहीं चाहते हैं। सरकार का अभिप्राय यह है कि इन समवायों से देश के उपभोक्ताओं के हित में अधिक से अधिक अच्छा समझौता किया जा सके।

वर्तमान शोधनशालाओं के विस्तार के संबंध में भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है। मैं इस स्थिति में सरकार की नीति के संबंध में कोई प्रतिज्ञा नहीं करना चाहता हूं, तथापि सरकार का १९५६ का औद्योगिक नीति संकल्प हमारे समक्ष है। हम उससे पथ प्रदर्शन ग्रहण कर सकते हैं। कुछ व्यावहारिक बातों को छोड़ कर, जिनका हमें ध्यान रखना है, सम्पूर्ण बातचीत और निर्णय इसी संकल्प के परिपृष्ठ पर किये जायेंगे। देश में शोधनशालाओं की क्षमता का विकास, देश में तेल की आवश्यकता को देख कर किया जायेगा। यह केवल क्रमवार हिसाब लगाने का प्रश्न है कि हमारे खपत में किस प्रकार वृद्धि होगी।

मेरे अनुमान के अनुसार तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में पैट्रोलियम उत्पादों की खपत १३० लाख टन तक पहुंच जायेगी। इस संबंध में योजना आयोग का अनुमान १०० लाख टन है। केवल यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि शोधनशालाओं की क्षमता देश की खपत से बहुत अधिक न बढ़ने पाये। वर्तमान शोधनशालाओं के विस्तार पर विचार करने के पूर्व हमें वर्तमान शोधनशालाओं की क्षमता तथा उनकी विस्तार की क्षमता तथा गुजरात में सरकारी क्षेत्र में प्रारम्भ होने वाली शोधनशाला की क्षमता पर भी विचार करना होगा। सरकार इन सभी प्रश्नों पर विचार कर रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इंडियन रिफाइनरीज के पहिले प्रतिवेदन में जो कुछ उल्लिखित है उससे अधिक कार्य हो चुका है। हम उससे अधिक कार्य कर चुके हैं। और यह कार्य भी नितांत संतोषजनक हुआ है। देश में अशोधित तेल के निर्माण से संबंधित प्रश्नों पर यथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धि, शोधनशालाओं की संख्या बढ़ाना, पाइपलाइन अथवा रेल गाड़ी द्वारा तेल का परिवहन और नवनिर्मित इंडियन आइल कम्पनी के कार्य में सुधार तथा समैकन इत्यादि सभी प्रश्नों के संबंध में विचार किया जा रहा है।

श्री ब्रजराज सिंह दामले समिति के कार्य की प्रगति के संबंध में जानना चाहते हैं। इस समिति को विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों के लागत-व्यय में संशोधन का काम सौंपा गया था। हमारे पहिले संकल्प के अनुसार सरकार को वर्तमान तेल समवायों से परामर्श करने के पश्चात् इस संबंध में अपना निर्णय अप्रैल, १९६१ तक कर लेना था। दामले समिति ने एक प्रश्नवलि जारी की, तथापि, उस प्रश्नावलि के संबंध मे अभी तक तेल समवायों से उत्तर प्राप्त नहीं हो सके हैं। उन्होंने उनका विस्तृत उत्तर देने के लिये अधिक समय की मांग की है। हम उन को अधिक समय देने में सहमत हो गये हैं। अतः संभव है कि इस प्रतिवेदन के प्रकाशन में कुछ महीनों का विलम्ब हो जाये। यदि हम दामले समिति के कार्य में शीघ्रता कर सकें तो शीघ्र ही कुछ निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** समवायों को तत्संबंधी आंकड़े देने में क्या कठिनाइयां हैं?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हम यह नहीं सोचना चाहिये कि विलम्ब इस कारण हो रहा है कि समवाय झूठ मूठ कुछ आंकड़े गढ़ने का प्रयत्न कर रह हैं। वस्तुतः कई मदों के संबंध में जानकारी

---

†मूल अंग्रेजी में

मांगी गई है। उन्होंने हमें कुछ ऐसे कारण बताये हैं कि हमें उनकी बात स्वीकार करनी पड़ी है। अतः हमने उन्हें कुछ और महीनों का समय दिया है और हम आशा करते हैं कि कुछ महीनों पश्चात् यह प्रतिवेदन तैयार हो जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** इस चर्चा का क्षेत्र बहुत व्यापक रहा और तेल उद्योग से संबंधित सभी बातों यथा तेल की खोज, तेल का शोधन तथा तेल का वितरण इत्यादि सभी समस्याओं की ओर माननीय सदस्यों ने संकेत किया। मुझे पूरा विश्वास है कि हम भविष्य में अपनी आशाओं के अनुरूप कार्य कर सकेंगे। माननीय मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि तेल उद्योग में अब सरकारी क्षेत्र की जड़ें जम गई हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में कमी करने का पूरा प्रयत्न करेंगे जिससे कि इन की कीमतें भी अन्य देशों की कीमतों के बराबर हो जायं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इन समवायों ने अभी हाल पाकिस्तान के साथ जो समझौता किया है उससे पाकिस्तान की स्थिति अपेक्षाकृत बहुत अच्छी हो गई है।

†**श्री के० दे० मालवीय:** अभी हाल कुछ तेल समवायों और पाकिस्तान के बीच वहां तेल शोधनशाला की स्थापना के लिये बातचीत हुई थी। यह कहा गया है कि उन्हें शुल्क संबंधी छूट नहीं दी जायेगी। दस वर्ष पूर्व भारत सरकार ने भी शुल्क संबंधी कुछ शर्तों पर समझौता किया था, वे शर्तें बिलकुल दूसरे प्रकार की थीं। अब उन्होंने शुल्क संबंधी समस्त छूट लेने से इन्कार कर दिया है।

†**श्री महन्ती:** कैल्टेक्स ने शुल्क संबंधी छूट वापस देने से इन्कार कर दिया है।

†**श्री के० दे० मालवीय:** उन का कहना यह है कि उन्होंने अपना काम इस देश में विलम्ब से प्रारम्भ किया।

†**श्री दी० चं० शर्मा:** मुझे पूरी आशा है कि हमारे देश में तेल की खोज, तेल के वितरण तथा तेल के शोधन का भविष्य काफी उज्जवल है। हमें प्रसन्नता है कि इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि तेल संबंधी कार्यक्रम पर सर्वांगीण रूप से अमल का प्रयत्न किया जायेगा।

†**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है:

"कि यह सभा इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के २२ अगस्त, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ की अवधि के लिये वार्षिक प्रतिवेदन पर, जो ११ मार्च, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इस के पश्चात् लोक सभा मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०/१ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सोमवार, २१ नवम्बर, १९६० / ३० कार्तिक, १८८२ (शक)]

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर .		६३५—५६
तारांकित प्रश्न संख्या		
२६०	हैलीकोप्टरों का निर्माण	६३५—३७
१६१	श्रम विधियां .	६३७—३९
२६२	चीनियों द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण .	६३९—४३
२६३	सट्टेबाजी की प्रवृत्तियों पर रोक .	६४३—४४
२६४	भारत में चीनी राष्ट्रजन	६४४—४७
२६५	सेवा के छोटे नाम का प्रयोग	६४७—४८
२६६	चिट फंडों पर नियंत्रण	६४९
२६७	हिन्दी विश्वकोष	६४९—५२
२६८	विदेशों के बैंक में खाते	६५२—५३
२६९	रोम ओलिम्पिक खेलों में भारतीय टीम	६५३—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर . .		६५६—७२७
तारांकित प्रश्न संख्या		
२७०	गुजरात में तेल शोधक कारखाना	६५६—५७
२७१	कमाण्डर नानावती को वित्तीय सहायता	६५७
२७२	उत्पादन शुल्क की हानि	६५७
२७३	इस्पात के कारखाने	६५८—५९
२७४	तेल छिद्रण यंत्र	६५९
२७५	छात्रेतर युवक क्लब	६६०
२७६	पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई	६६०
२७७	कोयले की कमी	६६०—६१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

तारांकित
प्रश्न संख्या

२७८ पन्ना खान में दुर्लभ हीरा ६६१
२७९ मोगा के पास विमान दुर्घटना ६६२
२८० कच्चे लोहे और इस्पात के उत्पादन की लागत ६६२–६३
२८१ सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के अनुमान ६६३
२८२ तेल शोधन . . ६६३
२८३ इस्पात कारखानों को कोयले की सप्लाई ६६३–६४
२८४ अंगहीन सैनिक . ६६४–६५
२८५ भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ६६५
२८६ विदेश जाने वाले छात्रों को छांटना ६६६
२८७ धुम्र रहित कोयला . . . ६६६
२८८ दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अनुमान . ६६६
२८९ अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिये मंत्रणा समिति ६६७
२९० केरल का भूतत्वीय सर्वेक्षण ६६७
२९१ एक टन वाले ट्रक . ६६७–६८
२९२ केरल को कोयला दिया जाना ६६८
२९३ भिलाई इस्पात संयंत्र ६६८
२९४ भूमि बन्धक बैंकों का विकास ६६९
२९५ चोला तथा अन्य मंदिर ६६९
२९६ इंडो-कर्मशियल बैंक का विलय . ६६९–७०
२९७ अशोधित तेल का यातायात ६७०
२९८ नेपाल के साथ व्यापार करार ६७१
२९९ सड़क बनाने के लिये सामान ६७१–७२
३०० पलाई बैंक के खातेदारों को भुगतान ६७२
३०१ तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये ब्रिटेन से ऋण ६७२
३०२ अखिल भारतीय विनियोजन केन्द्र ६७३
३०३ सेकेन्डरी स्कूलों में साइंस क्लब ६७३–७४
३०४ दिल्ली में नमूने की जनगणना ६७४
३०५ राष्ट्रीय इंजीनियरी संगठन ६७४–७५
३०६ हैलीकोप्टरों की खरीद ६७५

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
३०७	कैम्बे में तेल सर्वेक्षण . . .	६७६
३०८	सर्वे आफ इंडिया आफिस, देहरादून में आग .	६७६
३०९	रेणुका राय समिति का प्रतिवेदन .	६७७
३१०	लुब्रीकेटिंग आयल तैयार करने का कारखाना	६७७
३११	यूनेस्को पूर्व-पश्चिम परियोजना . .	६७७–७८
३१२	मैसूर में लौह अयस्क के निक्षेप . .	६७८
३१४	भारतीय वायु सेना के विमान के साथ दुर्घटना	६७८
३१५	पुरातत्व विभाग के सर्कल सुपरिन्टेंडेन्ट .	६७९
३१६	बरौनी का तेल शोधक कारखाना	६७९
३१७	लक्ष्मी बैंक के खातेदारों को भुगतान	६७९–८०
३१८	बैंक खाता बीमा योजना	६८०
३१९	पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण . . .	६८०–८१
३२०	उत्तर भारत के विश्वविद्यालयों में दक्षिण भारत की भाषायें	६८१
३२१	छोटी कोयला खानों का मिलाया जाना	६८१
३२२	तेल की खोज के लिये विदेशी सहायता	६८२
३२३	इस्पात का आयात . .	६८२
३२४	इंगलिस्तान में सोने के दामों में वृद्धि का प्रभाव	६८२–८३
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४०२	उड़ीसा में नगरपालिका के मेहतर	६८३
४०३	पेन्शन के मामलों का निपटारा . .	६८३
४०४	लद्दाख सीमा . . .	६८३
४०५	दुर्गापुर इस्पात कारखाने में दुर्घटनायें	६८४
४०६	होशियारपुर में संरक्षित स्मारक	६८४
४०७	पंजाब को केन्द्रीय सहायता	६८४
४०८	मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा . .	६८५
४०९	भारत और चीन के बीच छात्रों का विनिमय	६८५
४१०	तैयार इस्पात	६८५–८६
४११	फेरो-मेंगनीज . .	६८७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४१२ त्रिपुरा में हाई स्कूल . ६८७–८८
४१३ तुलसीबारी बालिका होस्टल, अगरतला . ६८८
४१४ मोहनभोग के आदिम जाति लोगों का बसाया जाना ६८८
४१५ दिल्ली पोलिटैक्निक में इंजीनियरी के विद्यार्थी ६८८–८९
४१६ अलीपुर में भूमि . ६८९
४१७ विश्वविद्यालयों में तैरने के तालाब ६८९
४१८ स्पिति घाटी का सर्वेक्षण ६९०
४१९ कच्चे लोहे और इस्पात का स्टाक ६९०
४२० मध्य प्रदेश को आवंटित कच्चा लोहा ६९०
४२१ पंजाब को लोहे की चादरों का संभरण ६९१
४२२ पंजाब का भूतत्वीय सर्वेक्षण ६९१–९२
४२३ पंजाब में भूतपूर्व सैनिकों की बस्तियां ६९२
४२४ उत्तर प्रदेश में पुरातत्वीय खुदाई. ६९२
४२५ अनुसूचित जातियों की सूचियों का पुनरीक्षण ६९२
४२६ गुरुदासपुर में पुरातत्व सम्बन्धी सर्वेक्षण ६९२–९३
४२७ लाल किला, दिल्ली . ६९३
४२८ जलियांवाला बाग का स्मारक . ६९३
४२९ प्रविधिक सहयोग मिशन के अधीन शिक्षक प्रशिक्षण ६९४
४३० कुतुब मीनार से आत्महत्या ६९४–९५
४३१ पंजाब में लड़कियों की शिक्षा . ६९५
४३२ बाल पुस्तक न्यास के लिये मुद्रणालय ६९५–९६
४३३ नूनमती में तेल शोधक कारखाना ६९६
४३४ पहाड़ी स्थानों पर अवकाश गृह . ६९६
४३५ गांजे और अफीम का तस्कर व्यापार ६९६
४३६ प्रतिरक्षा संस्थापन ६९७
४३७ ट्रंकों का निर्माण ६९७
४३८ इस्पात का आयात . . ६९७–९८
४३९ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल . . ६९८
४४० केन्द्रीय हरिजन कल्याण मंत्रणा बोर्ड ६९९

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
४४१	अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा ब्यूरो	६९९–७००
४४२	उत्तरी सीमान्त क्षेत्र में नये जिले	७००
४४३	लोक सहायक सेना	७००–०१
४४४	पब्लिक स्कूल	७०१
४४५	मनियारसूं (गढ़वाल) में हीरों का पाया जाना	७०१
४४६	पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्	७०१–०२
४४७	उड़ीसा में प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक	७०२
४४८	इस्पात और लोहे का वस्तु विनिमय के आधार पर आयात	७०२–०३
४४९	उड़ीसा में अपाहिज व्यक्तियों को प्रशिक्षण	७०३
४५०	विदेशी बैंकों में जमा रकमें	७०३–०४
४५१	सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा	७०५
४५२	दिल्ली में विज्ञान संग्रहालय	७०५
४५३	इन्सपैक्टर जनरल आफ पुलिस	७०६
४५४	भारतीय राजाओं की विदेशी अस्तियां	७०६
४५५	कृत्रिम तेल सम्बन्धी खोज	७०६
४५६	पश्चिम जर्मनी के ऋण की अदायगी	७०६–०७
४५७	त्रिपुरा प्रादेशिक परिषद्	७०७
४५८	दामचरा में सहायता कार्य	७०७–०८
४५९	त्रिपुरा की महिला समिति को सहायता	७०८
४६०	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति	७०८
४६१	अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां	७०९
४६२	सांची स्तूप की मरम्मत	७०९
४६३	इंगलैंड में सैनिक सम्मेलन	७०९–१०
४६४	गुजरात समुद्रतट पर सोने का तस्कर व्यापार	७१०
४६५	जनगणना सम्बन्धी प्रश्नावली	७१०
४६६	सेंध के लिये चेतावनी	७११
४६७	जापानी ऋण का उपयोग	७११
४६८	लाहौल-स्पिति जिले में बहुप्रयोजनीय खण्ड	७११
४६९	प्रतिरक्षा कर्मचारियों को भत्ते	७१२

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर---(क्रमश :)

अतारांकित प्रश्न संख्या

४७०	जीवन बीमा निगम की शाखायें . .	७१२–१३
४७१	जीवन बीमा निगम का काम	७१४
४७२	राज्यों को अनुदान .	७१४
४७३	अन्दमान द्वीप समह में विदेशी . .	७१५
४७४	ब्रिटेन के विश्वविद्यालयों में भारतीय विद्यार्थी	७१५
४७५	उड़ीसा में बाक्साइट के निक्षेप	७१५
४७६	मजलिस इतिहादुल-मुसलमीन .	७१६
४७७	मद्य निषेध की प्रगति का पुर्नविलोकन	७१६–१७
४७८	जम्मू व काश्मीर में सैनिक जवान	७१७
४७९	जम्मू व काश्मीर में सैनिक अफसर .	७१७–१८
४८०	मैसूर राज्य में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषक बस्ती .	७१८
४८१	"चेन्ना बासवनायक" .	७१८–१९
४८२	नासिक में भूमि का अर्जन	७१९
४८३	विदेशी ऋण . .	७१९–२०
४८४	पिछड़े वर्गों के लिये केन्द्रीय समन्वयकारी समिति	७२०
४८५	दिल्ली विश्वविद्यालय .	७२०–२१
४८६	यूनेस्को .	७२१
४८७	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र .	७२१
४८८	मध्य प्रदेश में आदिवासी	७२१–२२
४८९	मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारक	७२२
४९०	विभाजन ऋण .	७२२
४९१	झाबुआ में लौह अयस्क की खानें .	७२२
४९२	मध्य प्रदेश में लौह अयस्क	७२३
४९३	पंजाब को कोयले की सप्लाई	७२३
४९४	कोयले का उत्पादन	७२३–२४
४९५	दिल्ली में कोयले की कमी	७२४
४९६	भारतीय सिक्कों का तस्कर व्यापार	७२४
४९७	रूरकेला इस्पात संयंत्र . .	७२५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

४९८ विज्ञान मन्दिर . . . ७२५

४९९ वायु क्षेत्र का अतिक्रमण . . ७२५

५०१ पानागढ़ और जूनागढ़ का भूतत्वीय सर्वेक्षण ७२५–२६

५०२ इनामी बौंडों की दूसरी लाटरी . ७२६

५०३ जिला आगरा में बटश्वर के मन्दिर ७२७

५०४ रूरकेला में खाई दुर्घटना ७२७

स्थगन प्रस्ताव ७२७--७३२

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिन की सूचना उन के सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(एक) १८ नवम्बर, १९६० को बम्बई में विस्फोट ।	सर्वश्री स० मो० बनर्जी, तंगामणि, आसर और ब्रजराज सिंह ।
(दो) १८ नवम्बर, १९६० को हुगली नदी में एक ड्रेजर का उलटना ।	सर्वश्री स० मो० बनर्जी और तंगामणि, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और श्री त्रिदिवकुमार चौधरी ।
(तीन) उत्तरी सीमान्त जिलों में कम्युनिस्टों का कथित प्रचार ।	श्री हेम बरुआ ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ७३२–३३

(१) ३१ दिसम्बर, १९५९ से ३० सितम्बर, १९६० तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, १९५० के कार्य के बारे में आंकड़ों की एक प्रति ।

(२) वित्त मंत्री की अपनी हाल की ब्रिटेन तथा अमरीका की यात्रा के बारे में वक्तव्य की एक प्रति ।

(३) देश में बाढ़ की स्थिति और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में वक्तव्य की एक प्रति ।

(४) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की धारा ३५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, ३० जून, १९६० को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये भारत के औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति निगम की आस्तियों व दायित्व और लाभ हानि के लेखे के विवरण सहित ।

विषय पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ७३३

सत्तावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

विधेयक के लिये आवंटित समय को बढ़ाने के बारे में प्रस्ताव . . ७३७—७५०

श्री नौशीर भरूचा ने प्रस्ताव किया कि महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक पर विचार करने तथा पारित करने के लिये आवंटित समय को बढ़ा कर १ घंटे से २॥ घंटे कर दिया जाये। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक—पारित . . . . . ७३३—७३७, ७५०

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने प्रस्ताव किया कि महेन्द्र प्रताप सिंह जायदाद (निरसन) विधेयक पर विचार किया जाये। गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार चर्चा के बाद विधेयक पारित किया गया।

इंडियन रिफाइनरीज़ लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . ७५१—७६३

श्री दी० चं० शर्मा ने ११-३-६० को सभा पटल पर रखे गये इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कुछ चर्चा के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मंगलवार, २२ नवम्बर, १९६०/१ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि—

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा।

GMGIPND—LSIII—1369 (Ai) LSD—8-12-60—115